द्वितीय माला, खण्ड १९—अंक १५

३० अगस्त, १९५८ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

166A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ . १२३९—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १२६२--६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४९६ . . . . १२६५--८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . . १२८३—१३१८

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना . . . १३१९--२२

दो सदस्यों को सजा १३२२-२३

जानकारी के लिये प्रश्न १३२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२३

राज्य सभा से सन्देश १३२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . . १३२४

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . . १३२४—२६

समिति के लिये निर्वाचन . . . १३२६

प्राक्कलन समिति १३२६

विधेयक पुरःस्थापित १३२६-२७

१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और १३२६-२७

२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . . १३२७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

पर विचार करने का प्रस्ताव १३२७--५७

खण्ड २ से १४ तथा १ . . . १३४३--५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १३५७—६०

दैनिक संक्षेपिका १३६१--६७

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९८, ५०० से ५०९, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . १३६९—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४९७, ४९९, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१९ से ५६० . . . . . १३९५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ९०३, ९०५ से ९३० और ९३२ से ९५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२–५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८९

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—९३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८९–९३

पारित करने का प्रस्ताव १४९३–९६

दैनिक संक्षेपिका १४९७–१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८९, ५९४ और ५९६ से ५९८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५९० से ५९३, ५९५ और ५९९ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४–७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— . . . १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६—९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव . . . . . १५९६—१६१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६१३—१९

अंक १४--गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६९४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५—१७२१

स्थगन प्रस्ताव--

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . . . १७२२—२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४–२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५–२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६--३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १७३२--४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२–४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १७४३--५४

कार्यमंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका १७५५--६३

अंक १५-- शनिवार, ३० अगस्त, १९५८--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . १७६५--८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . १७९०--१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ १८०५--३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन १८३६--३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८३७--५२

खण्ड २ और ३ . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३--५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८--६७

दैनिक संक्षेपिका १८६८--७४

पृष्ठ

अंक १६--सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन-- . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३–४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा १९७०--७५

दैनिक संक्षेपिका १९७६--८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३--२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३९ . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य–संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . . २०७४—७७

१. कडुम बांध का टूट जाना ; और

२. बेरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि . . . २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य . . . २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २११३—१७

खण्ड १ और २ . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २१२०—२६

अंक १८—बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०,८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० २१६८--९६

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . २१९६--९९

राज्य सभा से संदेश २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २१९९--२२०५

खण्ड २ से ४ और १ २२०५

पारित करने का प्रस्ताव २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २२०६--१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६--२७

दैनिक संक्षेपिका २२२८--३४

अंक १९--गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८
९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ २२३५--६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९,
९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१
से ९४६ . . . . . २२६०--७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ २२७२--९८

स्थगन प्रस्ताव-- २२९८--२३०३

केरल में स्थिति . २२९८--२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३०४--०९

खण्ड २, ३ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८-- २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . २३१०--२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद २३२१--४१

दैनिक संक्षेपिका २३४२--४६

अंक २०--शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ २३४७--७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . २३७१--७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित :	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित :	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शनिवार, ३० अगस्त, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां

+

†*६९५. { **श्री द० अ० कट्टी :**
श्री भा० कृ० गायकवाड :
श्री शिवराज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा आरम्भ करते समय भारत सरकार जिन आधारों पर छात्रवृत्ति देती है उनमें एक यह भी रहता है कि विश्वविद्यालय से पूर्व की परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इसी वर्ष से यह शर्त क्यों लागू की ; और

(ग) भारत सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये इन्हें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]**

†**श्री द० अ० कट्टी** : यह देखते हुए कि सरकार जो नीति ग्रहण कर रही है उस से अनुसूचित जातियों के बहुत से छात्र शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे क्या सरकार इस नीति पर पुनः विचार करेगी या कि वह इस उपबन्ध के आशय को न देखते हुए इस नीति को जारी रखेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सभा को विदित है कि सरकार स्वयं छात्रवृत्तियां देना चाहती है और गृह-कार्य मंत्रालय ने इस में अभिरुचि ले कर राशि को बढ़ाकर २ करोड़ रुपये कर दिया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस राशि को और बढ़ाना सम्भव नहीं था अतः चुनाव करना अनिवार्य है ।

†**श्री द० अ० कट्टी :** गत वर्ष कितनी छात्र त्तियां दी गई थीं और अब तक कितने आवेदन पत्र आये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** १९५७-५८ में तीनों वर्गों के छात्रों को जो छात्र-वृत्तियां दी गईं उनका ब्योरा यह है : अनुसूचित जातियां : २६,४४७ छात्रवृत्तियां दी गईं और १,३७,००,३७९ रुपये खर्च हुए, अनुसूचित आदिम जातियां—४३०० छात्रवृत्तियां और खर्च १८,९७,५३८ रुपये; अन्य पिछड़े वर्ग : १३६६८ छात्रवृत्तियां और खर्च ८२,१८,५७५ रुपये : कुल छात्रवृत्तियां ४४,४१५—श्रीमान् रौशनी कम हो गई है इसलिये सम्भव है कि कोई अंक गलत हो—और खर्च २,३८,१६,४९२ रुपये हुआ ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या इस बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं कि यदि छात्र-वृत्तियां देने के लि ए एक माप दंड निर्धारित कर दिया जाये तो कितने नये छात्रों को छात्र-वृत्तियां प्राप्त हो सकेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सभी आवेदन पत्रों के आ जाने पर अर्थात् सितम्बर के बाद मैं यह जानकारी दे सकूंगा ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं । श्री ब० स० मूर्त्ति सभा-सचिव हैं । वह प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ।

†**श्री बर्मन :** छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नहीं थी परन्तु मंत्रणा बोर्ड में यह कहा गया था कि आगामी वर्षों में इस नीति को जारी रखा जाये कि जो भी परीक्षा पास कर ले उसे छात्रवृत्ति दी जाये । क्या नीति में किये गये परिवर्तन से मंत्रणा बोर्ड को सूचित किया गया है ; यदि हां, तो बोर्ड का निर्णय क्या था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** नीति सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड से परामर्श किया जाता है ।

†**श्री शिवराज :** विवरण में कहा गया है कि इन छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र देने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है । मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई है । यदि यह सही है तो क्या सरकार की यह नीति है कि अनुसूचित जाति के लोगों का शिक्षा सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर निर्भर करे अथवा वह उसे अधिक प्राथमिकता देना चाहती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है । छात्रों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है और हमारे पास राशि सीमित है । यदि छात्रों की संख्या बढ़ती है तो यह खुशी की बात है परन्तु उन में से चुनाव करके छात्रवृत्तियां देनी पड़ेंगी । २ करोड़ रुपये की अधिकतम राशि निश्चित करने में भी हमें काफी कठिनाई

---

†नूल अंग्रेजी में

हुई थी । वस्तुतः गृह-कार्य मंत्री ने इस में अभिरुचि ले कर ही वित्त मंत्री को इस बात के लिये राजी किया था कि वह योजना काल के लिये इतनी राशि दे दे । इसलिये राशि को और बढ़ाना सम्भव नहीं है अतः इस परिस्थिति में इसके सिवाय और कोई चारा नहीं कि चुनाव करके छात्रवृत्तियां दी जायें ।

†**श्री तिम्मय्या** : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में २ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और द्वितीय योजना में शिक्षा के लिये और अधिक राशि आवंटित की गई है । तो क्या कारण है कि द्वितीय योजना में भी यह राशि २ करोड़ रुपये ही रही ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य की जानकारी बिल्कुल सही नहीं है। मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु यह बात सही नहीं है कि प्रथम योजना काल में भी इतनी ही राशि उपलब्ध थी । शायद दो वर्ष पूर्व यह राशि बढ़ाई गई थी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने से इनकार करके संविधान के अनुच्छेद ४६ में उल्लिखित निदेशक तत्वों का उल्लंघन कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं । उस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा है । हमें उपलब्ध निधि को भी देखना है । जब छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो छात्रों का चुनाव करके ही छात्रवृत्तियां देनी पड़ेंगी । विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये प्रत्येक देश में किसी प्रकार का चुनाव करना पड़ता है । विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिये नहीं होती । केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश प्राप्त होता है जो इससे अधिकतम लाभ उठा सकते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : अन्य देशों में अस्पृश्यता नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि हरिजन कल्याण के निमित्त जो राशि रखी गई थी, उस में से कुछ रुपया ले कर के इन छात्रों को दे दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे उस हरिजन कल्याण निधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है; यह मेरे पास नहीं है और मेरे लिये इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है । माननीय सदस्य इसके लिये अलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है अतः चुनाव करना पड़ेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि चुनाव किया जायेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या इस बारे में कोई घोषणा की गई थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : संस्थाओं को सूचित कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कृषि सम्बन्धी पाठ्यक्रम

\+

†*६९७. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पाणिग्रही :
श्री इ० ईयाचरण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम्य क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कृषि सम्बन्धी पाठ्यक्रम आरम्भ करने की योजना के बारे में अंतिम निर्णय हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) किन राज्यों में ये पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८१]**

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि कुछ स्टेट्स को दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से आधार पर इन स्टेट्स को चुना गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : स्टेटमेंट से आपको मालूम होगा कि जो कोर्सेज इस विषय के लिए रखे गये हैं वे सीमित हैं । यह सम्भव नहीं था कि सभी स्टेट्स को दे दिया जाये । जिन स्टेट्स की हमारे पास पहले दरख्वास्तें आ गयीं उनको मंजूरी दे दी गयी । एक, दो या तीन ऐसी स्टेट्स हैं, मुझे ठीक नम्बर याद नहीं है, जो कि रह गयी हैं । लेकिन बाकी की स्टेट्स ने इसके लिए दरख्वास्त भी नहीं की थी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो डेफिसिट स्टेट्स हैं वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाये ताकि वे अपने यहां खेती की उन्नति कर सकें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार को इसका पूरा ध्यान है । मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस राज्य के बारे में वे कहना चाहते हैं उनको यह बात जा कर कहें कि जितनी जल्दी हो सके वह दरख्वास्त भेजा करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री पाणिग्रही

†**श्री जाधव :** क्या बम्बई . . .

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** बम्बई ने आवेदन पत्र भेजा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं जिन सदस्यों को नहीं पुकारता माननीय मंत्री उनके प्रश्नों का उत्तर न दें । मैं पहले उन लोगों को अनुपूरक प्रश्न पूछने देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रश्न की सूचना दी है और बाद में अन्य सदस्यों को ।

---

†इस अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** विवरण में उड़ीसा राज्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिये धन की स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु भारत सरकार से कोई प्रार्थना की थी और क्या भारत सरकार रुपया न दे सकी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रत्येक राज्य के बारे में बताना तो सम्भव नहीं है परन्तु सामान्यतः जिन राज्यों ने इसके लिये प्रार्थना की थी उन्हें आवंटन कर दिया गया था ।

†**श्री जाधव :** क्या सभी राज्यों के लिये ये पाठ्यक्रम आवंटित करना सम्भव था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम चाहते तो यही हैं कि सभी राज्यों में ये पाठ्यक्रम शुरू किये जायें परन्तु हमारे पास अधिक रुपया नहीं है । आशा है कि तृतीय योजना में इस प्रयोजन के लिये और राशि आवंटित की जायेगी ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से पता चलता है कि यह छः राज्यों में शुरू किया गया है । प्रत्येक राज्य को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विवरण में बताया गया है कि एक पाठ्यक्रम पर कितना खर्च होता है । इस से हिसाब लगाया जा सकता है कि प्रत्येक राज्य को कितना आवंटन किया गया है ।

†**श्री तंगामणि :** कुल आवंटन तो दिया गया है । मैं प्रत्येक राज्य का आवंटन जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे पास विवरण है । विभिन्न मदों के नीचे, प्रत्येक राज्य का आवंटन दिया गया है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रत्येक पाठ्यक्रम का ब्योरा बताया गया है और प्रत्येक का प्राक्कलन भी । प्रत्येक राज्य को आवंटित पाठ्यक्रम भी बताये गये हैं । अतः यह हिसाब लगाना बहुत आसान है कि प्रत्येक राज्य को कितना आवंटन किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री के पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण से पता चलता है कि छः राज्यों में ८० कृषि और १० विज्ञान पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं । इन राज्यों ने योजना में कहां तक सहयोग दिया है और क्या प्रगति हुई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अभी हमें राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या राज्यों को चुनते समय उनकी कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है, यदि हां, तो आंध्र में ये पाठ्यक्रम क्यों शुरू नहीं किये गये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वहां शायद राज्य सरकार के अंशदान के समान अनुदान दिया गया है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम ने राज्य सरकारों को लिखा था और राज्य सरकारों ने अपनी अपने आवेदन पत्रों के साथ अपनी आवश्यकता भी व्यक्त कर दी थी। दो या तीन राज्यों ने आवेदन पत्र देर से भेजे थे । शेष राज्य सरकारों ने आवेदन पत्र भेजे ही नहीं अतः उन्हें इस में शामिल नहीं किया गया ।

†**श्री त्यागी** : क्या ग्राम्य क्षेत्रों में यह कृषि प्रशिक्षण केवल उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जो कृषि को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं या कि सभी को ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन बहुप्रयोजनीय पाठ्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देना है । एक संस्था में कई प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे और छात्रों की अभिरुचि और योग्यता को देखते हुए उन्हें प्रवेश मिलेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं वे उन दिनों जब संसद् का सत्र नहीं होता अपने राज्यों में जा कर देखें कि क्या हो रहा है ?

†**श्री त्यागी :** कुछ नहीं हो रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बड़े आश्चर्य की बात है । मैं तो हर बार कुछ न कुछ देख कर आता हूं । मैंने अपने ही कस्बे में एक बहुप्रयोजनीय स्कूल देखा जो बड़ी अच्छी तरह चल रहा है । माननीय सदस्यों के ध्यान में ऐसी बातें क्यों नहीं आतीं ? ऐसी बात तो नहीं कि एक जिले में अच्छे कार्य शुरू किये जायें और दूसरे में नहीं । प्रत्येक जिले में एक बहुप्रयोजनीय स्कूल अवश्य है ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या आप स्कूल को देख कर सन्तुष्ट हुए थे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं तो बिल्कुल सन्तुष्ट हूं ।

चोरी से लाई गई वस्तुओं का दिल्ली में पकड़ा जाना

+

†*६९८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली की दूकानों पर चोरी से लाई गई वस्तुओं, जैसे कि घड़ियां, पेन और ब्लेड आदि का संभरण नियमित रूप से होता रहता है ; और

(ख) गत छः मास में चोरी से लाई गई कितनी वस्तुएं पकड़ी गईं और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जहां तक सरकार को विदित है चोरी से लाई गई वस्तुओं जैसे कि घड़ियां, पैन और ब्लेडों का संभरण दिल्ली की दूकानों को नियमित रूप से नहीं होता है । सरकार को यह अवश्य ज्ञात है कि विमान द्वारा और

†मूल अंग्रेजी में

जोन और समुद्री रास्तों से इन वस्तुओं को सीमा शुल्क चौकियों को धोखा देकर देश में लाया जाता है । यह कोई असम्भव बात नहीं है कि इन वस्तुओं को दिल्ली के कुछ व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता हो ।

(ख) गत छः मास में ११८७ घड़ियां जिनका मूल्य ४४,३२० रुपये था दिल्ली के सीमा शुल्क कर्मचारियों ने पकड़ीं इनमें से ११५० घड़ियां जिनका मूल्य ४२,००० रुपये था एक ही बार पकड़ी गईं । इस अवधि में और कोई वस्तु पेन और ब्लेड आदि नहीं पकड़ी गई । घड़ियां चोरी से लाने के कारण एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** आय-व्ययक सत्र में माननीय उपमंत्री ने सभा में कहा था कि बाजार में विलास वस्तुएं इसलिये अधिक उपलब्ध नहीं कि उनके लिये विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई थी बल्कि इसलिये कि दिल्ली में ये वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में चोरी छिपे लाई जा रही हैं । इस बात को देखते हुए तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** वह वक्तव्य एक वर्ष पहले दिया गया था परन्तु यह प्रश्न हाल ही की अवधि के बारे में पूछा गया है । उसके बाद तस्कर व्यापार को रोकने के कई उपाय किये गये हैं और परिणाम सन्तोषजनक रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं ने पूछा है कि कौन से विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन सब का यहां उल्लेख करना उचित होगा ? इस से तो तस्कर व्यापार करने वाले और सतर्क हो जायेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि तीन मास पूर्व तस्कर व्यापार इतना अधिक हो गया था कि 'सेवन-ओ-क्लाक' ब्लेड के दस पैकटों का मूल्य १८ रुपये से कम हो कर १३ रुपये तक आ गया था । क्या माननीय मंत्री यह अनुभव करते हैं कि जो कार्यवाही की जा रही है वह बहुत अपर्याप्त है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी नहीं, माननीय मंत्री ने इस मामले में गलत निष्कर्ष निकाला है । देशीय उत्पादन बढ़ जाने और उसके गुणों के कारण मूल्य कम हो गये हैं ।

अमरीका को वैज्ञानिकों का प्रतिनिधिमंडल

+

†*७०१. **श्री पाणिग्रही :**
श्री वें० प० नायर :
श्री कुमारन् :
श्री मोहम्मद इलियास :
सरदार इकाबाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम० एस० ठाकर के नेतृत्व में अमरीका गये वैज्ञानिकों के दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन की प्रति यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने को कोकिंग कोयले का संभरण

†*७०२. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने को कोकिंग कोयलें का संभरण कहां से किया जायेगा ; और

(ख) जो कोयला 'वाशरीज' स्थापित की जा रही हैं क्या उन से सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की खनिज कोयले की मांग पूरी हो जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) रूरकेला को कर्गली और दुग्दा 'वाशरीज' से धुला हुआ कोयला मिलेगा । कर्गली वाशरी का निर्माण पूरा हो चुका है और यहां से धुला हुआ कोयला प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । जब तक दुग्दा वाशरी का निर्माण नहीं हो जाता तब तक झरिया का बिना धुला हुआ कोयला इस्तेमाल किया जायेगा ।

(ख) जी हां ।

†**श्री सूपकार** : इस बात को देखते हुए कि रूरकेला और भिलाई को इन वाशरियों से कोकिंग कोयला सप्लाई किया जायेगा । क्या कर्गली और रूरकेला के बीच एक रेल सम्पर्क स्थापित करने की कोई योजना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह प्रश्न यदि रेलवे मंत्री से पूछा जायें तो ठीक होगा ।

मद्यनिषेध

*७०३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम की सरकारों ने अपने राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने किस अवधि के लिये कितनी सहायता देने का निश्चय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य- मंत्री (श्री दातार) : (क) केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कुछ वित्तीय सहायता मांगी थी ।

(ख) कोई सहायता नहीं दी गई ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मादक द्रव्य निषेध के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति निर्धारित की है कि अमुक काल के अन्दर मादक द्रव्य का निषेध सम्पूर्ण रूप से हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : जी, नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जिस मादक द्रव्य के प्रश्न को ले कर महात्मा जी ने हिन्दुस्तान की आजादी ली और महात्मा जी ने अपने मरने के दिनों में भी मादक द्रव्य जैसे किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं किया, उस के सम्बन्ध में क्या सरकार पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह उस का निषेध सम्पूर्ण रूप से करे ?

पंडित गो० ब० पन्त : सरकार कोशिश कर रही है, यहां दिल्ली में बहुत सी बातें की गईं, और जगहों में भी की जा रही हैं । अन्डमन्स में उन को बन्द कर दिया गया । एक प्राहिबिशन कमेटी हुई, उस ने अपने सुझाव दिये । स्टेट्स के हाथ में यह मामला है और वह हमेशा गौर करती रहती हैं कि कैसे इसे बढ़ावें और कैसे करें ।

श्री विभूति मिश्र : स्टेट्स को सहायता देने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार कुछ सोचती है ?

पंडित गो० ब० पन्त : सहायता की रकम, हर स्टेट के लिये जिस हद तक केन्द्रीय सरकार दे सकती है, वह मुकर्रर है । उस के अन्दर स्टेट्स को देखना होता है कि किस मद में कितना उन को खर्च करना चाहिये, किस को पहले करना चाहिये, किस को पीछे करेंगे, कितनी आमदनी की जरूरत है, कितनी आमदनी को वह छोड़ दें, किन नये तरीकों से आमदनी बढ़ावें । यह सब उन को गौर करना पड़ता है ।

†**श्री हेम बरूआ** : आसाम राज्य में कुछ क्षेत्रों में मद्य निषेध किया गया है । क्या वे अन्य क्षेत्रों में भी इसे लागू करना चाहते हैं और क्या इसके लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी गई है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मेरे ख्याल से उन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं । वे अपने राज्य में यदि कोई कार्यवाही करना चाहें तो उन्हें पूर्ण अधिकार है ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या राज्य सरकार को श्रीमन नारायण समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने के बारे में कोई सुझाव दिये गये हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : समय-समय पर केवल सरकार ने ही नहीं बल्कि अन्य लोगों ने भी कई सुझाव दिये हैं ।

दहेज उपहारों की गणना

+

†*७०४. { **श्री तंगामणि** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आदेश दिया है कि १९५७–५८ में सरकारी कर्मचारियों ने दहेज में जो उपहार दिये या लिये उनकी गणना की जाये ;

(ख) इस गणना करने का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) गणना का परिणाम कब प्रकट किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचरण) नियम, १९५५ के अन्तर्गत जहां कहीं आवश्यक होता है सरकारी कर्मचारियों को इन उपहारों की सूचना सरकार को देनी होती है। ऐसे उपहारों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) जानकारी एकत्र होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री तंगामणि :** क्या अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते समय उनसे यह पूछा जाता है कि उन्हें दहेज में प्राप्त अथवा दी गई भेंट का विवरण क्या है अथवा उनके आश्रितों द्वारा दी अथवा ली गई भेंट का विवरण मांगा जाता है ?

†**श्री दातार :** जानकारी मांगी गई है अतः उसका संग्रह किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या अधिकारियों के आश्रित भी सम्मिलित हैं।

†**श्री दातार :** नियमों के अन्तर्गत वे सम्मिलित हैं।

†**श्री तंगामणि :** यह वार्षिक घटना चक्र है अथवा १९५७-५८ का केवल नमूना सर्वेक्षण है ?

†**श्री दातार :** प्रश्न यह था कि इस दिशा में क्या किया जा रहा था। अतः जानकारी मंगाई गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह आवर्ती लक्षण है। क्या अधिकारी को भेंट लेते और देते समय हर बार सूचना देनी पड़ती है ?

†**श्री दातार :** जी हां। हर समय ऐसा करना पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह निरन्तर क्रम है।

†**श्री हेम बरुआ :** दहेज प्रथा जीवन के पवित्र बन्धन को समाप्त कर देती है और रोमांस के लिये कुठाराघात है, अतः क्या सरकार इस कुप्रथा को सर्वथा समाप्त कर देने के लिये विधि अधिनियमित करेगी ?

†**श्री दातार :** यह प्रथा अनेक भागों में प्रचलित है अतः इसे मान्यता प्राप्त हो गई है। किन्तु नियमों के अन्तर्गत उन्हें इसकी सूचना देनी होगी।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या धनी श्वसुर से दहेज लेना प्रतिषिद्ध है ?

†**श्री दातार :** धनी हो या निर्धन, प्रश्न यह है कि दहेज में कितनी रकम ली अथवा दी गई है।

†**श्री तंगामणि :** मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या दहेज लेने अथवा देने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये यह विधि अधिनियमित करने का विचार रखते हैं ?

†**श्री दातार :** सरकार ने एक परिचारी पत्र जारी किया है और सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी उसका पालन करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस पर देशव्यापी प्रतिबन्ध लगाने वाली एक विधि पारित करने का विचार है। कुछ राज्य सरकारों ने विधि अधिनियमित की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** मैं किसी ऐसी बात से अवगत नहीं हूं ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन का प्रकाशन

+

†*७०५. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन किसी प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रकाशन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां, हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुई है ।

(ख) लगभग २१,००० रुपये ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इस प्रतिवेदन को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** लगभग सभी राज्य सरकारें इसे अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करा रही हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** सरकार इसे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में क्यों प्रकाशित कराना चाहती है ? ऐसा जनमत जानने के लिये किया जा रहा है अथवा बाजार में इसे बेचने के लिये ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** राज्य सरकारों से प्रतिवेदन का अनुवाद कराने के लिये कहा गया था । उन्होंने यह कार्य आरम्भ कर दिया है । कई राज्यों में तो इसका प्रादेशिक अनुवाद छप रहा है । और अन्य राज्यों में यह शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है ।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

†*७०६. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की एक नई बैंच की रचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** जी, हां ।

(ख) यह बैंच वर्तमान में बम्बई में है, क्योंकि कार्यालय के लिये आवास उपलब्ध होने पर इसे कलकत्ता में स्थापित करने का विचार है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** जब सरकार नई बैंचों की रचना कर रही है तो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पटना बैंच समाप्त करने का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० कु० सेन :** यह विषय वर्तमान प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। इसका पहले उत्तर दिया जा चुका है किन्तु मैं पुनः इसका उत्तर दे देता हूं। जब पिछली बार लोक सभा में अनेक प्रश्न पूछे गये थे तो हमने कहा था कि पटना बैंच में नये दायर किये गये मुकदमों की संख्या ५०० तक ही रह गई है और निलम्बित अपीलें भी महत्वहीन हैं अतः सारे वर्ष भर पटना में एक बैंच बनाये रखना असंभव है। उन्हें वर्ष के पर्याप्त भाग में कलकत्ता बैठना पड़ता है। अतः यह व्यवस्था की गई कि पश्चिमी बिहार के अधिकांश जिले इलाहाबाद बैंच के क्षेत्राधिकार में ले जायें और पूर्वी बिहार के कुछ जिले कलकत्ता बैंच के क्षेत्राधिकार में जायेंगे। यह भी आश्वासन दिया गया कि ये बैंचें समय-समय पर पटना जायेंगी और पटना में सुनी जाने वाली अपीलें वहीं सरकिट में बैठ कर सुनी जायें। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इस विषय पर निरन्तर विचार होता रहेगा ताकि जिस समय भी पटना में दायर की जाने वाली अपीलों की संख्या पर्याप्त हो जायें उस समय पटना में पृथक बैंच की स्थापना के प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** कलकत्ता और इलाहाबाद में करदाताओं को अपीलें दायर करने में जिन कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें ध्यान में रखते हुये क्या सरकार पटना बैंच के पुनर्गठन पर फिर विचार करेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन :** इस विषय पर पुनर्विचार की आवश्यकता के सम्बन्ध में मैंने उल्लेख कर दिया है। वस्तुतः इस विषय पर पुनर्विचार किया जाता है और मेरे पास नवीनतम् आंकड़े हैं जो मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं। बिहार क्षेत्र से विगत नौ महीनों में औसतन ८५ अपीलें प्रति माह दायर की जाती हैं जब कि बम्बई में ३०८। इलाहाबाद में १७०, मद्रास में १९५, कलकत्ता में १९०, दिल्ली में १५५ और हैदराबाद में १३२। इससे प्रकट है कि पटना में पृथक बैंच की आवश्यकता की दृष्टि से यह संख्या बहुत कम है।

†**श्री प्रभात कार :** कलकत्ता और बम्बई बैंच में निलम्बित अपीलों की कितनी संख्या है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में तथ्य दे सकता हूं। किन्तु मैं इसे बताने का प्रयत्न करूंगा। पटना बैंच के समक्ष ४६९ मामले निलम्बित हैं। १ अक्तूबर, १९५७ में मद्रास, कलकत्ता और हैदराबाद बैंचों के समक्ष क्रमशः २३१४, २१८२ और १५७० मामले थे। इसका अर्थ है कि कलकत्ते का द्वितीय स्थान है जहां न्यायाधिकरण के समक्ष २१८२ मामले निलम्बित हैं।

टैक्सी ड्राइवरों द्वारा लूट खसोट

†*७०८. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ ऐसे मामले हुये हैं कि जब टैक्सी ड्राइवरों ने यात्री को लूट कर उसकी हत्या तक कर दी हो अथवा जब किसी गिरोह ने टैक्सी किराये पर की हो और फिर टैक्सी को किसी निर्जन स्थान पर ले जा कर ड्राइवर को उठा कर फेंक दिया हो और फिर उसे भगा ले गये या फिर मौत की धमकी दे कर बिना किराया चुकाये उसे वहीं छोड़ दिया हो ;

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में अभी तक ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है ; और

(ग) इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हत्या से अन्तर्ग्रस्त कोई मामला नहीं हुआ किन्तु साधारण लूट पाट की कुछ घटनायें हुई हैं ।

(ख)	१९५७	१९५८ (२२ जुलाई १९५८ तक)	कुल
(१) वे मामले जिनमें यात्री टैक्सी ड्राइवरों के चक्कर में फंसे	२	१	३
(२) वे मामले जिनमें टैक्सी ड्राइवर यात्रियों के चंगुल में फंसे	३	५	८

(ग) (१) नगर के बाहर निर्जन और सुनसान सड़कों पर रात्रि को पहरा आरम्भ कर दिया गया है क्योंकि रात्रि में देर के समय उन्हीं सड़कों पर ये घटनायें होती हैं ।

(२) उन मामलों में अन्तर्ग्रस्त सन्देहास्पद व्यक्तियों का हुलिया संग्रह कर टैक्सी ड्राइवरों में उनकी यूनियन के मार्फत परिचारित कर दिया गया है और आवश्यकता होने पर उन्हें उड़न दस्तों की सहायता प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है ।

†**श्री राधा रमण** : जितने मामलों की रिपोर्ट की गई है उनमें से कितने मुकदमे चल रहे हैं और कितने व्यक्ति दण्डित किये गये हैं ?

†**श्री दातार** : पांच मामले दर्ज किये गये हैं और १४ अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं । वे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं । ६ मामलों में पता नहीं लग सका है और शेष दो मामलों की अभी जांच की जा रही है ।

†**श्री राधा रमण** : इतने अधिक मामलों की रिपोर्ट और सरकार द्वारा उठाये गये कदम को ध्यान में रखते हुये क्या टैक्सी ड्राइवर यूनियन का विश्वास प्राप्त करने और इस विषय में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : हम पहले ही उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं । वस्तुतः हमने संदेहास्पद व्यक्तियों के नाम उन्हें परिचालित कर दिये हैं तथा उनसे सावधान रहने और पुलिस को शीघ्र रिपोर्ट करने की प्रार्थना की गई है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सभी प्रमुख नगरों में इस प्रकर का सार्वभौम नियम नहीं है कि टैक्सी के नम्बर पीछे वाली सीट के यात्रियों के ठीक सामने वाले काच पर लिखे रहें ताकि दोनों सीटों पर बैठने वाले यात्री इसे जान सकें ? क्या इसका कठोरतापूर्वक पालन नहीं किया जाता है ?

†**श्री दातार** : नम्बर तो सदा ही रहता है । यह भीतर की ओर नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री कभी टैक्सी में नहीं बैठे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता को इस्पात का संभरण

+

†*७१०. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विमल घोष :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में जल संभरण के लिये पाल्टा-तल्ला मुख्य योजना के निष्पादन के लिये कुछ महीनों तक इस्पात के मासिक कोटे के लिये कलकत्ता निगम ने उनसे कुछ समय पहले निवेदन किया था ;

(ख) क्या यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। राज्य के सामान्य आवंटन से पृथक यह प्रार्थना विशिष्ट इस्पात संभरण के बारे में की गई थी।

(ख) और (ग), अभी नहीं श्रीमान्। इस प्रकार की आवश्यकता सामान्यतः राज्य के समूचे कोटे के अतिरिक्त होती है। इस मामले में आवश्यकता का कुछ अंश राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है अब शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रार्थना की गई है। इसमें लगभग ८५०० टन की मात्रा अन्तर्ग्रस्त है। इतनी मात्रा मिलना कठिन है। यह प्रार्थना अधिकतर प्लेटों के रूप में है इनका मिलना दुष्कर है। बंगाल सरकार से अपनी आवश्यकता को क्रमबद्ध करने के लिये कहा गया है और यदि ऐसा किया गया तो हम इसकी पूर्ति के लिये पुनः प्रयत्न करेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस्पात के बने हुये पानी के नलों में पानी टपकने के कारण कलकत्ता में पानी की सप्लाई में आकस्मिक गत्यावरोध की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, जो दिल्ली की हाल की घटना के परिणामस्वरूप अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्या सरकार लोक सभा को इस बात का आश्वासन देगी कि कठिनाइयों के बावजूद भी इस्पात आवंटन की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ? यह केवल प्राथमिकता का सामान्य प्रश्न ही न हो कर भारत के विशालतम नगर की जनसंख्या के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस मांग के महत्व के बारे में जो सामान्य प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है उसमें अन्तर्ग्रस्त अनेक धारणाओं की सत्यता में न जा कर मैं निस्संदेह यह स्वीकार करता हूं कि इसकी मांग आवश्यक है। किन्तु इस्पात संभरण की कमी के सम्बन्ध में कठिनाइयां भी कम नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने निगम को ५,००० टन से अधिक इस्पात पहले ही संभरित कर दिया है ताकि वे आवश्यक मरम्मत करा सकें। मुझे विश्वास है कि यदि कोई तात्कालिक या आवश्यक मांग हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार, जिनका राज्यगत आवंटन इस मामले की यथार्थ आवश्यकता से बहुत अधिक है, परस्पर आवंटन की प्राथमिकता में परिवर्तन कर सकते हैं और यदि वे यह अनुभव करते हैं कि उनकी आवश्यकता तीव्र है तो वे उच्च प्राथमिकता दे कर अपनी मांग पूरी कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ह्रो० ना० मुकर्जी** : हाल ही में अखबारों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरकार के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों और कलकत्ता निगम की बैठक में यह प्रकट हुआ कि विगत कुछ दिनों में समुचित इस्पात संभरण न होने के कारण नई नालियों का निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार अगले अक्टूबर तक प्रारम्भ नहीं हो सकेगा । क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में निश्चित स्थिति बतायेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे लिये इस बात की निश्चित स्थिति बताना अत्यन्त कठिन होगा कि वे किस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तथा क्या इसके रुकने की सम्भावना है । निस्संदेह ही पश्चिम बंगाल सरकार अथवा निगम इसकी अधिक जानकारी रखते हैं । किन्तु मैंने अभी बताया है कि यदि इस्पात की नालियों की मरम्मत तीव्र रूप में आवश्यक है तो इस्पात का संभरण कम होने पर भी उसे प्राप्त करने के लिये नये सिरे से प्रयत्न किये जा सकते हैं ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या इसका अभिप्राय यह है कि कलकत्ता में पानी की नालियों की मरम्मत के लिये इस्पात संभरण की आवश्यकता की ओर संकेत करते हुये पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से निवेदन नहीं किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अतिरिक्त आवंटन की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं । माननीय सदस्य यह धारणा न रखें ।

†**श्री साधन गुप्त** : पश्चिम बंगाल सरकार को इस्पात की कितनी प्लेट आवंटित की गई हैं और निगम ने केन्द्र से कितनी प्लेटों के आवंटन की मांग की थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निगम ने प्लेटों के बारे में अपनी आवश्यकता का अनुमान १३,७०० टन लगाया है । राज्य सरकार ने निगम को एक बार ४,५०० टन और दूसरी बार १,२०० टन का आवंटित किया था । अत: १३,७०० टन के कुल आवंटन में से लगभग ३० से ४० प्रतिशत मांग की पूर्ति की जा चुकी है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस आवंटन की सहायता से नालियों के आवश्यक भाग की मरम्मत की जा सकती है ।

†**श्री साधन गुप्त** : पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल कितना आवंटन किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अलग-अलग श्रेणी में आवंटन मेरे पास नहीं है ।

†**श्री प्रभात कार** : यदि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पहले निवेदन किया है तो विशेषज्ञों की सम्मति यह है कि जनवरी, १९५९ तक कलकत्ता में जल संभरण की आवश्यक पूर्ति नहीं हो सकेगी । फिर सरकार ने इस बात के लिये कदम क्यों नहीं उठाये कि समय पर ही उनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाये और जनवरी, १९५९ में कलकत्ता की जनता को कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने इस प्रश्न के उत्तर देने का पहले भी प्रयत्न किया है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने हम से कहा है । निगम ने भी यह बताया है । हमने यह कह दिया है कि यह मांग सामान्यतया राज्य के समूचे कोटे से ही पूरी की जानी चाहिये । अन्तत., यह बात राज्य सरकारों पर ही निर्भर होना चाहिये कि वे भिन्न भिन्न मांगों में से किसे अधिक महत्वपूर्ण और तीव्र समझते हैं और इस्पात की सामान्य कमी को ध्यान में रखते हुए वे इन मागों की समान रूप से पूर्ति करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या हाल में समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई सत्यता है कि इस्पात की नालियों के निर्माण कार्य का भार बम्बई की एक फर्म को ठेके पर दिया था किन्तु फर्म ने अन्यत्र अपने वचन की पूर्ति करने के लिये इस्पात का आवंटन अन्य दिशा में प्रयुक्त कर दिया इसी कारण वे कलकत्ता के मामले की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सके और इसमें गलती कर दी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कहना उचित नहीं है कि कलकत्ता के मामले में भूल हो गई है और मैं ने यहां जो विवरण दिया है वह इस प्रकार के आरोप का समुचित उत्तर है। किन्तु बम्बई की फर्म के बारे में जिस जांच की ओर माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं कि उनके और भी ठेके थे तो इस विषय में ब्यौरा प्राप्त हुए बिना मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जरा इस विषय पर विचार करें कि क्या इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया जाना चाहिये। क्या कलकत्ता में पानी की नालियां लगाने का उत्तरदायित्व इस सरकार पर है ?

†**श्री प्रभात कार :** यह प्रश्न इस्पात संभरण के बारे में है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस्पात संभरण भी है तो ठीक है। किन्तु पाइप लगाने के लिये ठेकेदार की नियुक्ति का क्यों उल्लेख किया जा रहा है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी नहीं, इसका उत्तरदायित्व निगम पर है।

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर केन्द्रीय मंत्री से यह पूछने का क्या अभिप्राय है कि कलकत्ता निगम ....

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** आवंटन .....

†**अध्यक्ष महोदय :** आवंटन के बारे में उन्होंने पहले ही कह दिया है कि राज्य सरकार और निगम दोनों ने केन्द्रीय सरकार को लिख दिया है किन्तु केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि यदि वे प्राथमिकता आवंटित करते हैं अथवा निर्धारित करते हैं तो वे स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे और फिर केन्द्र का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है।

माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या यह कार्य बम्बई के एक ठेकेदार के सुपुर्द नहीं किया गया था जिसने इस्पात का कुछ भाग किसी अन्य कार्य में लगा दिया है। मैं कहता हूं कि क्या ठेकेदार के सुपुर्द कोई काम करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। हमें यह पहलू विस्मरण नहीं कर देना चाहिये। **(अन्तर्बाधा)** यदि ठेकेदार कलकत्ता में कुछ हड़प लेता है तो क्या इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है ?

चम्बल परियोजना

†७११. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री सरकार द्वारा चम्बल परियोजना के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत् दल की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिये की गई कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** योजना सम्बन्धी परियोजनाओं की बैठक १२ जुलाई, १९५८ को गृह-कार्य मंत्री के सभापतित्व में हुई थी उसकी कार्यवाही का सारांश मैं

†मूल अंग्रेज़ी में

लोक-सभा के पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये अनुक्रमणिका संख्या एल० टी० ८७२/५८]** इस सारांश में प्रतिवेदन का क्रियान्विति के लिये उत्तरदायी प्राधिकार की परिभाषा और उन के कार्य का स्वरूप दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]** अक्तूबर, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये विभिन्न प्राधिकारों से प्राप्त होने वाला क्रियान्विति सम्बन्धी प्रतिवेदन नवम्बर, १९५८ में प्राप्त होगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्रतिवेदन में जिस विकास समिति का सुझाव दिया गया है उसकी नियुक्ति कर दी गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस समिति द्वारा परियोजनाओं की योजना के बारे में किये गये निर्णय सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। अब उसे पढ़ कर निर्णय करना माननीय सदस्य के ऊपर निर्भर करता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल इतना जानना चाहते हैं कि जैसा कि सुझाव दिया गया था, समिति को नियुक्ति की जा चुकी है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी नहीं, इस विवरण में समिति की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसीलिये मैं ने कहा था कि जुलाई की बैठक में जो निर्णय किये गये थे वे सभा पटल पर रख दिये गये हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : विवरण के अनुबन्ध २ के अनुसार यह प्रस्ताव है :

"सिंचाई के विकास के लिये समिति की नियुक्ति करना और दल द्वारा सुझाव दी गई कृषि सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करना...."

क्या समिति नियुक्त की जा चुकी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उसने इस बात पर जोर दिया है और उसको राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है तथा इस समिति की नियुक्ति करना और समय-समय दी गई रिपोर्टों की पुनरीक्षा कर के उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देना राज्य सरकार का काम है।

†**श्री तंगामणि** : एक सुझाव इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा बनाने के सम्बन्ध में भी था। इस प्रकार की पदाली बनाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह अभी भी राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

†**श्री नाथ पाई** : राज्य सरकारों के ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेज दिया था और उस ने राज्य सरकारों को इस के महत्व को भी जोर देकर बता दिया है। इस विषय पर अभी सारी राज्य सरकारों ने निर्णय नहीं किया है ; कुछ राज्य सरकारें अभी भी इस पर विचार कर रही हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस दल की वे मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सिफारिशें हैं कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जो सिफारिशें उसने स्वीकार की हैं केवल उन्हीं पर अपना निर्णय दिया है किन्तु कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो उस ने नहीं स्वीकार की हैं। इस दल द्वारा अध्ययन करने के पश्चात् कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं जो सरकार ने स्वीकार नहीं की हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानना चाहता था कि मैं इस प्रश्न की अनुमति दूं अथवा नहीं। कितनी सिफारिशें की गई थीं ? यदि सिफारिशों की संख्या अधिक है तो मैं इस प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने केवल मुख्य सिफारिशों के बारे में पूछा हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य सिफारिशें सौ भी हो सकती हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : दो-तीन सिफारिशें ही स्वीकार नहीं की गई होंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न चाहे कितना भी रोचक क्यों न हो किन्तु मैं एक प्रश्न पर इस प्रकार समय समाप्त नहीं कर सकता। क्या माननीया मंत्री यह बता सकती हैं कि ऐसी सिफारिशों की संख्या कितनी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वह एक बड़ी लम्बी सूची है। अतः उसे पढ़ सकना सम्भव न होगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : तो फिर क्या मैं विशिष्ट सिफारिशों के बारे में पूछ सकता हूं ? क्या दल द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि चम्बल बोर्ड का चेयरमैन पूर्णकालिक होना चाहिये और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह तो विवरण में पहले ही से दिया हुआ है । यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ें तो उन्हें पता लगेगा कि उस में लिखा हुआ है कि नियंत्रण बोर्ड के लिये पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति करना इस प्रक्रम पर आवश्यक नहीं समझा गया।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं तो केवल इसके कारण पूछ रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस दल की एक सिफारिश थी कि नियंत्रण बोर्ड में एक कृषि-विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना चाहिये। क्या इस विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा चुकी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उसने इस परियोजना के लिये एक कृषि-विशेषज्ञ अथवा कृषि विभाग की संस्था की नियुक्ति के महत्व पर जोर दिया है, जिस पर राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं और वे यथासम्भव उसे कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

अध्यापक

†*७१२. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा है जिस में अध्यापकों की दशा सुधारने के लिये निवेदन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]**

†**श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा के कार्य-क्रम में अध्यापक-वर्ग का असन्तुष्ट होना एक प्रमुख बाधा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं जानता कि मूल प्रश्न से यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है । वास्तव में अध्यापकों में व्याप्त उस असन्तोष को दूर करने और उनकी दशा सुधारने की दृष्टि से सुझाव दिया गया था ।

†**श्री संगण्णा** : क्या अध्यापक वर्ग की दशा सुधारने के लिये केन्द्र से विभिन्न राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, मैं सदन को कई बार बता चुका हूं कि अध्यापकों के वेतनों में बृद्धि करने के लिये वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से पता लगता है कि प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि अध्यापकों को राज्य स्तर के अथवा अन्य समारोहों पर एक निश्चित मान्यता दी जाये ? अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य-स्तर के अथवा अन्य समारोहों पर कहां तक मान्यता दी गई है और क्या सरकार को इस के बारे में कोई विस्तृत जानकारी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राज्य सरकारों ने बताया है कि वे सामान्य रूप से जो सुझाव दिया गया है उस से सहमत हैं । फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने के लिये राज्यों को उनकी आवश्यकता के आधार पर जो अनुदान दिया गया था उसका सारे राज्यों के उपयोग कर लिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न - इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । माननीय सदस्य को इसके लिये मुझे अलग पूर्व सूचना देनी होगी ।

पत्तन तथा गोदी मजदूरों की हड़ताल

\+

†*७१३. { **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री दामानी :
श्री तंगामणि :
श्री एन्थनी पिल्ले :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) जून, १९५८ में पत्तन तथा गोदी मजदूरों की हड़ताल में कितने पत्तनों में असैनिक पत्तन प्राधिकारियों की सहायता करने के लिये स्थल और जल सेना के कर्मचारियों से उनके पास खड़े रहने के लिये कहा गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने पत्तनों में पत्तन प्राधिकारियों ने वास्तव में स्थल और जल सेना के कर्मचारियों से पत्तन और ोदी का काम करने का निवेदन किया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उन से किस प्रकार के काम की आशा की गई थी और किन कार्यों के लिये उन्हें इन पत्तनों में रोका गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कोचीन और विशाखा पटनम नामक पत्तनों में अनिवार्य सेवा चलाये रखने के लिये स्थल और जल सेना के कर्मचारियों से सहायता देने के लिये निदेश दिया गया था।

(ख) जब वास्तव में हड़ताल हुई तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापटनम में सशस्त्र सेनाओं से सहायता के लिये निवेदन किया गया था और उसकी व्यवस्था कर दी गई थी। स्थल एवं जल सेना कर्मचारियों ने केवल अनिवार्य सेवा चलाते रहने में सहायता की थी। उन्होंने इन पत्तनों को अपने हाथ में नहीं लिया था।

(ग) स्थल और जल सेना कर्मचारियों ने निम्न अनिवार्य सेवाओं को चलाते रहने में सहायता की थी :—

(१) अनिवार्य सामान जैसे खाद्यान्नों और नमक, रेलवे द्वारा प्रयोग के लिये कोयला और तेल शोधक कारखानों के लिये तेल उतारने ;

(२) जहाजों और पत्तन सम्बन्धी उपकरणों की सुरक्षा;

(३) पावर हाउस चलाना ; और

(४) नौवहन सम्बन्धी सहायता बनाये रखना।

†**श्री तंगामणि** : उपमंत्री महोदय ने बताया है कि स्थल सेना और जल सेना कर्मचारियों की भर्ती केवल बड़े पत्तनों में अनिवार्य सेवा बनाये रखने के लिये की गई थी। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि मद्रास पत्तन से स्थल और जल सेना कर्मचारियों के वापस ले लिये जाने के पश्चात् जिन मजदूरों को क्रेन तथा और चीजों की मरम्मत करने के कारण दो दिन तक कार्य आरम्भ करने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी थी ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं समझ नहीं सका। क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहराने की कृपा करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है कि स्थल सेना कर्मचारियों ने क्रेन तथा अन्य चीजों को कुछ क्षति पहुंचाई थी।

†**श्री तंगामणि** : मैं स्वयं जानता हूं कि दो क्रेनें तीन दिनों तक काम नहीं कर सकीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी कठिन परिस्थिति में जो कुछ हो सकता था, किया गया था।

राज्यों के ऋणों का समेकन

†*७१४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सङ्घ सरकार ने राज्यों के केन्द्रीय ऋण के समेकन और पुनर्भुगतान की शर्तों के लिये उपयुक्त कार्यवाही पर और आगे विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : विषय अभी विचाराधीन है ।

†**श्री पाणिग्रही** : विभिन्न राज्यों को अब तक कितना ऋण दिया गया है और क्या किसी राज्य ने उसका पुनर्भुगतान कर दिया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वित्त आयोग ने १९५६ के अन्त तक कुल ९०० करोड़ रुपये की राशि पर विचार किया है । किन्तु उसके बाद से ऋण में पर्याप्त वृद्धि हो गई है और अब तक राज्य सरकारों को संख्या में लगभग छः हजार ऋण दिये गये हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या किसी राज्य ने इन ऋणों का भुगतान कर दिया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कुछ ऋणों का भुगतान कर दिया गया है, और कुछ का भुगतान किया जा रहा है किन्तु उसकी राशि बहुत कम है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों से उस ऋण के भुगतान करने के बारे में कोई छूट देने का निवेदन किया गया है जो उन राज्यों में बड़ी-बड़ी नदी घाटी परियोजनायें बनाने में व्यय किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सभी राज्य वही छूट चाहते हैं । किन्तु सरकार के लिये छूट देते चले जाना सम्भव नहीं है ।

†**श्री प्रभात कार** : प्रश्न यह था कि क्या उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल ने कोई निवेदन किया था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : स्वीकृत किये गये ऋणों में शरणार्थियों का पुनर्वास भी सम्मिलित है । अधिकांश सरकारों द्वारा छूट देने और समय की अवधि बढ़ा देने के बारे में निवेदन प्राप्त हो रहे हैं । इन पर बराबर विचार किया जा रहा है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमने इस पर निर्णय कर लिया है ।

†**श्री प्रभात कार** : विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस से क्या अन्तर पड़ता है ? वह यह कहती हैं कि किसी राज्य के पक्ष में कोई अपवाद नहीं बरता जा रहा है । प्रत्येक राज्य छूट चाहता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : राज्यों द्वारा देय ९०० करोड़ रुपये में से वार्षिक भुगतान कितना देय होता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वार्षिक भुगतान किया जा चुका है इसका निश्चित उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

अनैतिक पण्य का दमन

+

†*७१९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
{ **श्री वाजपेयी** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क सङ्घ राज्य क्षेत्र में स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) १. अधिनियम की धारा २३ के अधीन नियम बना दिये गये हैं ;

२. जी० बी० रोड और काठ बाजार नामक दो वेश्यावृत्ति के क्षेत्र कमला मार्केट में स्थापित एक नई पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में रख दिये गये हैं।

३. अधिनियम की धारा १३ के अधीन एक डिप्टी सुपरिंटेण्डेंट पुलिस को विशेष पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और अधिनियम के अधीन सात मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामलों की सुनाई करने की शक्ति दे दी गई है ;

४. अधिनियम की धारा १३ (३) (ख) के अधीन एक गैर-सरकारी मंत्रणादाता बोर्ड की स्थापना विशेष पुलिस पदाधिकारी को अधिनियम की कार्यपद्धति पर मंत्रणा देने के लिये की गई है ; और

५. अधिनियम के अधीन नारी निकेतन का उपयोग फिल हाल सुरक्षा-गृह के रूप में किया जा रहा है ।

(ख) अगस्त, १९५८ के आरम्भ तक ८९ स्त्रियां और ४५ पुरुष।

†**सरदार इकबाल सिंह** : स अधिनियम के अधीन नियम कब बने और लागू हुए थे ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह अधिनियम १ मई, १९५८ को लागू किया गया था। नियम तो बहुत पहले ही बनाये जा चुके थे, और राज्यों में परिचालित किये जा चुके थे तथा हमें राज्यों से उत्तर भी प्राप्त हो गये हैं। तत्पश्चात् सम्पूर्ण देश में अधिनियम लागू किया गया है।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में वेश्याओं की एक आम सभा में माननीय विधि मंत्री ने सभापतित्व करते हुए इस बात का आश्वासन दिया था कि सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर के कठोरता का परिचय नहीं देगी ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : पहले तो मैं ने इसका सभापतित्व नहीं किया। इस सभा के सभापति फारवार्ड ब्लाक के हेमेन्द्र बोस थे। मुझ से केवल आमंत्रित व्यक्ति के रूप में सभा में उपस्थित होने के लिये कहा गया था। वास्तव में भीड़ काफी थी। मेरे सभा में उपस्थित होने से पूर्व मुझे एक संकल्प दिया गया था, जो ११ मई की एक सभा में पास किया गया था जिसमें वाम पक्ष के अधिकांश लोगों के साथ ही श्री नारायण राय, श्री हेमन्त बोस, श्री अमर बोस तथा अन्य लोगों ने भी भाषण दिये थे और जिसमें यह विशिष्ट अभ्यावेदन किया गया था कि जब तक महिला गृहों की स्थापना नहीं की जाती तब तक उन्हें उनके निवास स्थानों से नहीं निकाला जाना चाहिये। जब ये संकल्प मुझे दिये गये, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह आशा करते हैं कि मुझे इन पर विचार करना चाहिये था। जब मुझ से सभा में पूछा गया तो मैं ने कहा था कि सरकार की नीति यह नहीं कि उन्हें दूसरा स्थान दिये बिना सड़कों पर निकाल दिया जाये। अधिनियम के उपबन्धों में भी इसका उल्लेख है कि ऐसे सुरक्षा गृहों की स्थापना की जाये।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या कोई सुरक्षा गृह स्थापित किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा** : ऐसे गृह विभिन्न भागों में स्थापित किये गये हैं और जहा कहीं ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका वहां प्रयत्न किये जा रहे है और दिल्ली में वह विद्यमान गृह सुरक्षा गृहों में बदल दिये गये हैं ।

†**श्री जाधव** : क्या, दिल्ली में ऐसी स्त्रियों और लड़कियों की संख्या कितनी है, इसका पता लगाया गया था ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी नहीं ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अधिनियम मई, १९५८ से क्यों नहीं लागू किया जबकि इस वृत्ति वाली स्त्रियां और लड़कियां दिल्ली से जाकर मेरठ में बस गई ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह नहीं कि अधिनियम वहां लागू नहीं किया गया । किन्तु जब अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया तो स्वाभाविक था कि कुछ स्त्रियां उन अन्य स्थानों को चली-जायें जिनको वे अपना व्यवसाय चलाने के लिये सुरक्षित समझती थीं ।

विदेशों को देय ऋण

†*७१७. **श्री त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के लिये दिये गये आर्डरों के संबंध में भारत पर ८८० करोड़ रुपये का ऋण है ; और

(ख) उपर्युक्त ऋण के देशवार अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात के रूप में लगभग १४८ करोड़ रुपये विदेशी ऋण लिया गया था । यदि माननीय सदस्य विदेशों को दिये गये आर्डरों का उल्लेख कर रहे हैं तो उनका ध्यान वित्त मंत्री द्वारा १३ अगस्त, १९५८ को विदेशी विनिमय स्थिति सम्बन्धी विवरण के पैराग्राफ ७ की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें बताया गया है कि "सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में किये गये वादों के लिये १ अप्रैल, १९५८ तक ८८७ करोड़ रुपयों का भुगतान अभी करने को है ।" इन वादों में से पूंजीगत वस्तुओं का अनुमान लगभग ६६० करोड़ रुपये लगाया गया है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में कुल देय शेष राशि सम्बन्धी जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]** गैर-सरकारी क्षेत्र में ऋण के लिये किये गये वादों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री त्यागी : क्या विभिन्न देशों में व्यापार संतुलन में जो कुछ हम पर उधार है उसे घटा कर कुल ८८७ करोड़ रुपये हम पर ऋण है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका संकेत कुछ विदेशी विनिमय की कमी में मिल जायेगा जो ५६० करोड़ रुपये निश्चित की गई है । १ अप्रैल, १९५८ को हमारे ऋण के वादों की कुल राशि (जारी किये गये आयात लाइसेंसों को मिला कर) पूंजीगत वस्तुओं के आयात और अर्थ-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये ८८७ करोड़ रुपये थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी:** द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो व्यय किया जा रहा है उस पर कुल कितना ऋण हो गया है, मैं इस के बारे में जानकारी चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने ऋण का वादा किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** विधिक चर्चा के संबंध में मैंने यह जानकारी दे दी है।

†**श्री त्यागी :** अन्य तीन वर्षों में कितने ऋण का अनुमान लगाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना प्रश्न पढ़ें : "क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के लिये दिये गये आर्डरों के संबंध में भारत पर ८८० करोड़ रुपये का ऋण है ?" जिसका माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि १४८ करोड़ रुपये का ऋण हमारे ऊपर है। उन्होंने यह प्रश्न तो नहीं पूछा कि सम्पूर्ण पांच वर्षों में कुल कितने ऋण का वादा किया गया है ?

†**श्री त्यागी :** यह मेरा अनुपूरक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** इन ऋणों पर कुल कितना ब्याज हो गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं अलग से पूर्व सूचना चाहता हूं।

टेक्निकल शिक्षा

†*७१८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टेक्निकल शिक्षा के प्रसार के लिये अब तक कितनी और किन-किन देशों की सरकार से सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) प्राप्त की गई सहायता किस प्रकार की है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]**

†**श्री हेम बरुआ।** क्या यह सच है कि राकफेलर फाउन्डेशन ने हाल ही में इस देश के विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों में गवेषणा कार्य के लिये काफी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ? यदि हां, तो उसमें कितना प्रतिशत टेक्निकल शिक्षा में गवेषणा कार्य के लिये रखा जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** राकफेलर फाउन्डेशन से सरकारी तौर पर अभी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। राशि मिलने का वादा होते ही हम इस ओर आवंटन करने पर निश्चय ही सोचेंगे।

सेना के ट्रक

†*७२३. **श्री परुलेकर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५२ में मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, को ३ टन वाली ४×४ १५०० डॉज गाड़ियां संभरण करने के लिये आर्डर दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसकी कोई शिकायत प्राप्त हुई थी कि खराब गाड़ियों का संभरण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम्पनी के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या निर्णय किया गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) १९५२ में इस फर्म को १५०० ३ टन की ४ × ४ गाड़ियों के संभरण के लिये दो आर्डर दिये गये थे ।

(ख) से (घ). खराब गाड़ियों के संभरण की एक शिकायत मिली थी जिसकी जांच विशेष पुलिस प्रतिस्ठान द्वारा की गई थी । जांच-पड़ताल के पश्चात् यह पता लगा कि फर्म के विरुद्ध दाण्डिक विधि नहीं लगाई जा सकती । इस मामले की वैभागिक जांच-पड़ताल की गई और पता यह लगा कि फर्म ने कुछ पुराने पुर्जे लगा दिये थे । फर्म ने इस बात की गारंटी दी थी कि यदि पुराने पुर्जे तीन साल के अन्दर खराब हो गये तो वह उन्हें निःशुल्क बदल देगी यद्यपि सामान्य अध्याभूति केवल तीन मास की है । इन विदेशों में रूप भेद कर दिया गया है और सेना निरीक्षकों को अब वह अनुमति नहीं प्राप्त होगी कि वे उस गाड़ी को, जिसमें पुराने पुर्जे लगे हों, नई के समान उन पर अपनी स्वीकृति दे सकें ।

†**श्री परुलेकर** : क्या यह सच है कि जिस व्यक्ति ने यह जानकारी सरकार को दी प्रीमियर आटोमोबाइल कम्पनी वालों ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की है ?

†**सरदार मजीठिया** : उसका किसी भी दशा में प्रतिरक्षा मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है और प्रतिरक्षा विभाग को उसका पता नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस कम्पनी ने सेना को खराब पुर्जे दिये, क्या सरकार और गाड़ियों के लिये किसी दूसरी कम्पनी को आर्डर देगी ?

†**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैं कह चुका हूं ये पुर्जे खराब नहीं अपितु इस्तेमाली थे । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसका मतलब समझते हैं । जब पुर्जे अलग-अलग आते हैं तो उनमें कुछ गड्ढे आदि भी हो सकते हैं जिन्हें बाद में मिस्त्री ठीक कर लेते हैं । यह स्टैंडर्ड प्रक्रिया न केवल यहीं अपितु इंग्लिस्तान और अमरीका तक में है ।

† **श्री जाधव** : नई गाड़ियों के लिये आर्डर दिया गया था अथवा पुरानी की मरम्मत करके उन्हें देने के लिये कहा गया था ?

†**सरदार मजीठिया** : गाड़ियां तो नई थीं किन्तु कुछ पुर्ज इस्तेमाली थे, और इस्तेमाली के क्या तात्पर्य होते हैं, यह मैं बता चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मध्य क्षेत्रीय परिषद् और डाकू उपद्रव

†६९६. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य केन्द्रीय परिषद् की किसी बाद की बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डाकू उपद्रव की समस्या पर और आगे विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दीर्घकालीन अनिर्णीत समस्या को शीघ्र हल करने के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). मध्य क्षेत्रीय परिषद् की तीसरी बैठक में क्षेत्र में सामान्य पुलिस रक्षा बल बनाने के प्रश्न पर विचार करते समय इस मामले पर विचार किया गया था। समिति ने खंड के लिये एक सामान्य पुलिस रक्षा दल बनाने की संभावना की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है।

छोटी कोयला खानों के एकीकरण सम्बन्धी समिति

†*६९९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कोयला खानों के एकीकरण से संबंध रखने वाली समिति के प्रतिवेदन के बारे में कब निर्णय हो जायेगा ; और

(ख) प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही कब की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). सरकार ने कोयला खानों के एकीकरण के सिद्धान्त को तो मोटे रूप से मान लिया है और बलवन्त राय मेहता समिति द्वारा सुझाये गये तरीके से एकीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देने का निर्णय कर लिया है। स्वेच्छा से एकीकरण करने के कार्य के प्रचार के लिये एक समिति पहले ही स्थापित की जा चुकी है। तत्संबंधी आदेश की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]** दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है एकीकरण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में उपयुक्त विधान तैयार करना। इस विषय पर इस समय विचार किया जा रहा है और इसके विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली

†*७००. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के जन्तर-मन्तर के नवीकरण के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) क्या इसे राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जन्तर-मन्तर का ढांचा पक्का है और उसके नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी छोटी छोटी जरूरी मरम्मत कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(ख) ८ जनवरी, १९५८ को यह एक रक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था, परन्तु उसके कर्मचारियों की अभी तक संघ पुरातत्व विभाग में तबदीली नहीं की गयी है।

पैराशूट

†*७०७. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ में पैराशूटों की खरीद पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ख) सशस्त्र बलों के लिये अपेक्षित पैराशूट किस किस देश से प्राप्त किये जाते हैं ;

(ग) क्या देश में तैयार किये जाने वाले पैराशूट काम के लिये उपयुक्त सिद्ध होते हैं ; और

(घ) देश में तैयार किये जाने वाले पैराशूट की कीमत आयात किये गये पैराशूटों की कीमत की तुलना में कैसी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) सभा में इस प्रकार की जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

(ख) इंग्लैंड, अमरीका और फ़्रांस।

(ग) और (घ). देश में निर्मित पैराशूटों के नमूनों का परीक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देश में निर्मित पैराशूटों की कीमत की आयात किये गये पैराशूटों की कीमत से तुलना उसी समय की जा सकेगी जब कि परीक्षण के सफल हो जाने के बाद अधिक परिमाण में इकट्ठा ही निर्माण किया जायेगा ?

हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन

७०९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २११६ के उत्तर के संबंध में यह

---

†मूल अंग्रेजी में

बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन के कार्य की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच क्या प्रगति की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : कमेटी के नये चेयरमेन ने अपना काम शुरू कर दिया है। आशा है कि कमेटी सितम्बर, १६५८ के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

इंगलैण्ड के बैंक-दर

†*७१५. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड के बैंक-दर में १/२ प्रतिशत कमी करके उसे ५ प्रतिशत कर देने का देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है ;

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) इंग्लैंड के बैंक-दर में आखिरी परिवर्तन १४ अगस्त, १६५८ को किया गया था जब कि उसे ५ प्रतिशत से घटा कर ४ $^{१}/_{२}$ प्रतिशत कर दिया गया था। अनुमान है कि इसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में पूंजी विनियोग

†*७१६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में पूंजी विनियोग के लिये विदेश स्थित भारतीयों को आकृष्ट करने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना के ब्यौरे क्या क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). विदेशियों को जिनमें विदेशों में रहने वाले भारतीय भी सम्मिलित हैं, भारत में धन विनियोग के लिये अधिक सुविधायें देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का सुरक्षण[१]

†*७२०. **श्री रा० च० माझी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में चलाई जा रही प्रविधिक तथा शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने के मामले पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे अभी तक कितने मंत्रालय सहमत हो गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) ६.

---

[१]Reservation of seats.

†मूल अंग्रेजी में

द्राविड़ कज़गम संस्था

†*७२१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री ई० वी० रामास्वामी नायकर द्वारा चलाई गयी द्राविड़ कज़गम संस्था भारत के मानचित्रों और संविधान को जलाने का आन्दोलन फिर से प्रारम्भ करने वाली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनका नया नारा यह है कि भारत संघ से पृथक् हो कर एक अलग स्वतंत्र तामिलनाड राज्य की स्थापना की जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की वृत्तियों और आन्दोलनों को रोकने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). १३ जून, १९५८ को जेल से छूटने के बाद श्री ई० वी० रामास्वामी नायकर अपने कई भाषणों में यह कह चुके हैं कि कज़गम के आगामी आन्दोलन में तामिलनाड को छोड़ कर शेष भारत का मानचित्र जलाया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार स्थिति पर पूरी पूरी नजर रख रही है और जब भी आवश्यक हो वह उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

बम्बई को इस्पात का संभरण

†*७२२. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में अभी तक राज्य सरकार को कितना इस्पात संभरित किया गया था; और

(ख) राज्य को थोड़ा इस्पात देने के क्या क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) बम्बई को १९५७–५८ में ४७,२६८ टन और अप्रैल, १९५८ में ४,१६६ टन इस्पात संभरित किया गया था। शेष आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) उसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) इस्पात के लिये बढ़ती हुई मांग ।

(२) देश में इस्पात का उत्पादन इतना अधिक नहीं है कि उससे देश की मांग पूरी की जा सके ।

(३) विदेशी मुद्रा की कमी और उसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण मांग के अनुसार इस्पात का आयात करना कठिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के बुनियादी स्कूलों के शिक्षक

†*७२४. { **श्री बासुदेवन् नायर :**
श्री वारियर :
श्री अ० क० गोपालन् :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बुनियादी स्कूलों के शिक्षकों को मार्च और अप्रैल महीनों के वेतन जून, १६५८ में दिये गये थे ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इन शिक्षकों को मई, जून और जुलाई, १६५८ के महीनों के वेतन अभी तक नहीं मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) : बुनियादी स्कूलों के शिक्षकों को मार्च और अप्रैल के महीनों में वेतन देने में कुछ देर हो गयी थी क्योंकि अस्थायी पदों के लिये मंजूरी देने में देर लग गयी थी और लेखा परीक्षण द्वारा उठाई गयी कई बातों को सुलझाने में देर लग गयी थी। वेतन मई, में दे दिये गये थे, परन्तु जो शिक्षक छुट्टियों के कारण यहां नहीं थे। उन्हें वेतन जून में मिले थे। जून और जुलाई के वेतन अदा किये जा चुके हैं और मई के वेतन अदा करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जा रहा है। मई के वेतनों की अदायगी में देर लगने का कारण यह है कि बुनियादी स्कूल ३१ मई, १६५८ को दिल्ली निगम के हवाले कर दिये गये थे ।

बिना साफ किया हुआ तेल

*७२५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :—

(क) बिना साफ किये हुये भारतीय तेल अर्थात् तेल क्षेत्रों से अशुद्ध रूप में प्राप्त तेल का मूल्य क्या है और विदेशों से आयातित बिना साफ किये हुये तेल का मूल्य क्या है;

(ख) बिना साफ किया हुआ तेल किन-किन देशों से मंगाया जाता है ;

(ग) साफ किये हुये मिट्टी के तेल और पैट्रोल का थोक और खुरदरा मूल्य क्या है; और

(घ) इस समय भारत में तेल साफ करने के कितने कारखाने हैं और अगले पंचवर्षीय योजना काल में तेल साफ करने के कितने और कारखाने खोलने की आशा है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]**

भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल

†*७२६. { **श्री राममू :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की शिकायत है; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) भारत सरकार को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई । परन्तु निर्वाचन आयोग को कुछ एक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह कहा गया है कि लगभग १,२०० पात्र निर्वाचकों के नाम उस नामावली से छोड़ दिये गये हैं ?

(ख) सभी शिकायतों का आशय यह था कि निर्वाचक नामावली से बहुत से व्यक्तियों के नाम गलती से छोड़ दिये गये हैं और इसलिये इस बारे में जांच की जाये ।

(ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मौके पर व्यक्तिगत रूप से जांच करके यह आदेश दिया कि उक्त मामलों के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१ (३) के अधीन विशेष पुनरीक्षण किया जाये । उसके परिणामस्वरूप १०६६ व्यक्तियों के नाम नामावली में लिख लिये गये ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†*७२७. **श्री वैं० चं० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ और १६ फरवरी, १९५८ को राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गयी इस सिफारिश के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये किसी एक वर्ष के लिये मंजूर की गयी राशि में से शेष बची हुई अनुपयुक्त राशि का अगले वित्तीय वर्ष के जून मास के अन्त तक उपयोग कर लिया जाये ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : राज्य सरकारों को सहायक, अनुदान देने के सम्बन्ध में एक नया तरीका सोचा गया है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई भाग तो राज्य सरकारों को मई मास से लेकर ९ मासों तक ९ बराबर की मासिक किस्तों में अदा किया जायेगा और अन्तिम किस्त गत तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर और अन्तिम तिमाही के लिये तैयार किये गये यथार्थ प्राक्कलन के आधार पर दी जायेगी ।

इस्पात का आयात

†*७२८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में भारत से १०,००० टन अयस्यक क्षेप्य[1] के निर्यात के बदले में भारत में लगभग ४,५०० टन एम० एस० राऊण्ड बार वस्तु विनिमय के आधार पर आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या आयात और निर्यात के लिये अनुमति देने से पहले देश में विदेशी मुद्रा के लाभ अथवा हानि के बारे में विचार कर लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ferrous Scrap.

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां। अभी तक इस प्रकार के दो वस्तु विनिमय सम्बन्धी निर्णय किये गये हैं ?

(ख) जी, हां ।

(ग) वस्तु विनिमय के व्यापारों में विदेशी मुद्रा में न लाभ होगा और न ही हानि, क्योंकि आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत निर्यात किये जाने वाले अयस्क क्षेप्य की कीमत के बराबर होगी—अर्थात् वह लगभग २० लाख रुपये होगी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा

†***७२९. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जो कि लड़कियों की शिक्षा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा, को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही ७५ प्रतिशत वित्तीय सहायता का लाभ उठा रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

१९५७–५८

१. बिहार
२. पश्चिमी बंगाल
३. उड़ीसा; और
४. मैसूर

११५८–५९

१. आसाम
२. मध्य प्रदेश
३. उड़ीसा
४. मैसूर
५. पश्चिमी बंगाल
६. त्रिपुरा; और
७. लक्कदीव द्वीप

कावेरी बेसिन का तेल सर्वेक्षण

†***७३०. श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कावेरी बेसिन का सर्वेक्षण करने और वहां पर तेल संसाधनों की संभावनाओं की खोज के लिये मद्रास राज्य में एक भूतत्वीय दल भेजने का विचार रखती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां पर कब से कार्य प्रारम्भ करने और प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य अक्तूबर, १९५८ में प्रारम्भ होगा । प्रारम्भिक सर्वेक्षण की पूर्ति प्राप्त होने वाले परिणामों पर निर्भर करती है ।

भारतीय नौसेना की विमान शाखा (एयर विंग)

†*७३१. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कई आई० ए० एफ़० वैम्पायर जेट विमानों को नौसेना को सौंप कर भारतीय नौसेना विमान विभाग का प्रथम जेट विमान बेड़ा तैयार करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या भारत द्वारा इंगलैण्ड से मंगाये जा रहे एयर क्राफ्ट कैरियर "हरकूलीज़" के लिये एक ब्रिटिश फर्म से कुछ एक जेट भी खरीदे जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि नौसेना जेट उड्डयन में नौसेना के चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय विमान सेना से कुछ एक वैम्पायर जहाज़ ले लिये जायें ;

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

आरम्भिक शिक्षा

†*७३२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भिक शिक्षा के विकास के लिये १९५७-५८ में मंजूर की गयी कुछ एक राशियों का कुछ एक राज्यों द्वारा पूरा उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]**

कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति

†*७३३. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री बोस :
डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १२ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९११ के

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या सिफ़ारिश की गयी है; और

(ग) उन सिफारिशों के सम्बन्ध में कब निर्णय किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह :)** (क) जी, नहीं। परन्तु समिति कुछ एक आखिरी बातों पर विचार कर रही है। आशा है कि वह शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

छावनी अधिनियम १९२४

†*७३४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ मार्च १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छावनी अधिनियम, १९२४ के प्रस्थापित संशोधन के सम्बन्ध में कोई और प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : सैनिक भूमि तथा छावनी निदेशक द्वारा छावनी अधिनियम, १९२४ की कुछ एक धाराओं में प्रस्थापित किये गये संशोधनों पर अभी मंत्रालय विचार कर रहा है।

उत्तुंग गवेषणा केन्द्र

७३५. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामान्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १२ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तुग गवेषणा के दो केन्द्रों को स्थापित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : अटमोस्फीरिक रिसर्च कमेटी की सिफारिशों पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड को विचार करना है, यह सिफारिशें बोर्ड की अक्तूबर १९५८ में होने वाली बैठक के सामने रखी जायेंगी।

दिल्ली में पथकर

†*७३६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि दिल्ली में पथकर समाप्त कर दिया जाये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) निगम ने सिफारिश की है कि उसकी सीमा के अन्दर पथकर समाप्त कर दिया जाये ।

(ख) और (ग). निगम की स्थापना से पहले दिल्ली के निम्नलिखित पांच स्थानीय प्राधिकारों में मोटर गाड़ियों पर पथकर लगता था :–

(१) दिल्ली नगर पालिका

(२) शाहदरा नगरपालिका

(३) नोटीफाइड एरिया कमेटी, महरौली

(४) नोटिफाइड एरिया कमेटी, नरेला

(५) नोटिफाइड एरिया कमेटी, नजफगढ़ ।

अब इन सभी प्राधिकारों के निगम में मिल जाने के कारण गाड़ियों के दिल्ली के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने पर कोई पथकर नहीं लगता, क्योंकि अब वे सभी क्षेत्र निगम के क्षेत्र में मिल गये हैं ? निगम को इस बारे में यह सम्मति दी गयी है कि वह अपने क्षेत्र के अन्दर तो पथकर समाप्त कर दे, परन्तु बाहिर से दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर से पथकर समाप्त न करे ।

अमरीका से ऋण

†*७३७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री पाणिग्रही :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी सचिव इस वर्ष अमरीका से और अधिक ऋण लेने की संभावनाओं के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अमरीका गये थे ;

(ख) क्या उन्होंने ऋण के लिये स्पष्टतया निवेदन किया था या कि इस सम्बन्ध में बातें हुई थीं; और

(ग) क्या उन्होंने विश्व बैंक और अमरीकन सरकार के वित्तीय अभिकरणों के अतिरिक्त वहां के गैर-सरकारी वित्तपोषकों और महाजनों से भी भेंट की थी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान १३ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये विवरण के दूसरे पैरे की ओर आकृष्ट किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सहायक देशों को अपनी वास्तविक स्थिति से पूर्णरूपेण अवगत रखने की प्रक्रिया के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग

†मूल अंग्रेजी में

के तत्कालीन प्रभारी सचिव जुलाई में वाशिंगटन गये थे। जैसा कि उपरोक्त पैरे में बताया गया है, सरकार यह महसूस करती है कि इसी समय इस सम्बन्ध में अधिक चर्चा करना देश के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†*७३८. **श्री वाजपेयी :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विधि मंत्री ने हाल ही में कलकत्ते की एक बैठक में यह कहा है कि वे अनैतिक पण्य दमन अधिनियम की कार्यान्विति से सहमत नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के वक्तव्य के विधि सम्बन्धी परिणामों के बारे में विचार किया है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) जी, नहीं। ३१ मार्च, १९५८ को वीडन स्क्वायर, कलकत्ता की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुये विधि मंत्री ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा था कि यदि वेश्याओं को कोई और स्थान दिये बिना और उनका पुनर्वास किये बिना ही उन्हें मजिस्ट्रेटों के आदेशों से अपने स्थान से हटा दिया गया, तो उससे लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होने का भय है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ की कार्यान्विति के विरुद्ध हैं। उनके शब्दों का सम्बन्ध तो अधिनियम के केवल उसी भाग से है जिसमें वेश्याओं को मजिस्ट्रेट के आदेश से हटाने की बात कही गयी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक वित्त निगम

†*७३९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम भारतीय उद्योगों के विकास में सहायता करने के लिये वर्तमान विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिये विदेशों में से ऋण इकट्ठा करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किसी भी बाहर के देश में से ऋण इकट्ठा करने की किसी भी प्रस्थापना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक सेना

†*७४०. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना की नगरीय यूनिट में परेड के लिये बहुत कम लोग उपस्थित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है; और

(ग) उपस्थिति को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां। कुछ एक नगरीय यूनिटों में।

(ख) जी हां। कम उपस्थिति का मुख्य कारण यह है कि नगरीय यूनिटों के लोग अपने व्यवसायों में ही अधिक समय तक काम करके पर्याप्त रुपया कमा लेते हैं। और उन्हें नियमित कार्य घंटों के बाद परेड के लिये आने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती।

(ग) महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा वाणिज्यिक सार्थों से यह प्रार्थना की गयी है कि वे प्रादेशिक सेना के अपने कर्मचारियों को परेड में भाग लेने के लिये प्रेरणा प्रदान करें। केन्द्रीय मंत्रणा समिति और राज्य मंत्रणा समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों से भी सहायता और सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने प्रादेशिक सेना के सुधार के सम्बन्ध में सहायता देना स्वीकार भी कर लिया है। फिर जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये और प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय सेना, छात्र दल और अन्य सहायक आन्दोलनों के कार्य को बढ़ाने के लिये कुछ एक नगरों, जैसे बम्बई और मद्रास में गैर-सरकारी ढंग की एक सरकारी संस्था बनायी गई है।

बाल अपराध

*७४१. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बाल अपराधों को रोकने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूप-रेखा क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) बाल अपराधों की रोकथाम के लिये जो योजनायें मंजूर की गई हैं उन्हें पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार दूसरी पंच साला योजना काल में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है।

(ख) मंजूर की गई हर एक योजना के आवर्तक खर्च का आधा भाग केन्द्रीय सरकार देगी।

पीतल की दुअन्नियां

†*७४२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले सप्ताह उड़ीसा में पीतल की दुअन्नियों के बदले जाने के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कटक की राज्य बैंक शाखा में पीतल की दुअन्नियों को वापिस लेने के लिये एक अलग काउण्टर खोला गया है ;

(ग) क्या राज्य बैंक ने यह निदेश भेज दिया है कि एक व्यक्ति से एक दिन में १० रुपये तक की दुअन्नियां ही ली जायें; और

(घ) क्या यह सच है कि कटक में राज्य बैंक के प्राधिकारी बदले जाने के लिये आई हुई पीतल की दुअन्नियों को स्वीकार करने के बाद उन्हें इस आधार पर काट देते हैं कि वे खोटे सिक्के हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट से यह नहीं ज्ञात होता कि निकल पीतल की दुअन्नियों के बदले जाने सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में कोई बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गयी थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह प्रतिबन्ध प्रारम्भ में केवल कर्मचारियों की कमी के कारण ही लगाया गया था । राज्य बैंक ने अब वह प्रतिबन्ध हटा दिया है ।

(घ) यह सच नहीं है कि बदले जाने के लिये आने वाली सभी दुअन्नियों को राज्य बैंक के प्राधिकारियों द्वारा काट दिया जाता है । केवल वे ही सिक्के जो जाली पाये जाते हैं काटे जाते हैं और उनका संगत नियमों के अनुसार उत्सर्जन कर दिया जाता है ।

न्यायिक प्रशासन का सुधार

†*७४३. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री बाल्मीकी :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **विधि** मंत्री १ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक प्रशासन के सुधार के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) न्यायिक प्रशासन के सुधार के बारे में विधि आयोग के प्रतिवेदन के सितम्बर, १९५८ के अन्त तक सरकार को दे दिये जाने की आशा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगारेनी कोयला खान

†*७४४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगारेनी कोयला खान ने अपनी खानों में थाक लगाने का काम आरम्भ करने के लिये कोयला बोर्ड से कुछ अनुदान मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह मंजूर कर दिया गया है; और

(ग) कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). इस कम्पनी ने २१ जनवरी, १९५८ को कोयला बोर्ड से ४० लाख रुपयो का ऋण मंजर करने के लिये आवेदन किया था। कोयला बोर्ड ने कम्पनी से उन मशीनों की कीमत का ब्यौरा देने का अनुरोध किया है जो उस थाक लगाने के संयंत्र में शामिल की जायेंगी जिसे कम्पनी खरीदकर लगाने वाली है, ताकि विहित प्रक्रिया के आधार पर उसके आवेदन-पत्र का निबटारा किया जा सके।

अमरीका के साथ भुगतान शेष स्थिति

†*७४५.. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत की वर्तमान भुगतान शेष स्थिति कैसी है और

(ख) यदि यह स्थिति प्रतिकूल हो तो उसका सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़े वर्ष १९५७–५८ के विषय में हैं, जिसमें अमरीका के साथ भारत के भुगतान शेष में चालू खाते में १०४ करोड़ रुपयों का घाटा था जब कि इससे पिछले वर्ष में यह घाटा ४१.४ करोड़ रुपयों का था। लेकिन, इस घाटे को अधिकांशतः वैदेशिक सहायता से पूरा किया गया। यदि इस प्रकार भुगताये गये आयात को अलग कर दिया जाय तो १९५७–५८ में चालू खाते में फालतू राशि बच रहेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भावनगर में तेल शोधनशाला

†*७४६. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस भारतीय उपक्रमी का नाम और एक फ्रांसीसी फर्म की सहायता से भावनगर में एक तेल शोधनशाला की स्थापना करने के लिये लगभग दो वर्ष पूर्व सरकार को दिये गये उस के प्रस्ताव की मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार का क्या परिणाम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मेसर्स न्यू ओरियेन्ट ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, बम्बई । उन्होंने आयात किये हुये अपरिष्कृत तेल की सफाई के लिये कुछ फ्रांसीसी पार्टियों के सहयोग से भावनगर में १२ लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक तेल शोधनशाला की स्थापना का प्रस्ताव किया था ।

(ख) तेल शोधनशालाओं को सरकारी क्षेत्र में ही रखने की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुये अभी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है ।

रूरकेला के इस्पात कारखाने को पानी का संभरण

†*७४७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के इस्पात कारखाने को पानी का संभरण करने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) अब तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना की लागत कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). रूरकेला के इस्पात कारखाने को पानी का संभरण ब्राह्मिणी नदी से किया जायगा । सूखे मौसम में नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी का संभरण सुनिश्चित करने के लिये मंदिर में ब्राह्मिणी की एक सहायक नयी संख के आरपार जलसंग्रह के लिये एक जलाशय का निर्माण किया जा रहा है । बांध पर मिट्टी सम्बन्धी काम पूरा हो चुका है और स्पिलवे[1] क्रेस्ट को सतह तक आ चुका है । हैड स्लूसगेट्स[2] आ गये हैं और लगा दिये गये हैं । काम पूरा होने पर आ गया है और ३१ दिसम्बर, १९५८ तक इसके पूरे हो जाने की आशा है । इस योजना की लागत १९२ लाख रुपये कूती गयी है ।

पम्पों द्वारा पानी लेने के स्थान पर काफ़ी गहराई सुनिश्चित करने के लिये ब्राह्मिणी के आरपार एक किप-अप-वेयर[3] का भी निर्माण किया जा रहा है । खुदाई का ५४ प्रतिशत और कंक्रीट का २३ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है । वेयर के जून, १९५९ तक पूरे हो जाने की आशा है । इसकी लागत ६० लाख रुपये कूती गयी है ।

कूट विश्वविद्यालय[4]

†*७४८. **श्री बाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ शिक्षा संस्थाओं की इस प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट हुआ है कि वह किसी केन्द्रीय अथवा राज्य-अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा सम्मिलित न होने पर भी अपने आप को विश्वविद्यालय कहने लगती हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने वाली है ; और

(ग) क्या ऐसी किसी भी संस्था के खिलाफ़ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Spillway.
2. Head Sluice gates
3. Pick-up-weir
4. Peudo-University.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सरकार को अर्से से इस बात का पता है ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]**

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†**११२५. श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कर्मचारियों को अपने देश में प्रशिक्षित करने के बारे में ब्रिटिश कंसर्टियम का क्या उत्तरदायित्व है; और

(ख) अब तक उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को किस सीमा तक पूरा कर लिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). यदि बारीकी से देखा जाये तो कानूनी तौर पर ब्रिटिश कंसर्टियम का कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन वह मदद करने को राजी हो गये हैं और उन्होंने मदद की भी है । उन्होंने ब्रिटिश स्टील फेडरेशन से ब्रिटिश इस्पात के कारखानों में ३०० भारतीय इंजीनियरों के लिये उचित प्रकार के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने की व्यवस्था कर ली है और इनके प्रशिक्षण का खर्च कोलम्बो योजना के अधीन दिया जायेगा । उन्होंने ब्रिटेन में अपनी सदस्य फर्मों के कारखानों में १०० भारतीय इंजीनियरों को काम पर रखा है और इनके अलावा १२५ से ऊपर इंजीनियरों को दुर्गापुर में लगाया है । ये भारतीय इंजीनियर बहुत सा उपयोगी अनुभव प्राप्त कर लेंगे और इस्पात के कारखानों में और आगे होने वाली भर्ती के सम्बन्ध में बहुत काम आयेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी

११२६. श्री पदम देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित **प्रश्न** संख्या २४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने कर्मचारी अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में कितने कर्मचारी स्थायी पदों पर काम कर रहे हैं और उनका प्रोबेशन काल कब समाप्त होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) करीब ४८९० (१-४-१९५८ के अनुसार) ।

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या १३५० हैं । इनमें से ४३७ कर्मचारियों का प्रोबेशन काल इस वर्ष और १४३ का १९५९ में समाप्त होने वाला है । बाकी कर्मचारी अपने पदों पर केवल आफीशिएट कर रहे हैं जिन पर दूसरे कर्मचारियों का स्थायी हक[1] है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lieu

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चे

†११२७. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और भूतपूर्व जरायम-पेशा जातियों के कल्याण के लिये १९५७–५८ में कुल कितनी राशि के अनुदान बम्बई सरकार के सुपुर्द कर दिये गये थे; और

(ख) उसी अवधि में बम्बई सरकार ने वास्तव में कितनी राशि व्यय की ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]**

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई की कल्याण विस्तार परियोजनायें

†११२८. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष १९५७–५८ के लिये बम्बई राज्य को कुल कितनी कल्याण-विस्तार परियोजनायें आवंटित की हैं।

(ख) कितनों ने काम करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यह किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) २६ ।

(ख) २५ ।

(ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]**

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करना।

†११२९. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में १९५७ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कितने व्यक्ति सरकारी नौकरियों में रखे गये ; और

(ख) उसी अवधि में नियुक्त किये कुल व्यक्तियों की तुलना में उनकी संख्या कितनी प्रतिशत बैठेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क)

	अनुसूचित जातियां .	१४२
	अनुसूचित आदिम जातियां .	१७६
(ख)	अनुसूचित जातियां	१०.३८ प्रतिशत
	अनुसूचित आदिम जातियां . .	१२.८७ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को प्रोद्भूत सम्पत्ति

†११३०. **श्री दामानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजगमन द्वारा या व्ययगत हो कर या स्वामिहीनत्व के कारण १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितनी राशि या कितने मूल्य की सम्पत्ति संघ सरकार को प्रोद्भूत हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर को केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के अनुदान

†११३१. **श्री सिदय्या :** क्या **शिक्षा** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सहायता पाने वाली मैसूर राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों के नाम और उन में से प्रत्येक को दी गयी राशि दिखाई गयी हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** अपेक्षित जानकारी का विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९२]**

राजस्थान को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान

†११३२. **श्री ओंकार लाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री राजस्थान के प्रत्येक जिले की उन सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें १९५६–५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुदान मिले हैं और उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३]**

राजस्थान में विज्ञान मन्दिर

†११३३. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री राजस्थान राज्य के उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनमें १९५८–५९ में विज्ञान मंदिरों की स्थापना की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** राजस्थान राज्य में पिलानगत (जिला अजमेर) और भुमेरपुर (जिला पाली) में दो विज्ञान मंदिरों की स्थापना की जा चुकी है और इस वित्तीय वर्ष में और भी विज्ञान मंदिरों की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है । अभी उनके स्थानों के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है क्योंकि यह कार्य राज्य सरकार के परामर्श से किया जायेगा ।

आन्ध्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

†११३४. **श्री मं० वें० कृष्ण राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में आन्ध्र राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों

---

†मूल अंग्रेजी में

और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये जो राशि दी गयी थी उसमें से कितनी व्यय की गयी है; और

(ख) यह राशि किस प्रकार की योजनाओं पर व्यय की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य-सरकार से एकत्र की जा रही है और मिलते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स होकटीफ गमान बम्बई

११३५. श्री खुशवक्त राय : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री हिन्दुस्तान स्टील, लिमिटेड द्वारा होकटीफ गमान, बम्बई को दिये गये ७,७७,९४,००० रुपये के ठेके की एक प्रति सभा-पटल पर रखे की कृपा करेंगे ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान १३ अगस्त, १९५८ को दिये गये प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें इस ठेके के मुख्य लक्षण वर्णित थे। सरकार के विचार में ठेके की प्रति सभा-पटल पर नहीं रखी जानी चाहिये ।

राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†**११३६. श्री ओंकार लाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कितनी राशि दी है; और

(ख) उपर्युक्त आवंटन के अधीन कौन कौन सी विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क)

	राज्य-क्षेत्र	केन्द्रीय-क्षेत्र	जोड़
	(लाख रुपयों में)		
अनुसूचित जातियां . . .	४.१५	३.३५	७.७०
अनुसूचित आदिम जातियां . .	८.१०	८.८०	१६.९०

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९४]**

विभिन्न परियोजनाओं के लिय राजस्थान को सहायता

†**११३७. श्री ओंकार लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं के लिये १९५८–५९ में कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : १८ अगस्त के तारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर में बतायी गयी विकास योजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की

†मूल अंग्रेजी में

पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन १९५८-५९ में राजस्थान को अपनी विभिन्न विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता केवल फरवरी, १९५९ के अंतिम पखवारे में ही विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में मंजूर की जायेगी जिससे उनका सम्बन्ध होगा ।

प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय

†११३८. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार और जर्मन परामर्श दाताओं के बीच १५ अगस्त, १९५७ को हुये करार के खण्ड ८ के अधीन जर्मन परामर्शदाताओं द्वारा भारतीयों के प्रशिक्षण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** ३१ मार्च, १९५८ तक ८,८१,८२४ रुपये ।

विश्वविद्यालयों के अध्यापक

†११३९. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों ने अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-क्रम लागू नहीं किये हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९५]**

इंजीनियरिंग कालेज

†११४०. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ नये इंजीनियरिंग कालेजों और २७ नयी डिप्लोमा संस्थाओं की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ये संस्थायें किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दसुया में तेल सर्वेक्षण

†*११४१. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के लिये पंजाब में दसुया क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उससे वहां तेल मिलने की संभावनाओं का कोई संकेत मिलता है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में व्यापक रूप से खोज आरम्भ करने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ): परिणामों की ब्यौरेवार संगणना की जा रही है। इस क्षेत्र में कार्य के और आगे के कार्यक्रम पर भूकम्पीय सर्वेक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के बाद विचार किया जायेगा।

भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के कर्मचारी

†११४२. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में कुल कितने श्रमिक काम करते हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को क्वार्टर दे दिये गये हैं; और

(ग) १९५८–५९ में कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जाने वाला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड से पता चला है कि परियोजना अधिकारियों ने भिलाई में १३.१२८ और दुर्गापुर में १८०० श्रमिक रखे हैं। इन में से क्रमश: ३०५४ और ५५७ श्रमिकों को क्वार्टर दिये गये हैं।

(ग) १९५८–५९ में कम्पनी भिलाई में ४२५० और दुर्गापुर में १४०० क्वार्टरों का निर्माण करने वाली है।

शिक्षा संस्थाओं का विकास

†११४३. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों के स्तर की शिक्षा संस्थाओं के सुधार और विकास के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ रुपयों की जिस राशि की व्यवस्था की गयी थी उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय को ५ करोड़ रुपयों की जो राशि दी गयी थी वह सम्बद्ध कालेजों में विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार और उसके विकास के लिये थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिस समय यह उपबन्ध किया गया था उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबद्ध कालेजों को अनुदान देने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालयों और उनमें शामिल कालेजों तक ही सीमित था ।

उसके बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (१) के खंड (घ) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन एक विनियम बना लिया है जो संबद्ध कालेजों को भी उसके क्षेत्र के भीतर ले आता है । भारत सरकार ने ८ अप्रैल, १९५८ को इस विनियम का अनुमोदन किया और उसी तिथि से यह लागू हो गया । लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकारों के प्रबन्ध में चलने वाले संबद्ध कालेजों को अनुदान न देने का निश्चय किया है और इसलिये इन कालेजों की जिम्मेदारी फिलहाल केन्द्रीय सरकार पर ही रहेगी ।

मद्य-निषेध

†**११४४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २५५ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) राज्यों के किन-किन नये क्षेत्रों में १९५८ में तब से मद्य-निषेध लागू किया गया है;

(ख) इस अवधि में किन किन क्षेत्रों में कुछ छूट दी गयी है, यह छट किस प्रकार की है और क्यों दी गयी हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ढिलाई करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई पत्र भेजा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९६]**

छात्र निकेतन[1]

†**११४५. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में छात्र-निकेतनों, क्लबों और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इनकी स्थापना की गयी है; और

(ग) १९५८ में इन पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Student Houses.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी नहीं । लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड-यूनिवर्सिटी सर्विस के सहयोग से एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की है। इस परियोजना के अनावर्तक व्यय का ५० प्रतिशत अंश पूरा करने के लिये सरकार ने विश्वविद्यालय को ५०,००० रुपयों का अनुदान दिया था । अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के अन्य विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है । उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन दो छात्र निकेतनों के निर्माण और अलीगढ़, बनारस, पटना, उस्मानिया और पंजाब विश्वविद्यालयों के अधीन छात्रावासों में न रहने वाले विद्यार्थियों के लिये ६ क्लबों की स्थापना की योजना का अनुमोदन कर दिया है । अभी तक इन में से किसी को भी क्रियान्वित करने के लिये कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ग) कुछ भी नहीं ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

†११४६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कोडियान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पढ़ाई के भिन्न-भिन्न माध्यमों वाले देश के विभिन्न भागों में स्थानांतरण के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने में प्रतिरक्षा कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णा मेनन)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]**

राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास

†**११४७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री ३ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास की स्थापना के सम्बन्ध में तब से कितनी प्रगति हुई है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: यह मसला अब भी विचाराधीन है

मल ले जाना

†११४८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बै० च० मलिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल को टोकरों या बाल्टियों में ले जाने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बनाने के लिये हरिजन कल्याण के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने जो उप समिति नियुक्त की थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लाइब्रेरियनों के प्रशिक्षण के लिये संस्था

†११४९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लाइब्रेरियनों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्था की स्थापना के जिस प्रस्ताव पर दिल्ली विश्वविद्यालय में चर्चा की जा रही थी; उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: तब से इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है और इस संस्था की स्थापना और इसे चलाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली विश्व-विद्यालय के लिये १,०८,९९४ रुपयों का अनुदान मंजूर किया गया है ।

यमुना के किनारे के गांव

†११५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना के किनारे के उन १२ गांवों को, जो वार्षिक बाढ़ के खतरे से पीड़ित रहते हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हटाने के सम्बन्ध में और आगे कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नये स्थानों पर जमीनों के नक्शे बनाने और ब्लाकों और प्लाटों पर निशान लगाने का काम पूरा हो गया है और साबापुर गुजरान के निवासियों को छोड़ कर शेष सभी सम्बन्धित गांवों के निवासियों को प्लाट एलाट किये जा चुके हैं । इसके अलावा, ३ जुलाई, १९५८ को सम्बन्धित गांवों के निवासियों की एक सभा बुलाई गयी थी और उसमें उन्हें मकान बनाने के लिये ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया और इस प्रकार की सहायता देने की शर्तें व निबन्धन उन्हें समझा दिये गये हैं और उन्हें यह सलाह दी गयी है कि वे ऋण के लिये आवेदन पत्र भेज दें ।

(ख) लगभग २·८२ लाख रुपये ।

नया युद्ध सामग्री-कारखाना

†११५१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित युद्ध-सामग्री कारखाने के लिये स्थान का चुनाव करने के सम्बन्ध में तब से कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो लगभग किस समय में यह कारखाना काम शुरू कर देगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). यह मसला अब भी विचाराधीन है ।

केन्द्रीय आर्थिक सेवा और केन्द्रीय सांख्यकीय सेवा

†११५२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सरकार ने सिद्धांत रूप में केन्द्रीय आर्थिक सेवा और केन्द्रीय सांख्यिकीय सेवा के गठन का अनुमोदन किया है । योजनाओं के प्रारूप तैयार कर लिये गये हैं और अब उन पर विचार किया जा रहा है ।

ब्यौरे के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होते ही ये सेवायें गठित कर दी जायेंगी ।

कलकत्ते का विज्ञान और उद्योग संग्रहालय

†११५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री २५ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते के बिड़ला विज्ञान और उद्योग संग्रहालय की स्थापना में और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९८]**

जाली नोट

†११५४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक जो जाली नोट पकड़े गये हैं उनकी कुल कितनी कीमत है और वह कितने कितने मूल्य के हैं; और

(ख) क्या अपराधियों का पता लगा और क्या उन्हें दण्डित किया गया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक-व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) १९५७ में और १९५८ की पहिली तिमाही में पकड़े गये विभिन्न मूल्यों वाले जाली नोटों की कीमत का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९]**

(ख) राज्यों से यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शस्त्र अधिनियम

†११५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार ने शस्त्र अधिनियम में संशोधन करने के अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विधेयक कब तक लाया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है और आशा है कि विधेयक संसद् के चालू सत्र में ही पुरःस्थापित किया जा सकेगा ।

दिल्ली में तकावी ऋणों में छूट

†११५६. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के काश्तकारों को तकावी ऋणों में छूट नोटिस समय से जारी नहीं किये जाते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भुगतान आमतौर पर सीजन खतम होने के बाद किया जाता है जिससे छूट देने का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). केवल "अधिक अन्न उपजाओ योजना" के अधीन मंजूर किये तकावी ऋणों पर निम्न शर्तों के पूरे होने पर छूट मंजूर की जाती है :—

(१) ऋण की राशि लेने या मीमेन्ट मिलने की तिथि से छः महीने के भीतर कुएं का निर्माण ।

(२) जिस क्षेत्र के लिये ऋण दिया गया हो उसके ७५ प्रतिशत भाग में लगातार २ वर्षों तक अनाज या तरकारियां पैदा करना ।

जो ऋण लेने वाले इन शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें छूट दे दी जाती है और उनके खाते में उसका हिसाब पूरा कर दिया जाता है ।

छूट के नोटिस देने या नकद छूट का भुगतान करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि की खरीद

११५७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जमुना नदी और बांध के मध्य पड़ने वाले गांव के लोगों को बसाने के लिये भूमि किस भाव खरीदी गई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्हें फिर से बसाने के लिये यह किस भाव बेची जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) भूमि प्राप्ति अधिनियम के मातहत अब तक ली गई प्रति वर्ग गज जमीन की कीमत १९ से ४३ नये पैसे तक है । नजूल जमीन की अनुमानित लागत एक रुपया प्रति वर्ग गज और शहरी इलाके की जमीन की ४ रुपये प्रति वर्ग गज है ।

(ख) देहाती इलाकों के प्लाटों को बेचने की कीमत उनकी प्राप्त करने की वास्तविक लागत के मुताबिक ही तय की जायेगी । जिन लोगों को जमीन दी जा रही है उन सब से फिलहाल २५ नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से वसूली की जा रही है लेकिन बाद में वास्तविक लागत के मुताबिक ही इसका बिठाव[1] किया जायेगा ।

शहरी इलाके के प्लाट अनुमानत: चार रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से लिये गये हैं लेकिन उनकी वसूली दो रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से की जायेगी । इसके अलावा उनके खरीदारों को चार रुपये प्रति वर्ग गज उनके विकास की अनुमानित लागत के रूप में देना होगा । फिलहाल उनसे भी २५ नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से ही वसूली की जा रही है । शेष ५ रुपये ७५ नये पैसे उन्हें कर्ज के रूप में दिये गये समझे जायेंगे जो उनसे थोड़ा थोड़ा करके सालाना किश्तों में ब्याज के साथ वसूल किये जायेंगे ।

मध्य प्रदेश में आदिमजातियों का कल्याण

११५८. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आदिमजातियों के रतलाम और झाबुआ जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रत्येक वर्ष में सरकार ने केन्द्र की सहायता से कितने कामों, जैसे कल्याण केन्द्र, बढ़ई-गिरी के केन्द्र और बुनाई केन्द्र तथा मिलाने वाली सड़कें बनाने के काम, की मंजूरी दी है; और

(ख) केन्द्र ने मध्य प्रदेश सरकार को इस काम के लिये कितनी राशि दी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]**

विदेशों में पढ़ने के लिये आदिवासियों को छात्रवृत्तियां

११५९. **श्री डामर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४ से आज तक कितने आदिवासियों को सरकारी छात्रवृत्तियां देकर उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजा गया;

(ख) उन्हें किन किन देशों को भेजा गया; और

(ग) जिन्हें विदेश भेजा गया उनमें मध्य प्रदेश के आदिवासी कितने थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Adjustment.

भारत का संविधान

११६०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **विधि** मंत्री २० मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच संविधान का संशोधित हिन्दी संस्करण प्रकाशित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) भारत के संशोधित संविधान का अंग्रेज़ी मूल पाठ सहित हिन्दी संस्करण छप तो चुका है, किन्तु इसके मूल्य का प्रश्न विचाराधीन होने के कारण अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है;

(ख) २४,१७३ रु० ३० नये पैसे (चौबीस हज़ार एक सौ तिहत्तर रुपये तीस नये पैसे) ।

मशीनरी के लिये टेंडर

†११६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के कारखानों के लिये आवश्यक मशीनरी के बारे में संसार के सभी भागों से टेंडर मांगे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम जिनसे ये टेंडर मांगे थे व जिनके टेंडर स्वीकार किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). रूस के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत भिलाई के कारखाने के लिये आवश्यक संयंत्र तथा उपकरणों का संभरण रूस करता है ।

दुर्गापुर के कारखाने के लिये केवल एक अभिकरण, इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रकशन कंपनी, के साथ करार किया गया है जो कि इस कारखाने के लिये सभी प्रकार के संभरण तथा निर्माण सामग्री व मशीनरी लगाने के लिये सम्पूर्ण प्रबन्ध करेगा ।

रूरकेला के कारखाने में भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) लगाने में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह निश्चय किया गया कि इस कारखाने के लिये रोलिंग मिलों के विभिन्न भागों के संभरण के लिये जर्मनी की कुछ चुनी हुई फर्मों के साथ पत्र-व्यवहार किया जाये ।

रूरकेला के कारखाने के लिये संसार के जिन जिन देशों से टेंडर मंगवाये गये हैं उनकी सूची लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१]**

रूरकेला में इस्पात गलाने के संयंत्र तथा इन तीनों कारखानों में कुछ अन्य छोटे छोटे कामों के लिये कुछ सीमित लोगों से ही टेंडर मांग गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में लौह अयस्क

†११६२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राजस्थान में कुछ लौह अयस्क निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर; तथा

(ग) प्रत्येक स्थान में कितना कितना लौह अयस्क है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) इन स्थानों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

अलवर :—कुशालगढ़, तेहला, भालगढ़ और राजगढ़

बूंदी :—उभर, खेनिया, दतून्दा, लोहारपुरा, भैरोंपुरा और नरेनपुरा

जयपुर :—रायपुर और जैतपुर के बीच, राय आलो, निमला, हिंडौन और करकर

जोधपुर :—बोमादरा, गिरि, बरोतिया

उदयपुर :—रायपुरा और गंगरार के बीच, ढोनी, थाना, कमालपुरा और पारसोला

किशनगढ़ : कंचरिया ।

भरतपुर :—हथोरी ।

अजमेर : कुशनपुरा और नन्द ।

(ग) अभी प्रत्येक स्थान की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

लाहौल में प्राणिकीय सर्वेक्षण

†११६३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के लाहौल क्षेत्र में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा प्राणिकीय सर्वेक्षण किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है तथा उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर):** (क) तथा (ख). एक जर्मन राष्ट्रजन श्री जे० शमडिट, शीघ्र ही भारत सरकार के प्राणिकीय सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी के साथ पश्चिमी हिमालयाई क्षेत्र में लाहौल तथा मनाली की घाटियों में प्राणिविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण करने जा रहे हैं ।

एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति

†११६४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह **की बताने** कृपा करेंगे कि क्या एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति की मुख्य प्राविधिक परीक्षक संगठन को समाप्त करने की सिफारिश के बारे में कोई अन्तिम निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: प्राक्कलन समिति ने एक स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण अभिकरण बनाने का सुझाव दिया था। एम० ई० एस० पुनरीक्षण समिति के सुझाव को प्राक्कलन समिति के सुझाव के प्रकाश में देखा जा रहा है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निश्चिय हो जाने की आशा है।

येन ऋण[1]

†११६५. **सरदार इकबाल सिंह:**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री वें प० नायर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जापान द्वारा भारत को दिये गये येन ऋण का उपयोग करने के लिये क्या योजना सोची है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : अभी इस योजना पर जापान के आयात बैंक के साथ मिल कर विचार किया जा रहा है।

भटिंडा का किला

†११६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में भटिण्डा स्थित किले की मरम्मत पर १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितना रुपया खर्च किया गया था; और

(ख) १९५८-५९ में कितना पया खर्च करने का संकल्प है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क)

वर्ष	राशि रुपये
१९५६-५७	१३,६२२
१९५७-५८	२९,०८१

(ख) १५,७१५ रुपये

भारतीय नौवहन समवायों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

†११६७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौवहन समवायों द्वारा १९५७-५८ के दौरान में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में।
[1]Yen Credit.

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : अभी तक भारतीय नौवहन समवायों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के १९५६ के वर्ष तक के आंकड़े उपलब्ध हो सके हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जहाजी कम्पनियों से १९५७-५८ के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

पंजाब में राष्ट्रीय सेना छात्र दल

†११६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में राष्ट्रीय सेना छात्र दल में कितने सेना छात्र हैं ; तथा

(ख) कितने डिवीज़न काम कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: पंजाब में सेना छात्र दल में ४४० अधिकारी व १५,८१० सेना छात्र हैं। विभिन्न डिवीज़नों व विंगों में उनकी संख्या इस प्रकार है :

	अधिकारी	सेना छात्र
सीनियर डीवीज़न		
स्थल सेना पार्श्व (आर्मी विंग)	१२८	५,५०७
वायु पार्श्व (एयर विंग)	२	१६०
जूनियर डिवीज़न		
स्थल सेना पार्श्व (आर्मी विंग)	२५९	८,५४७
नौ-सेना पार्श्व (नेवी विंग)	१०	३३०
वायु पार्श्व (एयर विंग)	१२	३९६
गर्ल्स डिवीज़न		
सीनियर लड़कियां	१८	५४०
जूनियर लड़कियां	११	३३०
कुल	४४०	१५,८१०

उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

†११६९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी तक वकालत पेशे में से उच्च न्यायालयों में कोई न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जी हां। १९५८ में अब तक ४ व्यक्तियों को सीधे स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। ३ व्यक्तियों को जो कि पहले अतिरिक्त न्यायाधीश थे स्थायी न्यायाधीश बनाया जा चुका है। ९ व्यक्तियों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत इलेक्ट्रोनिक्स (प्राईवेट) लिमिटिड

†११७०. **श्री मुहम्मद इमाम** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा मैसूर सरकार ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स (प्राईवेट) लिमिटिड कम्पनी में कितनी पूंजी लगाई है ;

(ख) (१) इमारतों तथा (२) मशीनरी पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) इसमें उत्पादन कब प्रारम्भ हुआ;

(घ) क्या यह कम्पनी घाटे में जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक प्रति वर्ष इसे कितनी हानि हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) भारत सरकार द्वारा ४०६.२५ लाख रुपये। मैसूर सरकार द्वारा कुछ नहीं ।

(ख) ३० जून, १९५८ तक

(१) १,३७,४५,१७६ रुपये

(२) ८४,९०,१७५ रुपये

(ग) जनवरी, १९५६ से

(घ) इसे १९५४-५५ से १९५६-५७ के सालों में घाटा हुआ ।

(ङ) १९५४-५५ में . .	६,६५,५९७ रुपये	कुल २२,९४,७६३ रु० के घाटे में से १९५५-५६ तक १८,८७,४७२ रुपये की राशि उत्पादन के प्रारम्भ होने से पहले के पूंजी व्ययों पर लगाई गई थी।
१९५५-५६ में .	१६,२९,१६६ रुपये	
१९५६-५७	६,८१,८६७ रुपये	इसमें से ४४,४४३ रुपये को पूंजी व्यय में डाल दिया गया तथा ६,१५,५८८ रुपये की राशि को अस्थगित राजस्व में डाल दिया गया ।
१९५७-५८		अभी तक लेख नहीं तैयार हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खनिज परामर्शदाता बोर्ड

†११७१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खनिज परामर्शदाता बोर्ड की हाल ही में हैदराबाद में कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निश्चय किये गये तथा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) सरकार ने उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२]**

आयकर की बकाया

†११७२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री इस सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में कितना आयकर लगाया गया, उसमें से कितना वसूल हुआ तथा कितना बकाया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : आयकर की राशि व वसूली तथा बकाया के आंकड़े प्रत्येक राज्य के अनुसार नहीं रखे जाते । फिर भी प्रत्येक आयकर-आयुक्त के अधीन भाग के लिये पिछले ५ वर्षों में निर्धारित आयकर की सूचना विवरण 'क' तथा वसूल किये गये आयकर की सूचना विवरण 'ख' में दी गई है । दोनों विवरण लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]**

पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक आयकर-आयुक्त के 'चार्ज' के अधीन आय-कर की बकाया के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं । इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र सभा पटल पर एक वक्तव्य रख दिया जायेगा ।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सम्मेलन

११७३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के वार्षिक सम्मेलन को देखने के लिये एक हज़ार से अधिक प्रतिनिधि दिल्ली में आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके रहने सहने का क्या प्रबन्ध किया है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : अक्तूबर १९५८ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वार्षिक सम्मेलन के सम्बन्ध में ८०० से अधिक प्रतिनिधि दिल्ली आने वाले हैं किन्तु उनकी ठीक संख्या के बारे में अभी कोई सूचना नहीं उपलब्ध हो सकी है । इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सचिवालय तथा प्रतिनिधियों के लिये दिल्ली के होटलों में पर्याप्त स्थान सुरक्षित करा लिये गये हैं । वैसे भारत सरकार पर उनके ठहरने आदि का कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी शिक्षा समिति

†११७४. **श्री बाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री निम्नलिखित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दी शिक्षा समिति ने ११ जुलाई, १९५८ को दिल्ली में हुई अपनी ११वीं बैठक में किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा की तथा उनके सम्बन्ध में क्या निश्चय किये हैं ; तथा

(ख) उन निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]**

दिल्ली के कालिजों में प्रवेश

†११७५. **श्री बाजपेयी :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राधा रमण :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री साधू राम :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली से मैट्रिक पास करने वाले अधिकांश विद्यार्थियों को दिल्ली के कालिजों में इस लिये प्रवेश नहीं मिल सका है क्योंकि शिक्षा संस्थाओं में बहुत अपर्याप्त स्थान थे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस समस्या का हल करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०५]**

तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

†११७६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की सीमा पुलिस ने शुक्रवार, ११ जुलाई, १९५८ को अतूरिया, पुलिस स्टेशन बदुरिया, जिला चौबीस परगना में तीन पाकिस्तानियों को अवैध रूप से ७८० तोला चांदी व १४०० रुपये के चांदी के सिक्के ले जाते हुए पकड़ा है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : जी हां। तीन पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है। उनके पास ७८० तोले चांदी के तीन टुकड़े व १४११ चांदी के पुराने रुपये बरामद हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनीतिक-पीड़ित

†११७७. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में कितने ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं जिनको कि १९५७–५८ में राजनीतिक पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता दी गई है; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति नकद तथा वस्तुओं तथा दोनों रूप में कितनी कितनी सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) तथा (ख). मई १९५८ में २४ व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति को ५०० रुपये नकद दिये गये हैं ।

त्रिपुरा अध्यापक संघ

†११७८. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा अध्यापक संघ से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

मनीपुर में किराया नियंत्रण

†११७९. **श्री नारायणकुट्टि मेनन** :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य में कोई किराया नियन्त्रण अधिनियम (रेंट कण्ट्रोल ऐक्ट) नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा चुका है । पिछले दिसम्बर मास में हुई गृह मंत्री की परामर्शदाता समिति ने इस पर विचार किया था । फिलहाल वहां पर कोई किराया नियन्त्रण अधिनियम (रेंट कण्ट्रोल ऐक्ट) लागू करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । किन्तु वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद कुछ साल बाद इस प्रश्न पर फिर विचार किया जाये ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी

†११८०. **श्री जाधव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत सचिवालय तथा स्थानीय न्यायालयों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों ने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ; और

(ग) तथा ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है कितने कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी घोषित किया जा चुका है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमि अभिलेख विभाग, त्रिपुरा

†**११८१. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा भूमि अभिलेख विभाग में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; तथा

(ख) इनमें से कितने स्थानीय कर्मचारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जून १९५८ को त्रिपुरा के भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण निदेशालय में ४१८ कर्मचारी थे ।

(ख) ४०३ ।

भूतपूर्व सैनिक

†**११८२. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ ने यह सुझाव दिया है कि भूतपूर्व सनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण कार्यों की देख रेख के लिये प्रतिरक्षा मन्त्रालय में एक पृथक् भाग खोला जाना चाहिये ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई विचार किया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). प्रतिरक्षा पहले से ही एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसलिये इस संघ ने कोई नया सुझाव नहीं दिया है । सरकार इस विषय पर सक्रिय विचार कर रही है । क्योंकि यह समस्या काफी बड़ी समस्या है तथा इसमें पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी इसलिये इस प्रस्ताव के परीक्षण में काफी समय लगेगा ।

हिमाचल प्रदेश में प्रतिकर भत्ता

११८३. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौराहा और इसी प्रकार के अन्य स्थानों पर रहने वाले हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि "पे कमीशन" की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जाये, और उस समय तक मौजूदा स्थिति में कोई तबदीली न की जाये ।

भूतपूर्व आजाद हिंद फौज के सैनिक

११८४ { **श्री प० ला० बारूपाल** :
श्री अब्दुल सलाम :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सनिकों को क्या सुविधायें दी हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के किसी सैनिक को ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०६]**

(ख) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । यदि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कही गई सहूलियतों का फायदा नहीं उठाया तो वह अपने रिकार्ड आफिस को आवश्यक जानकारी देते हुए इस बारे में अर्जी दे सकते हैं ।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय

†११८५. { **श्री थानू पिल्ले** :
श्री सुब्बया आम्बलम् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय पर कितना संस्थापन व्यय हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह व्यय नीचे दर्शाया जाता है :

	रुपये
कलकत्ता मुख्य कार्यालय .	२०,७४,८४१
बम्बई, रीजनल कार्यालय	२,०१,००७
मद्रास, रीजनल कार्यालय	१,१८,१३८
कुल	२३,९३,९८६

संघ लोक सेवा आयोग की आय

११८६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में संघ लोक सेवा आयोग को फीस के रूप में प्रति दिन औसत कितनी आय हुई :

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस के बदले ठहरने आदि की क्या सुविधायें देता है;

(ग) यदि ठहरने की सुविधायें नहीं दी जातीं : तो क्या सरकार का भविष्य में यह सुविधा देने का विचार है : और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-काय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) संघ लोक सेवा आयोग को फीस से १९५६-५७ में लगभग ४,५८० रुपये १९ नये पैसे और १९५७-५८ में करीब ३,४३५ रुपये २८ नये पैसे प्रति दिन के हिसाब से औसतन आमदनी हुई ।

(ख) से (घ) परीक्षा और इंटरव्यू में आने वाले इतने सारे उम्मीदवारों के ठहरने का प्रबन्ध करना संघ लोक सेवा आयोग या सरकार के लिये सम्भव नहीं है और न इस प्रकार का प्रबन्ध करने की कोई मांग ही की गई है ।

मनीपुर आदिवासी क्षेत्र

†११८७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मनीपुर के आदिवासी क्षेत्रों के लिये, जहां पर कि बारी से खेती की जाती है, १४ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी :

(ख) यदि हां, तो यह राशि किन योजनाओं पर व्यय की जायेगी : और

(ग) अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और कौन कौन सी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) ३१ मार्च, १९५८ तक की जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]**

फर्मों को आयकर से छूट

†११८८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार जिले में कुल कितने उद्योगों तथा संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों को आयकर से छूट मिली हुई है : तथा

(ख) इस छूट के क्या कारण हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) केवल एक ।

(ख) यह छूट आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ४(३)(१) के अन्तर्गत दी गई है ।

पंजाब को लोहा व इस्पात का आवंटन

†११९०. **श्री दलजीत सिंह** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष में पंजाब

†मूल अंग्रेजी में

राज्य को कुल कितना लोहा व इस्पात आवंटित किया गया और इस में से वास्तव में उसे कितना दिया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : पिछले तीन वर्षों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

	आवंटन	वास्तव में दिया गया
१९५५-५६	४३,९२०	४३,३४६
१९५६-५७ .	५७,१९६	२२,६८०
१९५७-५८ .	४३,९८३	२३,६१७

भूतपूर्व राजाओं पर व्यय कर

†११९१. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व देशी नरेशों को मिलने वाली निजी थैली (प्रिवी पर्स) की राशि पर भी कुछ सीमा तक व्यय कर लगेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; तथा

(ग) भूतपूर्व देशी नरेशों से इस कर से १९५८-५९ में कितनी आय होगी ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) अधिनियम की धारा २० के अनुसार भूतपूर्व देशी नरेशों को मिलने वाली निजी थैलियों (प्रिवी पर्स) की राशि के कुछ प्रतिशत पर ही व्यय कर लगाने का उपबन्ध है, और १९५८-५९ में इस की निर्धारणा उन की अन्य साधनों से होने वाली आय के साथ ही की जायेगी ।

(ख) भाग (क) में बताई गई प्रतिशत राशि इस प्रकार है :—

निजी थैली (प्रिवी पर्स) की पहली एक लाख की राशि पर .	७½ प्रतिशत
,, ,, ,, अगली एक लाख पर .	१२½ प्रतिशत
,, ,, ,, ,, ,, ,, .	२० प्रतिशत
,, ,, ,, ,, ,, ,,	२५ प्रतिशत
,, ,, ,, शेष राशि पर .	३३⅓ प्रतिशत

(ग) यदि सभी निजी थैली (प्रिवी पर्स) प्राप्त करके व्यक्ति इस का भुगतान करना स्वीकार कर लेते हैं तो उन से लगभग ६० से ७० लाख रुपये तक आय होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पंजाब को अनुदान

†११९२. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में कितनी सार्वजनिक संस्थाओं तथा संगठनों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान दिये गये व प्रत्येक संस्था को १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०८]**

संरक्षण तथा विकास नियम

†**११९३. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १२ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब प्राकृतिक गैस सम्बन्धी संरक्षण तथा विकास नियम बनाये जा चुके हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो मुख्य नियम क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तथा (ख). अभी तक यह नियम अन्तिम रूप में तैयार नहीं हुए हैं ।

सरकारी कर्मचारियों का अनिवार्य बीमा

†**११९५. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री १२ मार्च १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक निचली आयवर्ग के सरकारी कर्मचारियों का कम किस्तों पर अनिवार्य बीमा करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) तथा (ख). निचले आयवर्ग के सरकारी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से कम किस्तों पर बीमा करने की योजना का प्रश्न वेतन आयोग के सुपुर्द कर दिया गया है और अब आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

प्रौढ़ शिक्षा

†**११९६. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री निम्न सूचना सम्बन्धी एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने गांवों तथा नगरों में प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी योजना को तैयार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें कैसी हैं ; तथा

(ग) इन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में बढ़ई

†११९७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने में कितने विदेशी बढ़ई काम कर रहे हैं तथा उन्हें कितना वेतन दिया जाता है ; तथा

(ख) क्या जो काम विदेशी बढ़इयों द्वारा किया जा रहा है वह काम भारतीय बढ़इयों द्वारा भी किया जा सकता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) रूरकेला में काम करने के लिये १० फोरमेन बढ़ई तथा २६ विशेषज्ञ बढ़ई आये थे । इन में से ६ विशेषज्ञ बढ़ई वापस पश्चिमी जर्मनी लौट गये हैं । फोरमेन कारपेंटर को प्रतिदिन ७५ डी० एम० तथा ४० रुपये दिये जाते हैं और विशेषज्ञ बढ़ई को ६·५ डी० एम० तथा ४० रुपये दिये जाते हैं ।

(ख) भट्टियों (ब्लास्ट फर्नेस) में बेकरों के लिये शटर तैयार करने का काम एक जटिल काम है । इस के लिये वहां पर काम करने वाले अनेक भारतीय बढ़इयों को पथ प्रदर्शन व प्रशिक्षण देने के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञों का बुलाना अनिवार्य था ।

मशीनरी के लिये किराया

†११९८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला के इस्पात के कारखाने में विभिन्न निर्माण मशीनों के लिये कितना किराया दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : कुल १,७७,००० रुपये किराया दिया गया है । इस में से कुछ राशि जर्मन मार्क्स में तथा कुछ रुपयों में दी गई है ।

पंजाब से आयकर

†११९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में कितना आयकर ऐसा था जिसका निर्धारण हो चुका था और जो ३० जून, १९५८ तक वसूल नहीं हुई थी ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : ३० जून, १९५८ को ऐसी शेष राशि जिस का निर्धारण किया जा चुका था किन्तु जो वसूल नहीं हुई थी ३,९५,८२,००० रुपये थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब उच्च-न्यायालय में आयकर के मामले

†१२००. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५६ से अब तक पंजाब उच्च-न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में आयकर के कितने मामले लिये गये हैं ; और

(ख) अब तक कितने मामलों का निपटारा हो चुका है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :**

(क)	(१) पंजाब उच्च-न्यायालय में		९५
	(२) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में . . .		२,४५८
(ख)	(१) उच्च-न्यायालय द्वारा . .		४७
	(२) न्यायाधिकरण द्वारा . . .		१,०८२

हिमाचल प्रदेश में टैक्निकल शिक्षा

†१२०१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में टैक्निकल शिक्षा के लिये अखिल भारतीय टैक्निकल शिक्षा परिषद् द्वारा कोई योजना स्वीकार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर):** (क) हिमाचल प्रदेश को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टैक्निकल शिक्षा की ऐसी कोई योजना शामिल नहीं है जिस के लिये अखिल भारतीय टैक्निकल शिक्षा परिषद् की स्वीकृति जरूरी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूल

†१२०२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने गैर-सरकारी स्कूल हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है ;

(ख) उन में से कितने प्राइमरी स्कूल हैं ; और

(ग) इन स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १४२ ।

(ख) ११७ ।

(ग) ३७१४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में व्यायाम प्रशिक्षण

†१२०३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के स्कूलों व कालेजों में व्यायाम प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा कितने प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक रखे गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हिमाचल प्रदेश की सभी शिक्षा-संस्थाओं में व्यायाम शिक्षा एक अनिवार्य विषय पहिले ही कर दिया गया है ।

(ख) (१) उपाधि धारी २

(२) प्रमाणपत्रधारी २

(३) भूतपूर्व सेना कर्मचारी १९

(४) अप्रशिक्षित ५६

हिन्दी कक्षायें

†१२०४. **श्री साधूराम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७ में केन्द्रीय सचिवालय के कितने कर्मचारियों को हिन्दी कक्षाओं से लाभ हुआ है ; और

(ख) इस अवधि में पढ़ाने के लिये कितने शिक्षक रखे गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) सितम्बर १९५७ में समाप्त होने वाले पहिले सत्र में २,३८६ कर्मचारियों और अक्टूबर सन् १९५७ में प्रारम्भ होने वाले दूसरे सत्र में २,४४४ कर्मचारियों ने इन कक्षाओं से लाभ उठाया है ।

(ख) १६ ।

रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर चोरी-छिपे लाये गये सोने की जब्ती

†१२०५. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री राम कृष्ण :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अगस्त, १९५८ को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर लगभग ३,००० तोला सोना जब्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस में कितने व्यक्ति शामिल हैं और वे कहां के नागरिक हैं ; और

(ग) उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: (क) जी, हां। १६-८-५८ को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर ३,७५० तोला सोना जब्त किया गया था।

(ख) इस मामले में दो भारतीय पकड़े गये हैं।

(ग) उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की छान-बीन चल रही है।

दिल्ली में बाढ़

†१२०६. **श्री बा० चं० कामले :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फिलहाल की बाढ़ के परिणामस्वरूप सरकार की, उस से संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों की कुछ फाइलें और अन्य कागज़ात खो गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन की कुल संख्या क्या है ;

(ग) ये फाइलें और कागज़ात किन विषयों से सम्बन्धित हैं ;

(घ) क्या उन में कुछ गोपनीय कागज़ात भी हैं ;

(ङ) यदि हां, तो वे किन विषयों से सम्बन्धित हैं ;

(च) इन फाइलों तथा अन्य कागज़ातों को फिर से प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(छ) शहर में हाल की बाढ़ों से (१) सरकारी सम्पत्ति (२) नागरिकों की सम्पत्ति को किस सीमा तक और कितने मूल्य की क्षति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (च) ऐसी सूचना मिली है कि कुछ सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों के गोले हो जाने के कारण विशेष कर नई दिल्ली के क्वीन विक्टोरिया रोड पर स्थित कृषि-भवन की इमारत के तहखाने में रखे गये अभिलेखों को, काफी क्षति हुई है। परन्तु अपेक्षित जानकारी के अनुसार पूर्ण ब्यौरे तैयार नहीं हैं और अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में जो श्रम होगा वह कठिनता से उपलब्ध होने वाले फल के अनुकूल होगा।

(छ) १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गन्दी बस्तियों की सफाई संबंधी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मैं गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, । देखिये संख्या एल० टी०—८७३/५८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : म अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २३ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७०८ ।

(२) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करन वाला दिनांक २३ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७०९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० —८७४/५८]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन -शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) दिनांक १९ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६११ ।

(२) दिनांक ९ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६७८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—८७५/५८]

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्यमंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आप की अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि अगले सप्ताह सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा :—

(१) आज की कार्य-सूची से बचे हुए सरकारी कार्य पर विचार ;

(२) निम्न विधेयकों पर विचार तथा उन का पारित किया जाना :—

(एक) समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक ;

(दो) मनीपुर तथा त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक ;

(तीन) राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक ।

(चार) वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ;

(पांच) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार। आशा है कि विधेयक आगामी सप्ताह के आरम्भ में पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ।

(४) सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जा धारियों का निष्कासन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा उसका पारित किया जाना ।

(५) ३ सितम्बर, १९५८ को ४ बजे श्री राजेन्द्र सिंह तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर रेलवे भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णय संबंधी वक्तव्य पर चर्चा ।

सागर में विद्यार्थियों तथा सैनिकों में हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : श्रीमान्, सागर में अन्तर्विश्वविद्यालय हाकी टूर्नामेंट के समय दर्शकों के बीच मुठभेड़ के सम्बन्ध में १४ फरवरी, १९५८ को एक वक्तव्य इस सभा में दिया गया था । यह मुठभेड़ महार रेजीमेंट के सैनिकों, सागर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा स्थानीय जनता के बीच हुई थी । उस समय सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से कोई पत्र अथवा समाचार मिलने पर और आगे वक्तव्य दिया जायेगा । दुर्घटना के सम्बन्ध में दण्डाधिकारी का जांच प्रतिवेदन अब राज्य सरकार को मिल गया है और उसने उस पर विचार कर लिया है । राज्य सरकार ने अपने विचारों के समेत प्रतिवेदन की एक प्रति हमें भेज दी है । भारत सरकार तथा राज्य सरकार में हुये पत्र व्यवहार के आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि समय अधिक हो जाने के कारण तथा सम्बन्धित दलों में सामान्य सम्बन्ध बनाये रखने के लिये इस मामले को आगे न बढ़ाया जाये और दुर्घटना के पश्चात् स्थानीय पुलिस द्वारा रजिस्टर किये गये मामलों की पुलिस जांच बन्द करादी जाये । १४ फरवरी, १९५८ को दिये गये वक्तव्य में यह बताया गया था कि स्थिति सामान्य हो गई है और दुर्घटना के परिणामस्वरूप जो दुर्भावनायें उत्पन्न हो गई थी वह समाप्त हो गई हैं । तब से वातावरण को खराब करने वाली कोई दुर्घटना नहीं हुई है । इसलिये सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने का नहीं है तथा माननीय सदस्यों से भी उसकी अपील है कि वह ऐसी कोई बात न कहे जिसके कारण इस दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई विवाद उठ खड़ा हो ।

समितियों केलिये निर्वाचन

प्राणी विज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृति-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार के वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के दिनांक २३ मई, १९५८ के संकल्प संख्या एफ-१४-४३/५८-एस० २ की कंडिका २

---

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री हुमायूं कबीर]

के खंड (४) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्पों के अन्य उपबन्धों के अधीन भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण तथा भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के केन्द्रीय प्राणि विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में, नियुक्तियों की सूचना देने वाली गजट अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये अपने में से दो सदस्य चुने ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद बंगलौर

†**श्री हुमायूं कबीर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियमों के विनियम २.५ के साथ पठित उस संस्था की सम्पत्ति तथा निधि के प्रशासन तथा प्रबन्ध की योजना के खण्ड १४ के उपखण्ड (२) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, श्री से० वें० रामस्वामी के त्यागपत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्त पर उक्त योजना तथा विनियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन भारतीय विज्ञान संस्था परिषद् में १९५८ से १९६० तक की तीन वर्ष की असमाप्त अवधि में काम करने के लिये अपने में से एक सस्दय चुने ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

कार्य मंत्रणा समिति

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से, जो २८ अगस्त, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"इस रूप भेद के साथ कि वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ के लिये नियत समय को ७ घंटे से बढ़ा कर ९ घंटे कर दिया जाये ।"

कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिये ७ घंटे का समय नियत किया है । मैं इस विधेयक की संयुक्त समिति का सदस्य था और मेरा अपना विचार है कि यह विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण है । और इसके कुछ उपबन्धों के बारे में बहुत कुछ मतभेद है । विमति टिप्पणियों से ऐसा मालूम होता है कि संसद् में भी इस पर बहुत कुछ बहस होगी । इसके अलावा यह एक बहुत लम्बा विधेयक है । मेरा अपना सुझाव है कि सामान्य चर्चा के लिये ५ घंटे, खंडवार चर्चा के लिये ३ घंटे तथा तृतीय वाचन के लिये एक घंटा रखा जाये । इसलिये ७ घंटे का समय बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय विधेयक के लिये ४ घंटे का समय नियत किया गया है जो विधेयक के महत्व को देखते हुये बहुत कम समय है। इसका समय भी बढ़ाया जाना चाहिये।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** कार्य मंत्रणा समिति में हमने इन सभी बातों पर विचार कर लिया था। परन्तु फिर भी यदि आप चाहें तो दोनों विधेयकों का समय १ घंटा बढ़ा सकते हैं अर्थात् पहले का समय बढ़ा कर आठ घंटे तथा दूसरे का समय बढ़ा कर पांच घंटे कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक वाणिज्यिक नौवहन विधेयक का सम्बन्ध है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक बड़ा विधेयक है। मैं अपने स्वविवेक से एक घंटा तो बढ़ा ही सकता हूं परन्तु फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो सात घंटे से आठ घंटे किये जा सकते हैं। एक घंटा अध्यक्ष के स्व-विवेक से भी बढ़ाया जा सकता है।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय विधेयक छोटा सा विधेयक है और मैं समझता हूं इसके सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा चुका है उससे अधिक और कुछ नहीं कहा जाना है। खैर इसके लिये देखा जायेगा कि ४ घंटे कम हैं या ठीक। अगर कम हुआ तो एक घंटा बढ़ा कर इस पर पूरे दिन की चर्चा हो जायेगी।

प्रश्न यह है :

"कि श्री सत्य नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"'इस रूपभेद के साथ कि वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ के लिये नियत समय को ७ घंटे से बढ़ा कर ८ घंटे कर दिया जाये'।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से जो २८ अगस्त, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, इस रूपभेद के साथ सहमत है कि वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ के लिये नियत समय को ७ घंटे से बढ़ा कर ८ घंटे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी। १ घंटा ३५ मिनट तक सामान्य चर्चा और होगी। इसके बाद खंडवार विचार तथा तृतीय वाचन होगा जिसके लिये १।। घंटा और निश्चित किया गया है।

†**श्री झुनझुनवाला :** (भागलपुर) : श्रीमान्, यह संशोधन विधेयक इस लिये प्रस्तुत किया गया है ताकि सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित छूट की सीमा को १ लाख रुपये से कम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

करके ५०,००० रुपये कर दिया जाये । मेरा निवेदन है कि क्योंकि आजकल रुपये का मूल्य बहुत गिर गया है इसलिये सीमा घटाने से इसका बोझ मध्यमवर्ग पर पड़ जायेगा जो कि पहले ही बहुत दबा हुआ है । इस लिये मैं अनुरोध करता हूं कि यह सीमा १ लाख रुपये ही रहने दी जाये ।

दूसरी बात यह है कि सम्पदा शुल्क केवल मृतक व्यक्ति की सम्पदा पर ही लगाया जाना चाहिये । उसके उत्तराधिकारियों पर नहीं । इस संशोधन विधेयक में जो मृतक व्यक्ति के पैतृक वंशजों पर भी सम्पदा कर लगाने की बात कही गई है मैं उसको अनुचित मानता हूं और उसका विरोध करता हूं ।

संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी सम्पदा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं । मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री उनके शब्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर इस प्रकार का अनुचित कर लगाने के लिये आग्रह नहीं करेंगे ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं इस संशोधन विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत हूं । मैं समझता हूं आर्थिक दृष्टि से ऐसे कर लगाना आवश्यक है । परन्तु साथ ही हमें यह ध्यान भी रखना चाहिये कि इसका लोगों पर कैसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा तथा इससे कितनी आय होगी तथा इससे लोगों की रुपया बचाने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

जब लोगों को यह विदित होगा कि अब एक लाख रुपये की बजाये ५०,००० रुपये की सम्पति पर सम्पदा शुल्क लगेगा तब उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? जब से हमने नियोजन शुरू किया है रुपये की कीमत बहुत कम हो गई है । आज जिस सम्पत्ति का मूल्य हम ८०,००० रुपये लगाते हैं कुछ ही वर्षों में वह एक लाख रुपये की हो सकती है । ऐसी दशा में हमें सोचना होगा कि क्या इस सीमा को घटाना राष्ट्रीय हित में होगा अथवा अन्यथा । आज अधिकतर औद्योगिक कर्मचारियों को सरकार मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता दे रही है । यह मकान ३०,००० या ४०,००० की कीमत तक के हो जाते हैं । अब यदि किसी कर्मचारी के पास १०,००० रुपये की और सम्पत्ति हो तो उसकी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगने लगेगा । क्या इस प्रकार से छोटे छोटे कर्मचारियों पर सम्पदा शुल्क लगाना राष्ट्र के लिये हितकर होगा ? सरकार को इस विषय पर भली भांति सोच लेना चाहिये ।

अब मैं कृषि सम्पत्ति को लेता हूं । आज सरकार कृषि सम्पत्ति के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है । अब इस विधेयक में यह कहा गया है कि दो या अधिक राज्य एक संकल्प पास करके इस विधेयक को कृषि सम्पत्तियों पर भी लागू कर सकते हैं । इससे यह होगा कि जिसके पास १५ या २० एकड़ भूमि होगी उसको भी यह कर देना पड़ेगा । इससे कृषक मध्यम-वर्ग भी इसकी परिसीमाओं में आ जायेगा । इससे इसका और भी बड़े पैमाने पर अपवंचन शुरू हो जायेगा । और तब इसका सारा आर्थिक महत्व जाता रहेगा ।

मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पारित करने से पहले हम राज्य सरकारों से पूछ लें कि क्या वे इस विधेयक को कृषि सम्पत्तियों पर लागू करना चाहती हैं या नहीं । ग्रामों और नगरों की सम्पत्तियों में बड़ा अन्तर होता है । ग्रामों में सम्पत्ति का मूल्यांकन तथा कर संग्रह करना बड़ा कठिन है । इसलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें राज्य सरकारों से पूछ कर ही यह अनुसूची विधेयक में रखनी चाहिये। और यदि वे यह अनुसूची रखने का आग्रह भी करें तब भी हमें कम से कम कृषि सम्पत्ति के मामले में १ लाख रुपये की सीमा ही रखनी चाहिये।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : मेरे विचार में सम्पदा शुल्क के लिये अब भी अधिक छूट सीमा रखी गई है। यह अधिक से अधिक ३०,००० रुपये तक होनी चाहिये थी। लंका सीमा २०,००० रुपये की सीमा है। अगर हम समाजवादी ढंग का समाज बनाना चाहते हैं तो हमें यह सीमा और कम करनी चाहिये।

फिर हमने सम्पदा शुल्क की दरें भी बहुत कम रखी हैं। वर्तमान संशोधक विधेयक में हमने पहले दो खंडों में दरों में २ प्रतिशत की कमी कर दी है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी गल्त बात है। हर प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन किसी न किसी प्रकार के शोषण से होता है। सरकार को इस सम्पत्ति पर अधिक से अधिक कर लगाने का अधिकार है ताकि उस सम्पत्ति में से समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संयुक्त परिवार प्रथा का इतिहास तथा महत्व बड़े ज़ोरदार शब्दों में बताया है। किन्तु मैं पूछता हूं कि आज वह संयुक्त परिवार कहां है ? अब भारत में संयुक्त परिवार प्रायः लुप्तप्रायः सा हो रहा है। संयुक्त परिवार के पास आज जो सम्पत्ति है वह वर्तमान पीढ़ी की कमाई नहीं है। इसलिये उसपर कर लगाने में कोई अनौचित्य नहीं है। मैं समझता हूं उस पर कर लगाना ज़रूरी है।

मैं समझता हूं जिस रूप में यह विधेयक प्रवर समिति के बाद हमारे सम्मुख आया है इसका बचत तथा पूंजी विनियोजन पर सामान्यता कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हमने भूतपूर्व देशी नरेशों के सरकारी निवासस्थानों को सम्पदाशुल्क से छूट दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब वे कौन सा सरकारी काम करते हैं ? हमने उनको दानकर तथा व्यय कर से इस लिये छूट दी थी कि उन्होंने बड़ी शान्ति से अपने राज्यों को भारत में मिलाना स्वीकार कर लिया था। किन्तु अब उन नरेशों के उत्तराधिकारियों को भी ऐसी छूटें देना युक्तिसंगत नहीं दिखाई देता जब कि हमें भली भांति मालूम है कि आज वे अपनी प्रिवि पर्सों की रकम से जनहित तथा प्रजातन्त्र के विरोध में कितने हानिकर कार्य कर रहे हैं।

यह कहा गया है कि दान में दी गई सम्पत्ति पर उतना सम्पदा शुल्क लगेगा जितना कि उस पर दान कर लगेगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यह राशि दान कर अथवा वास्तविक सम्पदा शुल्क में से जो भी राशि अधिक हो उसके बराबर होनी चाहिये।

सैनिकों तथा उन आरक्षियों की सम्पत्ति पर, जो कि अपने कर्तव्य को निभाते हुये मरे हों, जो छूट दी गई है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। मेरे विचार में यह रियायत उन वैज्ञानिकों, कवियों, लेखकों तथा राजनीतिज्ञों को भी दी जानी चाहिये जिन्होंने कि देश की प्राणपन से सेवा की है।

अन्त में मैं इतना भर और कहना चाहता हूं कि संसद् जो भी विधि बनाये उसके प्रशासन के लिये उसे उचित व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोग उसकी त्रुटियों का अनुचित लाभ उठा कर किसी प्रकार का अपवंचन न कर सकें। उसे उस विधि के प्रशासन के सम्बन्ध में विशेष निगाह रखनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं प्रवर समिति को उसके श्रम के लिये धन्यवाद देता हूं। वर्तमान संशोधन विधेयक को देखते हुये उच्च खंडों में सम्पदा शुल्क की जो दरें रखी गई हैं उनसे हमें अधिक राजस्व प्राप्त होने की आशा नहीं है। और दूसरे इन दरों से हम कराधान के दूसरे उद्देश्य को अर्थात् सामाजिक विषमता को दूर करने के लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिये यदि उच्च खंडों में जा कर भी केवल ३५ प्रतिशत कर लगायेंगे तब आप बड़ी बड़ी सम्पदाओं का कैसे समीकरण कर सकेंगे ? इस लिये मेरा निवेदन है कि २ लाख रुपये से ऊपर की सम्पत्ति पर ८० प्रतिशत सम्पदा शुल्क लगाया जाना चाहिये।

मेरे मित्र श्री रंगा ने कृषि सम्पत्तियों में अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात का जिक्र किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि केवल कृषि सम्पदायों के लिये ही नहीं बल्कि मकानों, अन्य इमारतों तथा दुकानों आदि के सम्बन्ध में भी ऐसी सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि हम सम्पदा शुल्क की दरे अधिक बढ़ा दें तो हम इस उद्देश्य को इस विधेयक से पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार इस कर की दरें बढ़ाने से हम शहरी तथा देहाती जनता के बीच आर्थिक विषमता को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।

मेरे एक मित्र ने यह सुझाव दिया है कि छूट की सीमा ५०,००० रुपये से भी कम होनी चाहिये। उन्होंने कई अन्य देशों के उदारहण भी दिये हैं। यदि हम कर की दरें बढ़ा दें तो उनका यह उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। यदि हम दरें बढ़ा दें तो फिर मैं छूट की सीमा को और घटाने में कोई उपयुक्तता नहीं समझता।

श्री खाडिलकर ने यह अनुमान बताया है कि छूट-सीमा को ५०,००० रुपये तक घटा देने से लगभग ३० लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। मंत्री महोदय ने इसका कोई खंडन नहीं किया है और किसी भी अन्य पत्र में इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इससे मैं यह समझता हूं कि यह राशि ठीक ही होगी। अब हमें यह देखना है कि इतनी बड़ी असुविधा पैदा करके अगर हमें ३० लाख रुपये ही प्राप्त हुये तो यह कहां तक उचित है ? मैं समझता हूं निम्न मध्य वर्ग को इस विधेयक की परिसिमाओं में लाने के बाद कर के संग्रह में जितना श्रम होगा उसके मुकाबले में आय यथोचित नहीं है।

माननीय मंत्री ने एक बात और कही है कि इस विधेयक के लिये राज्य सरकारों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप छूट की सीमा १ लाख रुपये रखेंगे तो राज्य सरकारें स्वीकृति दे सकती है। किन्तु इसे ५०,००० रुपये तक घटा देने पर सम्भव है हमें यह स्वीकृति मिलना कठिन हो जाये।

मैं अपने मित्र से इस बात में सहमत हूं कि हम भूतपूर्व नरेशों को करों में कहां तक छट देते जायेंगे। मैं समझता हूं उन्हे सम्पदा शुल्क में छट देने में कोई न्याय नहीं है। भूतपूर्व नरेशों को अब कोई छूट नहीं दी जानी जाहिये।

एक ओर तो आप छूट की सीमा को घटा कर ५०,००० रूपये कर रहे हैं और दूसरी ओर आपने कर भुगताने की किश्तों की संख्या में कमी कर दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि मध्यम वर्ग के लोग इतनी बड़ी राशि को कैसे एकमुश्त या थोड़े समय की किश्तों में चुकता कर सकेंगे ? संशोधन विधेयक से पहले मूल अधिनियम में जितनी किश्तों में कर चुकान का उपबन्ध था उतनी किश्तें ही रहने देनी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं केवल धारा ३४ में संशोधन करने वाले खंड १३ के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरे विचार में वर्तमान विधेयक से मरूमाकट्यम तथा अल्यासंथाना विधि से शामिल होने वाली सम्पदाओं के मामले में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। इन विधियों में मिताक्षरा पद्धति की समांशिन्[1] की भांति कोई वस्तु नहीं है। मैं समझता हूं इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय इस अन्तर का ध्यान नहीं रखा गया है। इन विधियों के अन्तर्गत 'विभाजन' की कोई अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु अब तो इसकी अनुमति है।

†**श्री आचार** : हां, १९३४ में मरुमाकट्यम अधिनियम के पास होने के बाद अब मद्रास में वाद द्वारा अथवा अन्यथा अब विभाजन हो सकता है। किंतु दक्षिण कन्नड़ में अल्यासन्थाना विधि के अन्तर्गत अर्थ भी विभाजन नहीं हो सकता है। वहां पर एक व्यक्ति के मरने पर उसकी सम्पत्ति उसकी विधवा तथा बच्चों या उसके पैतृक वंशजों में नहीं बांटी जा सकती। उसकी सम्पत्ति उसकी बहन के लड़कों अथवा पिता की बहन के पुत्रों अथवा पितामह की संततियों में बंटती है। तात्पर्य यह है कि धारा ३४ (ग) में उल्लिखित "पैतृक वंशज" शब्द अल्यासन्थाना विधि से शामिल होने वाली सम्पदाओं पर नहीं लागू हो सकते। अतः मेरे ज़िले में यह विधेयक, जैसा कि यह अब है लागू नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार अल्यासन्थाना विधि से शासित होने वाला यदि कोई अवयस्क सदस्य मरता है तो उसकी सम्पदा पर भी यह विधेयक नहीं लागू हो सकेगा क्योंकि इस विधि के अन्तर्गत उसकी सम्पत्ति का कोई नियम नहीं होता। इसी प्रकार अल्यासन्थान परिवार के कनिष्ट-पुरुष सदस्यों की सम्पत्तियों पर भी यह विधेयक नहीं लागू किया जा सकेगा क्यों के उनका भाग भी ज्ञात नहीं रहता। मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे और यदि वह आवश्यक समझें तो इसमें यथोचित संशोधन करने का प्रयास करेंगे।

अन्त में मैं छूट की सीमा के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि ५०,००० रुपये की छूट-सीमा बहुत कम है। यह एक लाख रुपये ही रहनी चाहिये।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि इस स्तर पर भी बिल के सिद्धांतों की आलोचना की गई है: मेरे जिन मित्रों ने इस विधेयक के सिद्धांतों की आलोचना की है शायद वे ये मानते हैं कि सम्पति एक व्यक्ति की मलकीयत है। यह धारणा १९वीं शताब्दी में ठीक हो सकती है किन्तु आज सम्पत्ति को समाज की धरोहर मान लिया गया है। इसलिये उस पर सम्पदा-शुल्क लगाने का विरोध करने का कोई आधार नहीं रहता। देश के इतिहास में कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है जबकि आपको व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता के सिद्धांत को राष्ट्रीय हित में तर्क करना होता है। जर्मनी में किसी समय ५० प्रतिशत समीकरण कर लगाया गया था किन्तु आज हम ५ प्रतिशत कर भी नहीं देना चाहते। और दूसरी ओर हम यह बातें करते हैं कि हम १० वर्ष में देश की आय दुगनी कर देंगे। किन्तु अभी तक हम वास्तव में केवल ६ प्रतिशत आय ही बढ़ा पाये हैं। जब तक लोग त्याग करने के लिये तैयार नहीं होंगे देश की आय कैसे दुगनी हो सकती है? जो लोग यह कहते हैं कि सम्पदा शुल्क उचित कर नहीं है वे समाज के शत्रु हैं। जो लोग यह आवाज उठा रहे हैं कि इस की दरें बहुत अधिक हैं वे भी सर्वथा गलत है। अन्य देशों में इससे कहीं ऊंचे ऊंचे कर लगे हुए

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Coparcenary.

[पंडित कृ० च० शर्मा]

हैं। इस लिये श्रीमान् मैं यह समझता हूं कि यह कर सर्वथा उचित तथा उपयुक्त कर है अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो वह यह है कि यह बहुत नर्म कर है। मैं इसके लिये माननीय मंत्री को धन्यवाद का पात्र समझता हूं।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के खंड १२ के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर शुल्क लगाने की व्यवस्था की गयी है, वैसे सम्पत्ति दो प्रकार की होती है एक व्यक्तिगत और एक संयुक्त परिवार की। व्यक्तिगत सम्पत्ति तो व्यक्तिगत होती है, यदि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सम्पति उत्तराधिकारियों के बीच बंट जाती है और उत्तराधिकारियों के बीच से एक मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति शेष व्यक्तियों में बंट जाती है पर यह सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिली नहीं मानी जानी चाहिये ; यह उत्तराधिकार की सम्पत्ति नहीं मानी जायेगी। हिन्दू विधि के अनुसार उन्हीं सम्पत्तियों पर सम्पदा शुल्क लिया जायेगा जो उत्तराधिकार में मिली हो। अन्यथा अनुसूची २ के अनुसार, करारोपण की दर बहुत ऊंची हो जायेगी। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में बड़ी कठिनाई पैदा हो जायेगी और लोगों को बहुत कठिनाई होगी।

हिन्दू संयुक्त परिवार प्रणाली हमारे लिये एक बहुत अच्छी बात है : सम्मिलित प्रयत्न होता था तथा सबको समान सुविधा मिलती है कम से कम बुरे समय में तो यह प्रणाली बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है।

अतः मेरा निवेदन है कि यदि किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद उसका भाग अन्य उत्तराधिकारियों को मिले तो सम्पदा शुल्क सम्पूर्ण सम्पत्ति पर न लागाया जाये। इस से लोगों को कठिनाई होगी और साथ ही सरकार की आय भी कम होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री से एक बात का स्पष्टीकरण मैं भी करना चाहता हूं। हिन्दू संयुक्त परिवार में कुछ वयस्क और कुछ अवयस्क लोग होते हैं। सब के सहयोग से परिवार की सम्पत्ति की वृद्धि होती। इस प्रकार उस सम्मिलित सम्पत्ति में प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्न या कमाई का कुछ भाग होता है। अतः सम्पदा शुल्क लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि व्यक्तिगत कमाई के भाग पर शुल्क न लिया जाये। पर विधेयक में शुल्क लगाने के लिये सम्पूर्ण सम्पत्ति को ध्यान में रखने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति उसमें अलग नहीं की जा सकती। यह एक कठिनाई है। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस बात पर विचार करें।

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : सारी सम्पत्ति का विचार तो केवल दर निर्धारण के लिये रखा जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो कठिनाई है। मूल अधिनियम की धारा ३६ (१) में स्पष्ट-रूप से लिखा गया है कि "सम्पदा शुल्क की दर निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये"। अतः यहां भी यदि ये शब्द रख दिये जायें तो बात स्पष्ट हो जाये। अथवा फिर एक व्यवस्था दे दी जाये कि इस उपबन्ध में 'दर' का अर्थ है "सम्पदा शुल्क की दर निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये" यदि यही अभिप्राय है तो स्पष्टीकरण दे दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जाधव (मालेगांव) : आनरेबल स्पीकर, सर, सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने से पहले जिस रूप में यह बिल सामने आया था, उस का मकसद सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद खत्म हो गया है। १९५३ में जब एक्ट बनने के लिये यह बिल इस सदन के सामने आया था, तो उस का जो सही मकसद था, वह मकसद भी इस बिल से खत्म हो गया है। १९५३ में जब यह बिल हमारे सामने आया, तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस बिल को एक्ट बनने के लिये करीब आधा वर्ष ठहरना पड़ा और आज मुझे दुख से यह कहना पड़ता है कि जब १९५९ में यह बिल सामने आयेगा, तो पूरा वर्ष हो जायेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

जब यह बिल एक्ट बना, तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर की यह कल्पना थी कि इस के द्वारा कम से कम पांच करोड़ से ले कर पन्द्रह करोड़ तक आमदनी एस्टेट ड्यूटी की हैसियत से होने वाली है। लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद इस मकसद को तोड़ा गया है। रेट्स में जो कमी की गई है --६ परसेंट से ४ परसेंट और ८ परसेंट से ६ परसेंट--उस के कारण, इस बिल के द्वारा जो आमदनी होनी चाहिये थी, वह होने वाली नहीं है।

पचास हजार की जो लिमिट रखी गई है, वह बहुत अच्छी है और जिस सोसायटी का हम नक्शा बनाना चाहते हैं, उस के लिये इस की जरूरत है। हमारे देश का जो लाइवलीहुड पैटर्न है, उस को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की आबादी में किसानों की तादाद करीब ७० फीसदी है, सर्विस के लोग करीब १२ फीसदी हैं और उद्योग-धंधों में काम करने वाले १० फीस्दी से ज्यादा हैं। व्यापार में जो काम करते हैं वे ६ प्रतिशत हैं, ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वे १·५ प्रतिशत हैं। इन सब चीजों की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दलील में कोई वजन नहीं है कि इसका असर मध्यम श्रेणी के लोगों पर तथा निम्नमध्यम श्रेणी के लोगों पर पड़ने वाला है या इसका असर किसानों पर पड़ने वाला है। इस तरह की दलील देना मेरे विचार में बिल्कुल गलत है।

बदकिस्मती से हमारे देश में स्लोगन देने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तरफ तो किसान, मजदूर इत्यादि गरीब लोग आते हैं और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट क्लास है। जब गरीब किसान तथा मजदूर रास्ते में खड़े हो कर कोई नारे लगाते हैं और अपने हकों की मांग करते हैं तो बजाय इस के कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये तथा उनको आश्वासन दिये जायें, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं लेकिन जब कैपिटलिस्ट क्लास के लोग नारे लगाते हैं तो उनके नारे पेपर तक ही महदूद रहते हैं और उनके नारों को काफी पब्लिसिटी मिल जाती है और गवर्नमेंट बराबर उनके सामने झुकती रहती है। इस तरह से इस बिल का तथा दूसरे बिलों का जो मकसद होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है, ऐसा मेरा कहना है।

यहां पर यह कहा गया है कि बहुत एस्टेट पर इसका असर होने वाला है। कालडोर साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि २५,००० से ऊपर की जितनी भी जायदादें हमारे मुल्क में हैं उनकी कुल कीमत चार हजार करोड़ से ज्यादा नहीं होने वाली है। इसके क्या मानी हैं? इसका मतलब यह है कि इसका असर बहुत कम लोगों पर पड़ने वाला है। हमारा जो टैक्स का पैटर्न है, उस पैटर्न की तरफ अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो नैशनल इनकम है, उस इनकम के सात प्रतिशत से थोड़ा सा ज्यादा हमारा टैक्सेशन है। हमारा टैक्स लगाने का जो मकसद है, वह कहां तक पूरा हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

[श्री जाधव]

हमने टैक्सेशन का नया पैटर्न रखा है। हम हिन्दुस्तान में अपने प्लांस को कामयाब बनाना चाहते हैं। पहला प्लान पूरा हुआ, दूसरा चल रहा है और तीसरा आने वाला है। इस दूसरे प्लान को कामयाब बनाने के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा। हमारे पास कितने जरिये हैं जिन से हम पैसा एकत्र कर सकते हैं? इन जरियों में एक जरिया एस्टेट ड्यूटी लगाने का है। इस से हमें काफी रुपया वसूल हो सकता है और इसका असर काफी प्रापर्टी पर होता भी है। हमें बराबर रुपया इस से प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो रेट्स में कमी की गई है, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं और न ही इसको मैं मानने के लिये तैयार हूं।

इस एक्ट को एक प्राग्रेसिव एक्ट कहा गया है। श्री एस० एस० गुलाटी ने अपनी किताब में प्राग्रेसिव टैक्स की जो डेफिनिशन भी दी उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस में प्राग्रेसिव टैक्स की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि दस लाख को बेस रख करके ३० प्रतिशत, ४० प्रतिशत, ५० प्रतिशत और ६० प्रतिशत, इस तरह से टैक्सेशन का परसेंटेज रखा जाना चाहिये था। यह नहीं रखा गया है, इस वास्ते इसको प्राग्रेसिव टैक्स नहीं कहा जा सकता है।

इसमें कोर्ट फीस की बात भी कही गई है और लिखा गया है कि जो प्रोबेट, एकसेशन और दूसरे काम के लिये कोर्ट फीस लगेगी उस को एस्टेट ड्यूटी में से कम कर दिया जायेगा। मुझे यह अर्ज करना है कि जो एस्टेट की कीमत होगी उसमें से कोर्ट फीस को कम करके उसके बाद उसकी पूरी की पूरी स्टेट पर एस्टेट ड्यूटी लगनी चाहिये।

इस एस्टेट ड्यूटी बिल से हम कितने पैसे की अपेक्षा करते थे और कितना हम को मिला है, इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह आशा की गई थी कि पांच करोड़ से ले कर पन्द्रह करोड़ के करीब हमें इससे आमदनी होगी। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५४–५५ में ८१ लाख रुपया हमें मिला, १९५५–५६ में १ करोड़ ८१ लाख रुपया, १९५६–५७ में २ करोड़ ११ लाख और १९५७–५८ में २ करोड़ ५२ लाख रुपया हमें प्राप्त हुआ। इस एक्ट की तरक्की की तरफ जब मैं देखता हूं। तो पाता हूं कि हम पुच्छ की तरफ जा रहे हैं, आइरिश प्रोमोशन दी जा रही है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि इसका जो सही मकसद था वह पूरा नहीं हो पा रहा है।

हम नये नये बिल लाते हैं। एक दिन मेरे साथी भरूचा साहब ने कहा था कि हमारे हिन्दुस्तान में जो कानून बनते हैं वे लायर प्रूफ नहीं बनते हैं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न तो वे लायर प्रूफ बनते हैं और न ही पैसा प्रूफ बनते हैं। कालडोर साहब ने भी कहा है कि इन टैक्सों को वसूल करने के लिये हमें बड़े बोल्ड स्टेप लेने चाहियें। इस समय हमारे हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा टैक्स इवेशन हो रहा है और इस की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर आप टैक्स इवैशन की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज वाले लोग हैं वे कहते हैं कि टैक्सों से बचने का तरीका भी, टैक्सों को डुबाने का तरीका भी वे लोग ढूंढ़ निकाल सकते हैं और निकालते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना और ऐसा कहना देश के साथ गद्दारी करना है। लोगों को बताया जाता है कि तुम टैक्सों को डुबाने का तरीका खोज निकालो। टैक्स इवेशन के बारे में कालडोर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है और बताया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर २०० करोड़ से ले कर ३०० करोड़ तक इनकम टैक्स का पैसा डुबोया जाता है।

जब कानून पास होते हैं और उसके बाद जब उनको अमल में लाया जाता है, तो उनको अमल में लाने के लिये जो मशीनरी स्थापित की जाती है, इसकी तरफ भी हमें बहुत अच्छी तरह

से देखना होगा। हमें देखना होगा कि यह मशीनरी बराबर टैक्सों को वसूल करती है या नहीं और अगर नहीं करती है तो हमें इसको मजबूर करना होगा कि यह टैक्स वसूल करे।

आज हम अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्लांस को कामयाब बनाना चाहते हैं कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में इंडस्ट्री होनी चाहिये, किसानों की तरक्की होनी चाहिये, पैदावार बढ़नी चाहिये इत्यादि। लेकिन यह तरक्की कैसे होगी। कौन से जरिये हैं जिन से लोगों को इमदाद पहुंचाई जाएगी ? एक तरीका पैसा इकट्ठा करने का टैक्स लगाने का है। जिन लोगों की टैक्स देने की अच्छी हैसियत है, उन की संख्या एक प्रतिशत से अधिक हमारे देश में नहीं है। उनके पास टैक्स देने के लिए काफी पैसा है। लेकिन जो यह कहा गया है कि गरीब लोगों पर इसका काफी असर पड़ने वाला है, यह खाली धोखा है। गवर्नमेंट को इस बात में नहीं आना चाहिये। गवर्नमेंट अमीर लोगों की सुनती है, गरीब लोगों की नहीं सुनती। यह कहा जाता है कि किसानों को अनाज की पैदावार अधिक करनी चाहिये और उसको किसानों की मदद करने के लिये पैसे की जरूरत है तथा उसकी आमदनी बढ़नी चाहिये। गवर्नमेंट को क्रेडिट पर किसानों को पैसा देने के लिये चाहिये तथा वह नहीं आयेगा तो किस तरह से काम चलेगा। परसों यहां पर कहा गया था कि गवर्नमेंट के पास १४० करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा इस काम के लिये नहीं है। लेकिन यह पैसा भी कहां से आयेगा ? हमें देखना चाहिये कि जहां कहीं से भी पैसा आ सकता है, आये। इस दृष्टि से इस कानून की तरफ हमें बहुत गौर से देखना होगा तथा जो खामियां बताई गई हैं उनको दूर करना होगा। ज्वायंट हिन्दू-फैमिली के ऊपर से आधा तब चला गया था और अब पूरा तक हो गया। ये खामियां गवर्नमेंट के ध्यान में क्यों नहीं आती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया है। हमें जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा तथा उनको दूर करना होगा। जिस तरह की सोसाइटी का निर्माण हम करना चाहते हैं तथा जिस सोसाइटी का नक्शा हमारे सामने है, उसके निर्माण में यह एक्ट काफी मदद कर सकता है और इस टैक्स से हम को काफी पैसा मिल सकता है, बशर्ते कि हम इसकी तरफ ध्यान दें।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : श्रीमान् लगभग १४ सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है और मैंने सब के भाषणों को ध्यान से सुना है। २८ फरवरी को आय व्ययक भाषण देते समय प्रधान मंत्री ने इन करों का उल्लेख किया था। और कहा था कि एक विधेयक सरकार रखेगी ताकि विमुक्ति की सीमा १ लाख रुपये से घटकर ५०,००० रुपये तक रह जाये। उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों पर लगायी जानी वाली न्यायालय फीस की आधी रकम घटाकर ही सम्पदा शुल्क का निर्धारण होगा और वर्तमान की भांति सारे शुल्क को नहीं घटाया जायेगा। हिन्दू अविभक्त परिवारों में समांशी हितों पर सम्बद्ध परिवार की सम्पदा के मूल्य पर लागू होने वाली दर के हिसाब से शुल्क लगाया जायेगा।

मैं समझता हूं इन विषयों पर आयव्ययक पर होने वाली सामान्य चर्चा में भी पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। वित्त मंत्री ने विधेयक को पुरःस्थापित किया और इसके पश्चात् यह प्रवर समिति को भी सौंपा गया। प्रवर समिति ने भी इन सब बातों पर बड़ा विचार किया। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हम बड़ी शीघ्रता से ही इन उपबन्धों को पारित कराना चाहते हैं।

देश की जनता को इस विधेयक पर विचार करने का बहुत अवसर दिया गया है। वास्तव में सम्पदा शुल्क का इतिहास ही विभिन्नताओं से भरा हुआ है। पहले विधेयक १९४६

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गोपाल रेड्डी]

में रखा गया फिर यह व्ययगत हुआ। संविधान सभा ने भी इस पर विचार किया तथा प्रवर समिति से आगे न बढ़ा। १९५१–५३ में भी संसद् ने ९२–९३ घंटे इस पर विचार किया और १९५३ में यह कहीं लागू हुआ।

अब हमें इस सम्बन्ध में पांच वर्ष का अनुभव हो गया है। अब यह विमुक्ति सीमा को घटाकर ५०,००० रुपये करना चाहते हैं तथा वहां जो के अंशों के कुल भाग पर दरों के हिसाब से कर लगायेंगे।

कुछ माननीय सदस्य तो यह कहते हैं कि हमने लोगों को कर से बचने का बड़ा खुला अवसर दे दिया है।

यह भी कहा गया कि [सरकार ने [कहा [था कि इस कर से ७ करोड़ रुपया वार्षिक रकम वसूल होगी। किन्तु क्या कारण है कि वसूली बहुत कम हुई है। श्रीमान् मैं आपके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करता हूं :—

१९५४–५५ में ८५ लाख वसूल हुए

१९५५–५६ में १७३ लाख वसूल हुए

अगले वर्ष २११ लाख रुपये वसूल हुए

अगले वर्ष २३१ लाख रुपये वसूल हुए।

मैं तो नहीं समझता कि वित्त मंत्री ने यह कहा हो कि हम इस कर से ७ करोड़ रुपये वसूल करेंगे। मैं ने इस समय के संसदीय वाद-विवादों का अध्ययन किया है किन्तु कहीं पर भी मुझे ऐसी बात का पता न चला कि वित्त मंत्री ने यह बात कही हो। विभिन्न लोगों के विभिन्न अनुमान थे। अतः यह कहना गलत है कि वित्त मंत्री ने यह कहा कि ७ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सम्पदा शुल्क से इकट्ठे हो सकेंगे।

गत ४ या ५ वर्षों में हम २३१ लाख तक वसूल कर सके। चार या पांच वर्षों का हमारा यही अनुभव है। अब शनैः शनैः गति बढ़ रही है। मैं तो यह समझता हूं कि इस संशोधन के बावजूद भी हम ३५० लाख तक ही वसूल कर सकेंगे?

हिन्दू अविभक्त परिवारों के सम्बन्ध में बहुत सी जटिलतायें हैं। बहुत से मिताक्षरा तथा दयाभाग आदि के झगड़े हैं। हमारे देश में उत्तराधिकार के प्रमाणपत्र लेने का रिवाज नहीं है। अन्य देशों के उत्तराधिकारियों को प्रमाणपत्र लेने पड़ते हैं और न्यायालय शुल्क के आधार पर ही सम्पदा के मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे पदाधिकारियों का काम भी आसान हो जाता है किन्तु हमारे देश में सम्पदा बिना प्रमाणपत्र के ही पिता से पुत्र के नाम हो जाती है।

बहुत सी नकदी भी होती है। सभी लोग अपनी सम्पत्तियों को बैंकों में थोड़े ही रखते हैं। लोग नकदी तथा आभूषणों की शक्ल में बहुत सा धन अपने पास रख लेते हैं। इन सब सम्पत्तियों का अनुमान लगाने आदि में भी बड़ी कठिनाइयां आती हैं।

१९५३ से ले कर बहुत से लोगों ने दान दिये हैं और बहुत से न्यास बना दिये गये हैं। शायद इसका कारण कर से बचने का हो। खैर इस प्रकार सभी बातों से बड़ी कठिनाइयां होती हैं।

विमुक्ति सीमा के घटाने के लिये ही ज्यादा आलोचना की गई है। कुछ सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है। कई तो यहां तक चाहते थे कि सम्पदा की सीमा २०,००० तक ही की जाये। कई लोग चाहते हैं कि यही सीमा बनी रहनी चाहिये। श्री मसानी ने इसी खण्ड के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने कहा कि विमुक्ति सीमा को घटाना नहीं चाहिये।

विधेयक में संशोधन की मुख्य बात यही है कि क्या सीमा १ लाख ही रखी जाये या घटाकर पचास हजार कर दी जाये। प्रवर समिति ने भी इस पर विचार किया। मुझे बताया गया है कि समिति के सदस्यों ने एकमत होकर कहा कि सीमा को ५०,००० कर देना चाहिये। १९५२-५३ के मौलिक विधेयक में भी वित्त मंत्री ने सीमा का स्पष्टीकरण नहीं किया था। न ही उन्होंने दरों का उल्लेख किया। उन्होंने सोचा था कि वित्त विधेयक से यह चीजें समय-समय पर निर्धारित की जायें। किन्तु सभा की यह इच्छा थी कि सीमा सम्बन्धी उपबन्ध अधिनियम में ही आना चाहिये। १९५३ में प्रवर समिति ने कहा कि सीमा ७५,००० रुपये होनी चाहिये। किन्तु संसद् ने सोच विचार के पश्चात् सीमा १ लाख की रखी। इस लिये यह कोई नई चीज़ नहीं है इस पर संसद् में १९५३ में पर्याप्त विचार हुआ है। जब कभी भी सम्पदा शुल्क का प्रश्न उठा है तभी तभी सीमा का प्रश्न भी बड़े जोर से विवादास्पद विषय बना। ५०,००० की सीमा को प्रवर समिति स्वीकार कर चुकी है। यह पूछा जा रहा है कि क्या यह उचित है अथवा नहीं। यह कहा जाता है कि रूस में न तो सम्पदा शुल्क है और न ही उत्तराधिकार शुल्क अन्य देशों में भी परिस्थितियां भिन्न हैं। किन्तु बहुत से देशों में सम्पदा शुल्क है भी तो। कहा जाता है कि अमेरिका में सीमा २,५०,००० रुपये तक की है। किन्तु वहां राज्य भी तो सम्पदा शुल्क लगा सकते हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि अमेरिका में सीमा अधिक है हमें भी कम नहीं करनी चाहिये। वहां संघीय तथा राज्यीय सम्पदा शुल्क हैं। हमारे पास इंगलैंड, जापान, आस्ट्रेलिया तथा श्रीलंका के आंकड़े हैं। श्रीलंका में यह २०,००० रुपये है। जापान में आय कर पर ६६५० रुपये तक ही विमुक्ति मिलती है। इंग्लैण्ड तथा आस्ट्रेलिया में सीमाएं क्रमशः ४०,००० तथा ३०,००० हैं। यदि हम भारत में ५०,००० की सीमा रखें तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह १८० गुना ज्यादा होगी जबकि इंग्लैण्ड में वहां की प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से वहां की विमुक्ति सीमा केवल सात गुनी है। हम चाहते हैं कि लोग मेहनत करें और ज्यादा बचत करें। श्री रंगा ने कहा कि इससे लोगों में परिश्रम न करने की ही प्रवृत्ति फैलेगी। हमारी यह इच्छा नहीं। हम चाहते हैं वे जायदाद बनायें अपने बच्चों को दें और साथ ही थोड़ा सा भाग सरकार को दें। हम यह नहीं चाहते कि समस्त सम्पत्ति छीन ली जाये। समाजवादी समाज में उन्हें भी तो थोड़ा अंशदान देना चाहिये। समाजवादी समाज की नींव रखने के लिये ही तो हम ने आयकर विमुक्ति सीमा ४२०० से घटा कर ३००० की है। श्री मसानी ने तो इसका भी विरोध किया था। किन्तु संसद् ने इसे स्वीकार कर लिया। संसद् ही अब भी इसे भी स्वीकार कर लेगी।

सम्पदा शुल्क भी बस एक प्रकार का आस्थगित आयकर ही है। अन्तर केवल इतना है कि यह एक ही बार देना पड़ता है जब कि अन्य कर आपको वर्ष प्रति वर्ष देने पड़ते हैं।

जिन सिद्धान्तों को लेकर हम ने आयकर की सीमा घटाई उन्हीं को लेकर अब हम ने सम्पदा शुल्क की सीमा भी घटा दी है।

श्री मसानी ने कहा कि जो सम्पदा आज ५०,००० की है वह १९३९ में केवल १२,५०० रुपये की थी। किन्तु यदि आज वह शुल्क के रूप में ४०० रुपये दें तो उनकी कीमत भी १९३९ के हिसाब से केवल १०० रुपये ही है।

[डा० गोपाल रेड्डी]

इस से लोगों पर पहाड़ नहीं टूटेगा । ५०,००० तक किसी को कुछ नहीं देना, ६०,००० की सम्पदा पर ४०० रुपये देने होंगे, ७०,००० की पर ८०० रुपये, ९०,००० की सम्पदा पर १,६०० तथा एक लाख पर २,००० । यदि कोई १ लाख छोड़ जाये उसके उत्तराधिकारियों को ९८,००० अवश्य मिलेगा । उसमें से तो कोई कमी न होगी । मैं तो नहीं समझता कि इससे किसी को भी कोई हानि होगी ।

इसके अतिरिक्त उस ५०,००० पर भी विमुक्तियां हैं । १ लाख वाले के पास शुल्क देने के पश्चात् ९८,००० रुपये तो बचेंगे ही । दो लाख की सम्पदा पर पुराने अधिनियम के द्वारा ८७२० रुपये शुल्क लगता अब, १०,००० रुपये लगेगा । अन्तर केवल १२५० रुपये का ही है । तीन लाख पर शुल्क का अन्तर ७५० रुपये होगा । इससे आगे इतना ही अन्तर रहेगा । मैं नहीं समझता कि यह अन्तर ज्यादा है । इससे असमानताएं दूर होंगी ।

असमानताओं को दूर करना ही हमारा ध्येय है । यह झटपट तो हो नहीं सकता । किन्तु हम जो भी कर इत्यादि लगाते हैं उन सब का उद्देश्य यही है । हम यह नहीं चाहते कि सब धन एक ही के पास इकट्ठा हो जाये ।

अन्य मित्र कहते हैं कि ८० प्रतिशत तक करना चाहिये । इस सम्बन्ध में वे इंग्लैण्ड का उदाहरण देते हैं । दूसरे हैं जो चाहते हैं कि सीमा घटा कर २०,००० या ३०,००० कर दी जाये । अतः सरकार बीच का मार्ग अपनाती है । ५०,००० तक की छट न्यायोचित है । असमानतायें भी वैसे एक ही रात में दूर नहीं की जा सकतीं । इस प्रकार के अधिनियमों का प्रभाव पड़ेगा और पर्याप्त समय के पश्चात् असमानतायें दूर हो ही जायेंगी ।

†**श्री वें० प० नायर:** (क्विलोन) : क्या माननीय मंत्री यह स्वीकार नहीं कर रहे कि अधिक सम्पत्ति पर इंग्लैंड की दरें ज्यादा हैं ?

† **डा० गोपाल रेड्डी :** किन्तु भारत में थोड़े ही ऐसे लोग हैं जिन पर कर लग सके । इस समय उनकी संख्या ३००० है इस संशोधन से ऐसी संख्या ७ या ८ हजार तक पहुंच जायेगी । यहां इग्लैण्ड जितनी संख्या नहीं है । थोड़े से लोगों पर ही तो प्रभाव पड़ेगा । जहां तक श्री नायर की बात का सम्बन्ध है हमें अभी इतनी ही दरों पर संतोष करना चाहिये ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या आप छूट की सीमा कर रहे हैं तो अन्य देशों की भांति दरों को भी तो ज्यादा करें ।

†**डा० गोपाल रेड्डी :** इंग्लैंड में धन कर नहीं है । आय कर का भार भी वहां ज्यादा है ।

दूसरी बात हिन्दू अविभक्त परिवार के बारे में है । मैं ने पण्डित भार्गव को भाषण ध्यान से सुना । एक समय से ही सब वित्त मंत्री उनके इस सिद्धान्त से सहानुभूति रखते रहे हैं किन्तु कोई कुछ न कर सका । भारत में विभिन्न प्रकार के परिवार हैं । हिन्दू अविभक्त परिवार है, दयाभाग पद्धिति है । वैयक्तिक परिवार हैं । यह कानून केवल मात्र हिन्दुओं के लिये थोड़ा ही है । हमें सब धर्मों की विधियों पर सोचना है ।

मैंने १९५२-५३ में दी गई श्री एन० सी० चटर्जी की स्पीच भी पढ़ी । उन्होंने कहा था कि दयाभाग परिवारों पर इस का कठोर प्रभाव पड़ेगा और मिताक्षरा वालों पर इतना नहीं पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम यह नहीं कर सकते कि एक ही प्रकार के लोगों पर इसका प्रभाव पड़े । गत वार भी हिन्दू अविभक्त परिवार के लिये सीमा घटाने का निश्चय हुआ था जब कि अन्य परिवारों के लिये उतनी ही सीमा रखने का निश्चय किया गया था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह स्वयं को दायभाग परिवार का जानकर तो देखें । यद्यपि हिन्दू अविभक्त परिवार में पुत्र के भाग को गिना जायगा । इसलिये वे इस दृष्टि से भी सोचें । हम ने इस विधेयक से मिताक्षरा तथा दायभाग परिवारों पर होने वाले प्रभाव के अन्तर को दूर करने का प्रयास किया है ।

गत वर्ष ३००० परिवार आंके गये थे और मैं ने उन में से हिन्दू अविभक्त परिवारों की संख्या जानने का प्रयास भी किया था । वे मुझे ठीक आंकड़े तो न दे सके किन्तु इतना ही पता लगा कि ज्यादा परिवार वैयक्तिक हैं । सीधी सी बात है । ज्यादा आय तो व्यक्ति ही अपने जीवन में करता है । हम जीवित व्यक्ति की सम्पदा पर तो कर नहीं लगायेंगे । पंडित ठाकुर दास भार्गव यह जतलाने का प्रयास कर रहे थे कि संभवतया हम जीवित व्यक्ति की आय पर ही कर लगायेंगे । मृत व्यक्ति की सम्पदा पर ही कर लगेगा किन्तु उस के समस्त उत्तराधिकारियों की सम्पदा पर भी विचार कर लिया जायेगा क्योंकि उन्हें भी तो लाभ पहुंचेगा । वास्तव में उन्हें तो छप्पर फाड़कर ही भगवान देगा । निस्संदेह मिताक्षरा परिवार में जन्म से ही उन्हें यह अधिकार है । उनका भाग भी बढ़ेगा क्योंकि मृत पिता की छोड़ी सम्पदा उसमें सम्मिलित होगी । वैसे तो वंशजों की समस्त सम्पत्ति को दरों के लिये इकट्ठा कर लिया जायगा किन्तु वास्तविक कराधान मृत व्यक्ति की सम्पदा पर ही लगेगा । उसमें सब की सम्पत्ति नहीं गिनी जायेगी । यदि सारी सम्पदा तीन लाख की हो और मृत व्यक्ति का भाग एक लाख रुपया हो तो उस एक लाख पर ही कर लगेगा । सारांश यह कि केवल मृत व्यक्ति के अंश पर ही सम्पदा शुल्क लगेगा । उत्तर भारत में पत्नी को भी भाग मिलता है । यदि पत्नी जीवित है तो उसके अंश को बीच में सम्मिलित नहीं किया जायगा । मद्रास तथा दक्षिण में यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पत्नी को अंश ही नहीं मिलता ।

कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य समांशियों का हिस्सा दरों के लिये ही देखा जायगा कर के लिये नहीं । अतः यह विधि दायभाग तथा मिताक्षरा परिवारों में पर्याप्त समानता ले आती है । इससे दायभाग परिवारों को ज्यादा हानि न होगी ।

पहले समस्त इच्छापत्र प्रमाण शुल्क कर से ही काटा जाता था अर्थात यदि लेने वाला कर १०,००० हो और प्रमाण शुल्क ३,००० हो तो ३,००० उसमें से घटा दिये जाते थे । बम्बई आदि राज्यों में प्रमाण शुल्क बहुत है । कई जगह तो यह कर से भी अधिक होती है । अतः यह उचित समझा गया कि आधे शुल्क को घटाया जाना चाहिये । यदि किसी ने ३,००० प्रमाण शुल्क देना हो तो उसे १५०० रुपये छोड़ देने चाहियें । इस संशोधन की एक मुख्य बात यह भी है ।

सशस्त्र सेनाओं के बारे में सहानुभूति प्रकट की गई । हम भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं । वह अपना कर्त्तव्य बड़े अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं और बाह्य संकटों में हम लोग उनपर ही निर्भर करेंगे । हमें इस बारे में सहायता करने के लिये सोचना है । यद्यपि मैं श्री कर्णी सिंहजी का संशोधन तो स्वीकार नहीं कर सकता किन्तु मैं ने स्वयं सशस्त्र बलों के ऐसे लोगों को छूट देने का संशोधन रखा है जो शत्रुओं से लड़ते हुए प्राण दें । हम यही रियायत पुलिस वालों, दण्डाधिकारियों तथा श्रम पदाधिकारियों को नहीं देंगे । अभी हम यह रियायत सैनिकों को ही दे रहे हैं । मेरा विचार है कि इस से श्री कर्णी सिंहजी संतुष्ट होंगे ।

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्ति):** सैनिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो सेवा करते समय मारे जाये उनमें मतभेद क्यों किया जाय ?

†**डा० गोपाल रेड्डी** : श्रीमान्, सशस्त्र सेना कर्मचारियों तथा दण्डाधिकारियों में अन्तर तो है ही । उत्पादन शुल्क के पदाधिकारी भी तस्कर व्यापारियों का पीछा करते समय मारे जा सकते हैं । न्याय करता हुआ दंडाधिकारी भी मारा जा सकता है । इस प्रकार तो यह रियायत सभी असैनिक कर्मचारियों को दी जानी चाहिये । इस प्रकार तो रियायत की समाप्ति ही न होगी। अतः हम केवल सैनिकों को ही यह रियायत देंगे ।

श्री रंगा ने कृषि सम्पदा का प्रश्न उठाया और कहा कि जिनके पास २०/३० एकड़ जमीन है वे भी इस शुल्क की जद में आ जायेंगे । उन्होंने कहा कि कृषि सम्पदा पर छूट दी जाये । यह राज्यों का मामला है क्योंकि यह धन वहां ही जाता है । प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार एक पाई न रखेगी । राज्य विधान सभाएं ही इस पर विचार कर सकती हैं ।

पश्चिमी बंगाल की सरकार भी कृषि सम्पदा को कर योग्य सम्पदा में सम्मिलित करने पर राजी न हुई थी । अन्य राज्य १ लाख तक सहमत हो गये हैं । इसके बाद हम राज्यों से पूछेंगे कि क्या वे पुरानी सीमा ही रखना चाहते हैं या फिर नयी सीमा स्वीकार करेंगे । या तो वे पुरानी सीमा रख सकेंगे या फिर नयी को मानें । जब दो से अधिक राज्य विधान सभाएं इस पर सहमत हो जायेंगी तब नया संशोधन करना होगा ।

†**श्री रामी रेड्डी** (कुडाप्पा) : क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें देगी ?

†**डा० गोपाल रेड्डी** : हम बाध्य नहीं करेंगे । हमारी सलाह चाहे वे मानें या न मानें । हिदायत देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । हम केवल इतना चाहते हैं कि या तो वे पुरानी सीमा रखें या नयी अपनायें विभिन्न सीमायें न रखें । जैसे राज्य ठीक समझें उसे ही स्वीकार कर ल । पहली बार भी जम्मू तथा काश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त समस्त राज्यों ने ही इस से सहमति प्रकट की थी । हो सकता है वे पुरानी सीमा रखनी ही पसन्द करें । हमें अभी उस पर विचार करने का पूरा अवसर मिलेगा । अभी तो धारा ३० के अधीन कृषि सम्पदा इस की जद से बाहर ही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि सहायक आयुक्त राजस्व बोर्ड में नहीं आने चाहियें । मद्रास तथा आन्ध्र में कई वर्षों तक मैं विक्रय कर का प्रभारी रहा हूं । मैं ने कभी नहीं देखा कि सरकार ने कभी भी विक्रय कर अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप किया हो । इसी आय कर अधिकारियों को भी सरकार किसी विशेष काम के लिये बाध्य नहीं करती । हम तो यही चाहते हैं कि पदाधिकारी न्याय करें । जो कुछ निर्धारण हो वह सही होना चाहिये । इसलिये मैं इस बात को नहीं मानता कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वह न्याय नहीं करता तथा जो न्यायाधिकरण पर है वही न्याय करता है ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : इन पदाधिकारियों की पदोन्नति तो इसी पर निर्भर है । यहां न्याय का क्या प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० गोपाल रेड्डी** : जब इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी मैंने भी देशमुख की व्याख्या देखी है। उन्होंने कहा था कि प्रायः प्रशासनिक विभाग उदार होते हैं। उनके विरुद्ध जो भावना बन गई है वह गलत है।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत केवल दो प्रतिशत अपीलें ही राजस्व बोर्ड के समक्ष जाती हैं। कारण यह नहीं कि दिल्ली दूर है। बल्कि करांकन से अधिक लोग संतुष्ट हैं। उच्च-न्यायालयों में भी बहुत ही कम मामले जाते हैं। राजस्व बोर्ड का एक सदस्य विभिन्न स्थानों पर जाकर उनकी बातें सुनता है, उनसे चर्चा होती है और समझौता हो ही जाता है।

यदि यही समझ लिया जाय कि मद्रास वालों को दिल्ली दूर है तो पंजाब आदि के लोग तो सारे ही आने चाहियें। मगर यह बात भी नहीं है। पंजाब आदि राज्यों के अपीलों की संख्या बहुत ही कम है। इससे प्रकट होता है कि हमारे पदाधिकारी नम्र एवं उदार हैं तथा सहानुभूति से काम करते हैं। यदि हम किसी न्यायिक पदाधिकारी को लगा दें तो वह केवल कानून के शब्दों को ही देखेगा उसकी भावना का ध्यान नहीं रखेगा। प्रशासनिक पदाधिकारी इस प्रकार से नहीं चलते। अतः हमें प्रशासनिक पदाधिकारियों की निन्दा ही नहीं करनी चाहिये। न्यायिक अधिकारी भी कभी-कभी गलती करते हैं। खैर हम अपीलों की भी व्यवस्था कर रहे हैं। पहले राजस्व बोर्ड में सीधी अपील होती थी किन्तु अब एक अपीलीय नियंत्रक भी है। यदि पक्ष संतुष्ट न हो तब वह उच्च या उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है।

इंग्लैण्ड जैसे देशों में भी पहली अपील न्यायालय में न हो कर प्रशासनिक पदाधिकारियों के ही यहां होती है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, तथा अमेरिका में अपील न्यायालय में जाती ही नहीं केवल प्रशासनिक पदाधिकारी ही अपील सुनते हैं। अतः अपीलीय आयुक्त न्यायाधिकरण के अधीन नहीं रखे जा सकते। फिर उनके उन्नति मार्ग अवरुद्ध हो जायेंगे। इधर रहते हुए वे उन्नति की आशा रख सकते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : क्या यह सच है कि कर निर्धारित करने वाले अधिकारियों को अपने क्षेत्र से एक विशेष रकम एकत्रित करनी पड़ती है।

†**डा० गोपाल रेड्डी** : ऐसी बात नहीं कि राजस्व बोर्ड यह कहे कि आप यहां से ५ करोड़ इकट्ठा करें या ज्यादा आयकर के समय वे अनुमान स्वयं ही लगाते हैं तथा राजस्व बोर्ड में उन्हीं को जोड़ लिया जाता है। यह गलत है कि उन्हें एक रकम इकट्ठी करनी ही पड़ती है। आप किसी भी आयुक्त से पूछ सकते हैं। वे केवल अन्दाजा लगाते हैं और उसे निभाने का प्रयास करते हैं। गत वर्ष के आंकड़ों से १ या दो प्रतिशत अधिक अन्दाज वह लगाते हैं क्योंकि देश के धन में भी तो वृद्धि होती है। यह बात गलत है कि सरकार उन्हें विशेष राशि इकट्ठा करने के लिये कहती ही है आज तक किसी को इस आधार पर सजा नहीं दी गई और किसी को बाध्य नहीं किया गया। किन्तु बाहर के लोगों का यही विचार है।

दूसरे यह विचार भी सही नहीं कि यदि वे एक विशेष राशि इकटठी न कर पायें तो उनकी उन्नति नहीं होती। आयुक्त स्वतः अपील की आज्ञा देते हैं। वास्तविक सहानुभूति का प्रदर्शन ही प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं न्यायिक नहीं। न्यायिक अधिकारियों का क्षेत्र सीमित रहता है और उन्हें विधि को ही देखना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० गोपाल रेड्डी]

खैर मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति ने विधेयक का स्वागत किया है। मैं माननीय सदस्यों के समर्थन के लिये भी धन्यवाद देता हूं। मुझे खेद है कि मैं हिन्दू अविभक्त परिवार के बारे में स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडों पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३—(धारा ४ का संशोधन)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं संशोधन संख्या २५ प्रस्तुत करता हूं :

मैं समझता हूं कि भारत की आयकर विधि संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद ५० के अनुसार कार्यकारिणी और न्यायपालिका को पृथक रहना चाहिये लेकिन आयकर विभाग में इस सिद्धांत को लागू करने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। वस्तुतः ऐसा सुधार करना कठिन है क्योंकि हम आयकर—न्यायिक—अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। आय कर के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी ही सर्वेसर्वा होते हैं। और ये लोग भ्रष्ट भी होते हैं वस्तुतः यदि लोग अपीलें नहीं करते हैं तो इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि लोग संतुष्ट हैं बात यह है कि कई कारणों से वे अपील करना नहीं चाहते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

गैरसरकारीसदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अमर सिंह सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो २८ अगस्त, १९५८ को सभा में उपःस्थापित किया गया था, सहमत है"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

† मूल अंग्रेजी में

एकाधिकार रखने वाले सार्थों के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री कुन्हन द्वारा एकाधिकार रखने वाले सार्थों के बारे में १६ अगस्त, १९५८ को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा करेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : इस सम्बन्ध में हुए भाषणों को पढ़ कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संकल्प की सही भावना को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है । अपितु उसके शाब्दिक अर्थों पर बहस की गई है । श्री विमल घोष ने इसे शाब्दिक अर्थों में लिया है तथा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि हमारे देश में एकाधिकारिता है ही नहीं निसंदेह मुझे उनके कथन से आश्चर्य हुआ है क्योंकि हम देखते हैं कि रंग के उत्पादन, आयात व वितरण इत्यादि के सम्बन्ध में, हमारे देश में इम्पीरियल केमिकल कम्पनी की, सीमेन्ट के सम्बन्ध में एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी की एकाधिकारिता है ।

इसी प्रकार आक्सीजन तथा एसीटिलीन के सम्बन्ध में इंडियन आक्सीजन तथा एसीटिलीन कम्पनी की एकाधिकारिता है । पश्चिम बंगाल में विद्युत के उत्पादन और वितरण में कलकत्ता विद्युत संभरण निगम की एकाधिकारिता है । यह सार्थ बंगाल में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और २४ परगना के औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली बिजली का ८५ प्रतिशत संभरण करता है । दामोदर घाटी निगम, उक्त सार्थ को ३ न० पै० पर यूनिट के हिसाब से बिजली बेचता है और ये उसे १९ न० पै० से प्रति यूनिट के हिसाब से बेचते हैं । १९४७ में इस सार्थ को ६·३२ लाख रुपये का लाभ हुआ था १९५५ में उनको १८ लाख रुपये का लाभ हुआ ।

अब मैं रबर टायर उद्योग को लेता हूं । हमारे देश में इस उद्योग के उत्पादन और वितरण का एकाधिकार दो तीन विदेशी सार्थों को है । प्रशुल्क आयोग ने अपनी १९५५ के प्रतिवेदन में इनका जिक्र किया है उनके कथनानुसार डनलप कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ व लगाई गई पूंजी का अनुपात १९४६ और १९५२ के बीच १९ प्रतिशत से २७ प्रतिशत तक था । इसी प्रकार फायर स्टोन द्वारा १९४६-४७ से १९५२-५३ तक अर्जित लाभ और पूंजी का अनुपात ४७ से ७७ प्रतिशत तक था । आश्चर्यजनक बात यह थी कि उक्त समवायों की मूल शाखा को उतना लाभ नहीं हुआ जितना कि उनकी भारत स्थित शाखा को हुआ । इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग किस प्रकार एकाधिकारिता का लाभ उठा रहे हैं । वे किस प्रकार उद्योग पर नियंत्रण किये हुए हैं और उससे देश को किस सीमा तक हानि हो रही है ।

वस्तुतः एकाधिकारिता केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं रह गई है अपितु वह वितरण के क्षेत्र में भी अपने पैर जमा रही है । ये ही निर्माता लोग अपने संघ बना लेते हैं जिनका प्रगट उद्देश्य उस वस्तु का उचित रूप से वितरण करना होता है लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य ऊंची से ऊंची कीमतें तय करना होता है । उदाहरण के लिये सीमेंट मारकेटिंग कम्पनी आफ इंडिया भारत के अधिकांश सीमेंट का वितरण करती है । यही हाल कारबाइड निर्यात संघ का भी है । ये लोग निर्मित वस्तु का अधिकतम दाम निश्चित करते हैं और इस प्रकार देश की अर्थ व्यवस्था पर आघात होता है ।

अब मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि वितरण तथा उत्पादन के तरीकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है । उदाहरण के लिये पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

एकाधिकारी साथों और उन की निदेशकता का अन्तर्गठन कर के रखा जाता है। १९५१ में ६१ निदेशकों के पास १०३६ निदेशकतायें थीं। यही हाल टाटा, बिरला, डालमियां का भी है। अकेले टाटा के अधीन १५० कम्पनियां हैं और बिरला के अधीन १२५ कम्पनियां हैं।

अतः मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण की एकाधिकारिता के प्रकार तथा उस की सीमा इत्यादि के सम्बन्ध में पता लगाने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करें। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव के सिद्धान्त से अवश्य सहमत होंगे।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभ ई शाह)** : श्री कुन्हन ने अपने संकल्प में जो बातें उठाई हैं उन का श्री विमल घोष, चौधरी रणवीर सिंह और दी० चं० शर्मा ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया है। श्री वें० प० नायर सदैव से ही इस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी लेते रहे हैं।

मैं आप को विश्व के पिछली तीन शताब्दियों के आर्थिक विकास की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। यदि हम, वह समय याद करें कि जब सत्रहवीं शताब्दि के व्यापारिक पूंजीवाद पर, विज्ञान और शिल्पकला के विकास के कारण रोक लग गई थी। और उस का रूप औद्योगिक क्रान्ति के द्वारा बदल रहा था ; जिस के फलस्वरूप सारे समाज का सामाजिक व आर्थिक ढांचा ही बदल गया। संसार जो इस के पूर्व बहुत विस्तृत और विशाल समझा जाता था बहुत संकीर्ण हो गया। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ व्यक्ति तथा समाज के हाथों में अधिक आर्थिक और सामाजिक शक्ति आ गई। इसलिये जब समाज ने औद्योगिक क्रान्ति को स्वीकार किया तो उस समय सभी राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से एक केन्द्रीकृत मूल समाज के सिद्धान्तों को भी स्वीकार किया। उन्नीसवीं और बीसवीं शती में हमने जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान तथा अपने देश में औद्योगिक क्रान्ति का विकास देखा। यदि हम विभिन्न राज्यों या देशों के औद्योगिक विकास को देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि आधुनिक टेकनीकल विद्या ने आर्थिक शक्ति को कुछ थोड़े उपक्रमियों और प्राधिकार प्राप्त अधिकारियों के हाथों में संचित करने में सहायता की है। व्यापारिक पूंजीवाद के औद्योगिक पूंजीवाद में परिवर्तित होने के साथ साथ प्रौद्योगिकीय और विज्ञान द्वारा प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये कई प्रतिबन्ध इत्यादि भी विकसित हो गये। इसलिये जब श्री बिमल घोष ने यह कहा कि हमारे देश में कोई एकाधिकारिता नहीं है या एकाधिकारिता की कोई प्रवृत्ति नहीं है तो मुझे प्रसन्नता हुई कि उस का सा प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति भी, विश्व के विकास की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर वर्तमान अवस्था से संतुष्ट है।

मूल्य संघ इत्यादि की उपभोक्ताओं, वितरकों तथा समुदाय इत्यादि को हानि पहुंचाने वाली कार्यवाहियों को रोकने के लिये अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में प्रयास तथा परस्पर सहाय्य संघ विरोधी अधिनियम बने हैं। हम इस सम्बन्ध में भाग्यशाली हैं। यद्यपि हम औद्योगिक विकास में कई देशों से पीछे हैं तथापि सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक न्याय की प्रेरक लोकतंत्रात्मक शक्तियों का विकास अपेक्षाकृत बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन हमारे देश में आर्थिक विकास सामाजिक जाग्रति के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। सौभाग्य से इस समय भी वही दल सत्तारूढ़ है जिस ने देश के लिये स्वतंत्रता प्राप्त की है। जैसा कि श्री दी० चं० शर्मा ने कहा है कि १९३१ के कराची कांग्रेस के संकल्प में इस

---

†मूल अंग्रेजी में

बात का उत्तर दिया गया है जिस से ज्ञात होता है कि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के विकास के समय से राष्ट्रवादी पक्ष की क्या नीति थी, स्वदेशी आन्दोलन की नीति भी, जो लोकमान्य तिलक के समय से प्रारम्भ हुई तथा जिसे गांधी जी ने बल प्रदान किया और तत्पश्चात् स्वतंत्र भारत ने जिस नीति का अनुसरण किया इस बात को सिद्ध करती है कि हम राष्ट्र तथा दल के रूप में भी देश में किसी प्रकार की भी एकाधिकारिता के विरुद्ध हैं। चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में हो या वाणिज्य के क्षेत्र में हो। और न हम आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण उपयोगी समझते हैं।

प्रधान मंत्री ने ३० अप्रैल १९५६ को जो औद्योगिक नीति संकल्प सभा पटल पर रखा उस में १९४९ में सभा के समक्ष रखी गई नीति ही दुहराई गई थी। उस में पृष्ठ २ कंडिका (ख) और (ग) में कहा गया है ;

(ख) समुदाय के भौतिक स्रोतों के स्वामित्व और वितरण इस प्रकार हों कि उससे लोकहित हो;

(ग) अर्थ व्यवस्था का प्रवर्तन इस प्रकार न हो कि उस से धन का केन्द्रीकरण हो और उत्पादन के साधनों से लोकहित को हानि पहुंचे।

ये इस देश तथा इस की वर्तमान सरकार के औद्योगिक और आर्थिक नीति के बुनियादी सिद्धान्त हैं। वर्तमान नीति को क्रियान्वित करने के लिये हमारे पास कई ऐसे विधेयक हैं जिन से उक्त नीति क्रियान्वित हो सकती है। इस सम्बन्ध में हमारे पास ९ प्रमुख विधेयक हैं। उन में पहिला औद्योगिक नीति संकल्प है। तत्पश्चात् हमारे पास १९५१ का औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम है जिस के द्वारा सरकार को उपभोक्ताओं तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हितों की रक्षा करने का पर्याप्त अधिकार मिला हुआ है। उदाहरणार्थ जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि गेशप तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के औद्योगिक समुदाय के उपक्रमों की व्यवस्था ठीक नहीं है तथा उन से लोक का अहित हो सकता है तो सरकार ने उसे अपने हाथों में ले कर उस की व्यवस्था अपनी इच्छानुसार निर्देशित बोर्ड के हाथों में सौंप दी। इसी प्रकार सरकार ने कई चीनी के कारखानों और इंजीनियरिंग के कारखानों को अपने हाथों में लिया है। हम गैर-सरकारी क्षेत्र में तब तक हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक कि वे सामान्य आर्थिक प्रणाली और सरकारी नीति के अनुसार चलते रहते हैं तथापि लोक-हित पर आघात होते ही हम उन्हें अपने हाथों में लेने से नहीं हिचकिचाते।

समाजवादी प्रकार के समाज के विकास के लिये हमारे पास उक्त दो संकल्प हैं जिन से आर्थिक स्थिति के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकारिता से उपभोक्ताओं और समाज की रक्षा हो सकती है।

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम का भी इस सम्बन्ध में, मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है। स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात् प्रशुल्क आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रशुल्क आयोग द्वारा विचार किये गये उद्योगों के सम्बन्ध में चाहे वे भारतीय पूंजी से स्थापित किये गये हों या भारतीय व विदेशी साझे की पूंजी से स्थापित हों या विशुद्ध विदेशी पूंजी से स्थापित हों, उन विशेष समवायों के उत्पादनों को कोई रक्षण नहीं दिया जाता जो उपभोक्ताओं के हित के विरोध में काम करते हैं। यह बात आप ने वस्त्र उद्योग, पीतल के लैम्प उद्योग, इंजीनियरिंग वस्तुयें तथा रबर टायर की वस्तुओं के सम्बन्ध में देखी होंगी। सरकार ने प्रशुल्क आयोग को स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण के समक्ष देश की प्रशुल्क नीति बनाने का ही भार नहीं सौंपा अपितु मूल्य का प्रश्न भी बार बार उन को निर्देश किया जाता है। पिछले वर्षों में हम ने कई प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं के मामले उन को निर्देश किये हैं। हाल ही में उन्हों ने सीमेंट के मूल्य पर विचार किया था। पिछले महीने हम ने कागज के मूल्यों को भी प्रशुल्क आयोग के समक्ष विचार के लिये रखे।

इसलिये मुझे इस बात पर हर्ष हुआ कि श्री विमल घोष ने इस शब्द का प्रयोग ऐसे अर्थों में किया जबकि कुछ बड़े उपक्रम, प्रतियोगिता के अभाव, या सरकार द्वारा कोई प्रतिरोध न किये जाने के कारण, एक हो कर अधिक मूल्य खींचना चाहते हैं मुझे वास्तव में इस से प्रसन्नता हुई। जहां तक अमेरिका में एन्टीबायोटिक्स के कारखानों का सम्बन्ध है, हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। मैं सरकार की ओर से यह स्पष्ट आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक निर्माता के ऊपर हमारा नियंत्रण है एकाधिकारिता के कारण कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी। लेकिन कभी फुटकर बिक्री स्तर पर, चोर बाजार इत्यादि के कारण मूल्य वृद्धि हो जाती है जो निर्माता या वितरक एजेंसियों के नियंत्रण के बाहर की बात हो जाती है। मैं सभा को यह स्पष्ट आश्वासन देता हूं कि देश में किसी भी निर्माता को एकाधिकारिता से लाभ उठा कर मूल्यों को मनमाने ढंग से बढ़ाने नहीं दिया जायेगा।

इस के लिये चौथा उपचार १९११ का भारतीय एकस्व और पण्यचिन्ह विधेयक है। जिस का अभी हाल में संशोधन हुआ है। इस से एक ओर तो स्वदेशी उपक्रमी व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी ओर एकस्व अधिकार प्राप्त दवाइयों, इंजीनियरिंग की वस्तुएं, नये प्रकार के वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र इत्यादि में एकाधिकारिता को रोक लगेगी।

महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कृपा से हमारे देश में सामाजिक जाग्रति की लहर आर्थिक विकास से पहिले आई है जिस के फलस्वरूप हम लोक नीति, सामाजिक न्याय, इत्यादि लोकतंत्रात्मक शक्तियों के कई प्रहरी नियुक्त कर चुके हैं और हम किसी व्यक्ति समुदाय या संघ को समुदाय के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करने देंगे।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम का प्रयोग भी समय समय पर जब कभी सरकार ने यह अनुभव किया कि कोई विशेष वस्तु अनुचित कीमतों में बेची जा रही है उस समय न केवल उपभोक्ता वस्तुओं के लिये, अपितु पूंजीगत और उत्पादक वस्तुओं के लिये भी किया जाता रहा है। केलशियम कार-बाइड की कीमत में जब ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई तो सरकार ने तत्काल कार्य-वाही की और निर्माता को मूल्य कम करने पड़े। जहां तक साइकिल टायरों का सम्बन्ध है निसन्देह इस सम्बन्ध में कीमतों में अनुचित वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि का कारण विदेशी और भारतीय सायकिल टायर निर्माताओं का स्थिति से लाभ उठाना नहीं था, बल्कि इस का कारण विदेशी मुद्रा की कमी और मांग और सम्भरण में बहुत अन्तर हो जाना था। यदि ये सारे कारखाने १०० प्रतिशत भारतीय होते और सारे भारत में कई इकाइयों में बटे रहते तो भी यही स्थिति होती। इसलिये अभाव के समय कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि एकाधिकारिता के कारण ऐसा हुआ है।

हमारे हाथों में आयात-निर्यात नियंत्रण की तरकीब भी है। आर्थिक जगत में यह एक नया साधन है। पिछले तीस वर्षों में स्वतंत्र व्यापार का सिद्धान्त अमेरिका जैसे पूंजी-वादी देश में भी समाप्त कर दिया गया। और आयात-निर्यात नियंत्रण लागू करना पड़ा। हमारे देश में पिछले १० वर्ष से यह नियंत्रण इस कुशलता से लागू किया जा रहा है कि कोई विदेशी या भारतीय उपक्रमी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता व्यक्ति या समाज के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है।

अन्त में, मैं देश में सरकारी क्षेत्र में प्रगति को लेता हूं। आवड़ी में पारित समाजवादी ढांचे के समाज सम्बन्धी संकल्प में हमारे देशवासियों ने दृढ़ निश्चय किया है कि वे धन और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के विरुद्ध कार्य करते हुए व्यक्ति की समृद्धि को लाने का प्रयत्न करेंगे। निसन्देह

हम इस लक्ष्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं कर चुके हैं। तथापि हमारे पास उक्त नौ साधन हैं जिन से हम वर्तमान पीढ़ी के रहते ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न कर सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में १७९ करोड़ और दूसरी योजना में १००० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें कई प्रकार से समुदाय व उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती हैं। इस्पात परियोजनाओं से इस्पात के मूल्य ठीक स्तर पर रहेंगे। रासायनिक तथा उर्वरक कारखानों से भी एक ओर तो इन उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी और दूसरी ओर उचित मूल्य निर्धारण इत्यादि के द्वारा उपभोक्ता के हितों की रक्षा होगी।

सरकारी क्षेत्र के रूप में, समाज तथा भारत सरकार के पास एक ऐसा साधन है जिस से देश में एकाधिकारिता या आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं हो सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० वी० के० आर० वी० राव व अन्य आर्थिक विशेषज्ञों ने इस देश के ९ प्रमुख व्यापारों का विश्लेषण किया है। उन में चाय, कोयला, सूती वस्त्र मिलें, जूट मिलें, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट कागज, विद्युत सम्बन्धी वस्तुओं का थोक व फुटकर बिक्री बाजार शामिल हैं।

उक्त ९ व्यापार ९८५१ कम्पनियों के हाथों में हैं। जिन में से १७१४ प्रबन्धक समवाय हैं। इन में से १७ प्रमुख प्रबन्धक एजेंसियां २७० उपक्रमों का संचालन करती हैं। कुल कम्पनियों की तुलना में यह प्रतिशत ३ या ४ के लगभग है। यह कहना बहुत सरल है कि देश के दो चार समवायों के हाथ में इतनी अधिक कम्पनियां हैं। उक्त १७ प्रमुख समवायों से भी एक समवाय के अधीन अधिकतम ४० समवाय और कम से कम १२ समवाय हैं। इसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि ये लोग विस्तृत पूंजी या आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण कर रहे हैं तथापि सरकार उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करने देगी जिस से समुदाय का अहित होगा।

समवाय अधिनियम में भी बहुत से ऐसे उपबन्ध रखे गये हैं जिन से व्यापार संघ या आर्थिक सम्पत्ति के एकीकरण पर रोक लगती है। इस में कई ऐसी धारायें हैं जिन से इस सम्बन्ध में सहायता मिलती है उदाहरणार्थ धारा ८९, २७५, २९३, ३१६ और ३३२ इस सम्बन्ध में प्रमुख हैं।

प्रबन्धक एजेंटों की शक्तियों को निदेशकों के अधीक्षण के अधीन रखा गया है। एक ही प्रबन्ध के अधीन समवायों में विनिमय, ऋण व लेनदेन पर भी रोक लगाई गई है।

मैंने केवल यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमारा देश और उस की वर्तमान सरकार देश की अर्थव्यवस्था के एकांगी विकास से होने वाली हानियों से पूरी तरह अवगत है। उक्त शक्तिशाली और व्यावहारिक विधेयकों द्वारा सरकार ने इस बात का प्रमाण दिया है कि औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के सम्बन्ध में कोई विषमता पैदा न हो और सरकार के सम्मुख सामाजिक न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राष्ट्रीय उत्पादन। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सभा मुझ से इस बात में सहमत होगी कि जब ऐसे एकाधिकारी समवायों के विकास की संभावना ही नहीं है तो इस बात की देख रेख करने के लिये समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि देश में एकाधिकार रखने वाले सार्थों के कार्यों की जांच करने तथा उन की शक्तियों और गतिविधियों को, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये हानिकर है, कम करने के उपयुक्त सुझाव देने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये देश के युवकों का सहयोग प्राप्त करने तथा उन्हें आवश्यक अवसर और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् और केन्द्रीय युवक कल्याण बोर्ड बनाने के लिये लोक-सभा के सदस्यों की एक समिति, जिस में सभी विचार-धारा के प्रतिनिधि हों, बनाई जाये ।

इस सभा की आगे यह राय है कि यह समिति :—

(क) इस सम्बन्ध में युवकों के सभी वर्तमान संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट करे ;

(ख) उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न युवक संगठनों से सुझाव मांगे ; और अन्त में

(ग) एक राष्ट्रीय युवक परिषद् के निर्माण के लिये सभी ऐसे व्यक्तियों तथा विभिन्न युवक संगठनों के प्रतनिधियों का एक सम्मेलन बुलाये ।"

आज कदाचित सब से पहिली बार हम युवकों की समस्यायें इस सभा में रख रहे हैं । यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्रांप्ति के ११ वर्षों के अनन्तर भी देश के युवकों की सहायता करने, उन्हें पूर्ण अवसर प्रदान करने तथा उन के व्यक्तित्व का विकास करने के सम्बन्ध में कोई ठोस और व्यावहारिक कार्यवाही नहीं की गई है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

ग्रेट ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री डा० जोसफाइन ने युवकों के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी है जिस में उन्हों ने यह बताया है कि ग्रेट ब्रिटेन के युवकों की चर्चा या वार्ता का विषय इस क्रम से रहता है। भोजन ९३ बार, धर्म ९४ बार, फिल्म ७९ बार, युद्ध ७० बार, खेल ६९ बार प्रेम व विवाह व सेक्स ६४ बार, रोजगार ६३ बार, वस्त्र ५१ बार, मौसम ४१ बार, छुट्टियां ३८ बार । यदि भारत में इस प्रकार की जांच की जाय तो कदाचित् यह क्रम इस प्रकार होगा भोजन, रोजगार, फिल्म, प्रेम विवाह इत्यादि । यदि उन से पूछा जाय कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है तो वे कहेंगे "भोजन और नौकरी" ।

---

†मूल अंग्रेजी में

युवकों के कल्याण का सम्पूर्ण भार शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है। हमारे देश की जनसंख्या के एक तिहाई भाग में वे लोग आते हैं जिन की अवस्था १५ से ३४ वर्ष की है। इतनी बड़ी संख्या के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवक कल्याण के लिये जो राशि रखी थी वह १९५७-५८ में ११·७३ लाख, १९५८-५९ में १४·१ लाख रुपये रखे गये हैं।

विदेशों में विशेषत: इंगलैण्ड, रूस, जापान और युगोस्लाविया इत्यादि अपने बजट का १५ से २० प्रतिशत तक रुपया युवक कल्याण के लिये व्यय करते हैं। वहां प्रत्येक गांव में युवक क्लब होते हैं तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये सैकड़ों सुविधायें प्राप्त रहती हैं। लेकिन इस के विपरीत भारत में विशेषत: गांव के युवकों का स्तर बहुत नीचा है और वे असमय ही रोग और मृत्यु का शिकार बनते हैं। युवकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है जब भी यह प्रश्न सभा के समक्ष लाया जाता है तो सरकार यह कह देती है कि इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अभी हाल में लखनऊ विश्वविद्यालय ने नगर के युवकों तथा उन की बेकारी का सर्वेक्षण किया था जिस से ज्ञात हुआ कि नगर के कुल बेरोजगार व्यक्तियों में ५७ प्रतिशत बेरोजगार व्यक्ति युवक हैं। उस सर्वेक्षण के अनुसार आजकल लोग कम आयु में ही रुपये कमाना प्रारम्भ कर देते हैं, लोग अपनी पत्नियों से भी आय वृद्धि की आशा करते हैं और अधिक आय प्राप्त होने पर भी लोग काम छोड़ना नहीं चाहते हैं। योजना आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार १९६०-६१ तक भारत में बेरोजगारों की संख्या ६६,५०,००० हो जायेगी।

अब मैं उन संस्थाओं का जिक्र करता हूं जिन्हें सरकार कुछ निश्चित अनुदान देती है। भारत सेवक समाज उनमें से एक है।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मेरे विचार से माननीय सदस्य को गलत जानकारी हुई है भारत सेवक समाज स्वेच्छा संगठन है। भारत सरकार उसे कोई अनुदान नहीं देती है केवल जब वह श्रम-शिविर विद्यार्थी शिविर इत्यादि की योजना बनाती है तब उस विशेष प्रयोजन के लिये उसे अनुदान दिया जाता है।

†**श्री पाणीग्रही** : मेरे कहने का आशय भी बिल्कुल यही है कि भारत सेवक समाज को उन परियोजनाओं के लिये अनुदान दिया जाता है।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का युवक विभाग विश्व युवक संघ से सम्बद्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युवकों की अन्य संस्थायें भी हैं यथा अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी युवक संघ तथा विश्व लोकतन्त्री युवक संघ इत्यादि भी हैं। लेकिन सरकार सदैव विश्व युवक संघ के साथ पक्षपात करती है। जब भी वे युवक संस्थायें जो विश्व लोकतन्त्री युवक संघ से सम्बद्ध हैं विदेशों में जाकर सम्पर्क बढ़ाना चाहती हैं और इस प्रकार शान्ति तथा सम्पर्क के हित में कुछ काम करना चाहती हैं तो विदेश-कार्य मन्त्रालय बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में रोक लगा देता है। जिस प्रकार विश्व युवक संघ भारत में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियां और सम्मेलन कर सकता है उसी प्रकार प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय संघ को भारत में अपनी गोष्ठियां इत्यादि करने की अनुमति होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में विभिन्न युवक संगठनों के बीच पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये।

तीन दिन पूर्व मुझे प्रधान मन्त्री का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि विश्व लोकतंत्री युवक संघ की कार्यकारिणी की बैठक यहां नहीं हो सकती है। शायद इसका कारण यह है कि वह एक

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री पाणीग्रही]

विशेष आदर्श को मानने वालों की संस्था है। इस सम्बन्ध में मुझे एक अन्य बात भी कहनी है। जब रूसी युवक संगठन ने भारत के २५ युवक प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया तो उसे अस्वीकार कर दिया गया लेकिन जब उसी संगठन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के युवक विभाग के सात प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया तो उन्हें इजाजत दे दी गई।

शिक्षा तथा विदेश-कार्य मन्त्रालय को चाहिये कि वे सभी युवक संगठनों को पक्षपात रहित होकर सहायता दें।

अब मैं क्लबों, खेल संघों इत्यादि का प्रश्न लेता हूं। हमारे देश में इनकी सुविधा नहीं के बराबर है। विशेषतः गांवों में युवक क्लब हैं ही नहीं। यदि कोई क्लब प्रारम्भ भी होता है तो अर्थाभाव के कारण थोड़े समय के अनन्तर बन्द हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में युवक कल्याण कार्य में केवल १ करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो नहीं के बराबर है। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे गांवों में क्लब खोलने व क्रीड़ा संघ इत्यादि बनाने के कार्यों में अधिक से अधिक धन देकर सहायता करें।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार मेरे संकल्प को स्वीकार न करे, तो कम से कम युवकों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करे।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ। इस पर कुछ संशोधन भी हैं। क्या उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है ?

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं संशोधन संख्या १, २ और ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : मूल संकल्प और संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री तिम्य्या** (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : आज भारत में सभी युवक वृद्धों के समान दिखाई देते हैं और उनमें वह बात नहीं जो पुराने लोगों में थी, क्योंकि देश की आर्थिक दशा आज इसी प्रकार की है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार यही प्रयत्न कर रही है कि देश के युवकों का स्वास्थ्य सुधरे और उनका व्यक्तित्व निखरे। परन्तु फिर भी जो कुछ किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। सरकार का कर्त्तव्य है कि युवकों के कल्याण की ओर पूरा पूरा ध्यान लगाये। इसी लिये मैं माननीय मित्र श्री पाणिग्रही के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री पाणिग्रही ने बताया कि सरकार युवक संस्थाओं में भेदभाव करती है परन्तु मेरा यही निवेदन है कि युवक कांग्रेस ने देश की बहुत सेवा की है। उन्होंने समाज सेवा शिविर, श्रम शिविर, तथा श्रमदान आदि के द्वारा विकास कार्यों में सहयोग दिया है। यदि उनको और उत्साहित किया जाये तो निश्चित है कि वह और अधिक काम कर पायेंगे।

सरकार ने शारीरिक शिक्षा केन्द्र, खेल कूद क्लब, जिमनास्टिक केन्द्र आदि खोले हैं परन्तु मेरे विचार से उन्हें प्रत्येक स्कूल तथा कालिज में शारीरिक शिक्षा तथा अन्य इस प्रकार के काम किसी योजना के आधार पर व्यवस्थित रूप में करने चाहिए। उनके खाने पीने का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों के युवकों के लिए हमने अभी सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें बनाई गई हैं। ग्राम सेवकों तथा सामुदायिक विकास पदाधिकारियों को गांवों के युवकों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह युवक इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

हमें युवक संगठनों के सम्बन्ध में केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह युवक संगठन युवकों की भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि राजनैतिक दलों पर ध्यान न देकर हमें ऐसे संगठनों को ही प्रोत्साहित करना चाहिए जो कुछ काम कर रहे हों।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): मैं माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान इतनी महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित कराया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इतनी नीतियां तथा कार्यक्रम बनाये गये परन्तु देश के युवकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वह राष्ट्र का विकास करने में अपना योग दे सकें।

माननीय मन्त्री कह सकते हैं कि देश के युवकों के कल्याण के लिए मनोरंजन केन्द्र, शिक्षण क्लब तथा अन्य कल्याण केन्द्र खोले गये हैं। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि ये सभी केन्द्र देश के युवकों की संख्या की तुलना में पर्याप्त नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे युवक गांधीजी के मार्गदर्शन में साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जूझते रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुरुष तथा स्त्रियों में समानता लाने, सामाजिक एकता बनाने आदि में बहुत बड़ा भाग लिया। उनके अभाव में कोई भी, कभी भी, कहीं भी कोई आन्दोलन सफल नहीं हुआ है। यूरोप के देशों को लीजिए वहां के युवक ही वहां के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। यूगोस्लाविया, चैकोस्लोवाकिया का आदर्श अपने सामने रखिये और अपने युवकों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कीजिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार युवकों की समस्या पर ध्यान देगी और उचित वातावरण बनाने का प्रयत्न करेगी।

हमारे देश के युवकों में काम न करने की भावना भर गई है। मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें। यह भावना केवल इसलिए उनमें पैदा हुई है क्योंकि वह बेकार रहते हैं जिस काम को वह करना चाहते हैं वह नहीं करने दिया जाता है। गांवों में यदि पुस्तकालय खोलने की इच्छा युवकों की है तो सरकार उनको सहायता नहीं देती है। आज हमारे देश में ऐसी भी भावना घर कर गई है कि यदि किसी को प्रगति करनी है तो वह संगठन विशेष का सदस्य बन कर ही कर सकता है। कहा जाता है कि सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित संगठनों के सदस्य बन कर ही आप कुछ कर सकते हैं। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे इस प्रकार की भावना फैल न पाये और सरकार को भी युवक संगठनों के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए।

माननीय मन्त्री हमें अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह का उदाहरण दे सकते हैं। मेरा विचार है कि इस समारोह को जनता में सभी युवकों के लिए खोल देना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस समारोह को सर्वथा दिल्ली में ही न करके देश के अन्य नगरों में भी किया जाना चाहिए।

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): मैं सारा दोष शिक्षा मन्त्री के सिर मढ़ने को तैयार नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह अथवा श्री खुदी राम बोस ने जब हंसते हंसते अपनी आहुति दे दी थी उस समय उनके सामने केवल भविष्य के भारत का चित्र उपस्थित था। सभी युवकों के मन में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

केवल यही बात थी विदेशियों को अपने देश से निकालो। यह तो हमारे युवकों का भूतकाल था परन्तु यदि हम आज के अपने युवकों को देखें तो बड़ी खेदजनक स्थिति हमें दिखाई देती है और इसके लिए समस्त जिम्मेदारी आज के नेताओं पर डालता हूं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इन नेताओं ने युवकों को एक दम भुला दिया। उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया। आज बहुत सी मातायें इसीलिए शोकग्रस्त हैं कि यदि उनके पुत्र को अवसर दिया जाता तो वह देश के विकास में डाक्टर अथवा इंजीनियर के रूप में अपना कोई महत्वपूर्ण स्थान बना लेता। मैं समझता हूं कि सरकार ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं के कारण इन छोटी महत्व-पूर्ण समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है।

विदेशी विशेषज्ञों ने भी कहा है कि देश में पन बिजली बहुत बनाई जा सकती है परन्तु ऐसा किया नहीं गया है। इसी प्रकार मेरा कहना है कि युवकों की शक्ति का कोई उपयोग नहीं उठाया जा रहा है। उनको उचित अवसर नहीं दिये जाते हैं जिसका परिणाम है कि असन्तोष, आलोचनात्मक दृष्टिकोण युवक अपनाते जा रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं जो उनको उचित रास्ते पर लगाने में समर्थ नहीं हुए हैं।

अधिक युवक होस्टल बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया परन्तु मेरा विचार है कि शिक्षा सुविधायें देने तथा व्यायामशालायें बनाने से ही काम चलने वाला नहीं है अपितु देश के विकास के लिए सभी प्रकार की शक्ति का उपयोग उठाया जाना चाहिए।

आज मन्त्री महोदय युवकों को बताते हैं कि साधारण जीवन व्यतीत करो परन्तु वह यह नहीं जानते कि बस का किराया देने के लिये भी उसके पास पैसे नहीं हैं और यही चिन्ता उनके सामने है कि फीस कैसे दें, किताबें कहां से खरीदें। आप उनसे आशा करते हैं कि भूतकाल के समान वह उत्साह दिखायें। आप बताइये यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है। इसके लिये मैं किसी एक मन्त्री को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं अपितु सभी नेताओं पर इसकी जिम्मेदारी डालता हूं।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : मैं श्री पाणिग्रही के संकल्प से सहमत हूं। मुझे वह दिन याद है कि जब कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास की सड़कों पर हमारे नेताओं ने और युवकों ने तिरंगा लिये गोलियों की बौछारें सहीं। । मुझे वह दिन भी याद है जब हमारे प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ का उदघाटन किया था। मुझे वह दिन याद है जब हमारे देश के नवयुवक देश के नाम पर और राष्ट्रीयता के नाम पर सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे।

परन्तु आज स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है। आज हमारे युवक सड़कों पर बिना उद्देश्य के घूमा करते हैं, सुन्दर लड़कियों के चित्रों को देखते हैं। क्यों ? क्योंकि उनके पास और कोई काम करने के लिये है ही नहीं।

मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस संकल्प की भावना का जहां तक सम्बन्ध है उससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। युवकों की शक्ति का लाभ हमें उठाना चाहिये। उनके कार्यों का समन्वय करना चाहिये। हमें उन युवकों की शक्ति पर विश्वास करना चाहिये। मेरी सरकार से अपील है कि इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : मेरे से पहले वक्ताओं ने देश के युवकों की बड़ी प्रशंसा की है और मैं समझता हूं कि उनके इन भाषणों का यह असर होगा कि और अधिक हड़तालों की धमकियां दी जायेंगी जिससे उत्पादन और कम हो जायेगा ।

अब मैं देश के युवक आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं । यदि हमारे युवक चाहें तो पंचशील के सन्देह को विश्व में फैला सकते हैं, देश के विकास के लिये जनता का सहयोग सरकार को दे सकते हैं । मेरे माननीय मित्रों ने भी बताया है कि युवक सहयोग नहीं दे रहे हैं । इसलिये हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहियें जिससे युवकों के सहयोग से पंचवर्षीय योजना की प्रगति सुचारु रूप से हो जाये । आज प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिये युवकों में काम करने का उत्साह भी नहीं है । जब युवक भ्रष्टाचार, नौकरशाही का बोलबाला पाता है तो उसका काम करने को जी नहीं चाहता है । इसलिये सरकार को ऐसे सभी काम करने चाहिये जिससे युवकों को उचित प्रोत्साहन मिले ।

प्रति वर्ष अब अन्तविश्वविद्यालय समारोह होता है । यह बड़ी अच्छी बात है । मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार के समारोहों को प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे युवकों को एक नवीन उत्साह का संचार हो । मैं चाहता हूं कि भारत सेवक समाज अथवा भारत स्काउट आन्दोलन आदि जितनी भी युवक संस्थायें हैं सरकार को उन सबका उचित समन्वय करना चाहिये ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : १९०५ में बंगाल में युवकों ने जो ज्योति प्रज्ज्वलित की वह जब तक स्वतन्त्रता नहीं मिली जलती रही । युवक फांसी पर चढ़े, गोलियों के सामने आये और स्वतन्त्रता प्राप्त की । उन देशभक्तों में से बहुत कम ऐसे हैं जो आज सत्तारूढ़ हैं और भगत सिंह, खुदीराम, मदन लाल तथा नेताजी बोस को भुला बैठे हैं । परन्तु इतिहास बदला नहीं जा सकता है । १९४६ तथा ४७ का नौसेना का विद्रोह, आजाद हिन्द फौज का काम कैसे भुलाया जा सकता है । उन्होंने विकासोन्मुख, खुशहाल देश की कल्पना की थी ।

परन्तु इन ११ वर्षों में हमारे युवकों का क्या हाल हुआ है । बेकारी बढ़ गई है, भुखमरी हो गई हैं, निर्धनता आ गई है । सरकार ने कई लाख रुपये से युवक आन्दोलन के विकास का कार्यक्रम बनाया जिसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा । परन्तु मुझे वह विकास कार्यक्रम लगा ही नहीं, क्योंकि इस कार्यक्रम के अधीन लगाये गये शिविरों में शिक्षण प्राप्त युवकों ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे पता लगे कि उन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

आज हमारे मंत्रीगण उनके जो प्रिय संगठन हैं, उनकी प्रशंसा करते पाये जाते हैं--भारत सेवक समाज, समाज कल्याण बोर्ड उनमें से हैं । परन्तु मुझे खेद है कि यह संगठन सार्वजनिक सम्बन्ध बनाये रखने में समर्थ नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार को सभी युवक संगठनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिये ।

मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह देश के युवकों का आवाहन करे उनका विश्वास करे जिससे सभी विकास कार्यों में वह अपनी पूर्ण लगन से योग दे सकें । मैं समझता हूं कि ऐसा करने के लिये संकल्प में जो उपाय बताये गये हैं वह ठीक हैं इसलिये हमें संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही ने जो संकल्प अभी इस सदन के समक्ष विचारार्थ उपस्थित किया है उसके पीछे जो भावना है . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नाथ पाई : माननीय सदस्य ने क्या "संकट" कहा ?

श्री श्रीनारायण दास : संकल्प।

सरदार अ० सि० सहगल (जंजगीर) : संकट नहीं उन्होंने संकल्प कहा है। माननीय सदस्य के दिमाग़ में संकट ही आता है।

श्री श्रीनारायण दास : इस मौक़े से लाभ उठा कर हमारे कई युवक सदस्यों ने बड़ी उत्साहपूर्ण भाषा में अपनी वक्तृता शक्ति का परिचय दिया है।

यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में जो स्वतन्त्रता का दृश्य देख रहे हैं और हिन्दुस्तान जो स्वतन्त्र हुआ उसमें देश के युवक, युवतियों ने बड़े उत्साह, लगन और परिश्रम से काम किया जिसके कि फलस्वरूप आज हम हिन्दुस्तान को आज़ाद देखते हैं। यह उन्हीं के त्याग और तपस्या का फल है कि आज हिन्दुस्तान स्वतन्त्र राष्ट्रों की श्रेणी में एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। यह बात भी सही है कि हिन्दुस्तान के युवकों को अवसर मिलना चाहिये ताकि उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो और उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिये और समाज की उन्नति के लिये हो। यह बात भी सही है कि आज देश में जो युवकों की शक्ति है वह अपरिमित है, बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े पैमाने पर उनकी शक्ति है जिसका कि उपयोग राष्ट्र के फ़ायदे के लिये नहीं हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम, हमारा समाज या हमारी सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि उन सारी शक्तियों का उपयोग राष्ट्र के फ़ायदे के लिये हो।

मेरा जहां तक ख्याल है जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ हमारे बहुत से भाइयों ने कहा कि उन्हें उस जमाने का दृश्य याद आता है जब इस देश के युवक युवती राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते थे और हमारे देश के राष्ट्रीय नेता पकड़ पकड़ कर उन का सहयोग लेने को तैयार होते थे लेकिन आज का नजारा बड़ा दुःखद मालूम होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे निराशा के गहरे गर्त में पड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र में भी जाइये वही दुःखद नजारा आप को देखने को मिलेगा। यह बात सही है कि आज देश के युवकों में कुछ खामियां हैं और कुछ कमियां हैं। अब यह तो हर एक श्रेणी में और वर्ग में खामियां होती हैं लेकिन आज भी देश में जो युवक काम कर रहे हैं और उपयोगी काम कर रहे हैं उन को हम दरगुजर नहीं कर सकते। आप गांवों में जाइये। शहरों को ही ले लीजिये। बहुत से ऐसे काम हैं जिन में सरकार हाथ नहीं बटाती हैं लेकिन हमारे गांव के युवक, युवतियां देश के उत्थान के लिये हर तरीके के काम करने लगे हैं। हमारे यहां कोई परिषद् बने या न बने, इस का विचार नहीं है। हिन्दुस्तान के ६ लाख गांवों में आप घूम आइये। यह बात सही है कि हमारे गांव जितने उन्नत होने चाहियें उतने उन्नत नहीं हैं क्योंकि वे अभाव की अवस्था में हैं और उन को सरकार की पूरी सहायता नहीं मिलती है लेकिन फिर भी देश के युवक, युवतियां शिक्षा के क्षेत्र में हों चाहे पुस्तकालय आन्दोलन को चलाने की बात हो अथवा यह सड़क योजना जो चलती है, जितने भी काम हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन का अधिकांश श्रेय देश के इन युवक युवतियों को है। हमें आज भले ही स्कूल और कालिजों में उन में कुछ अनुशासनहीनता देखने में आती हो और उस के लिये हम भले ही उन की निन्दा करें लेकिन मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार उन की निन्दा की जाती है उस निन्दा के वे पात्र नहीं हैं। यह तो हो सकता है कि उन में काम करने के लिये उत्साह हो और जोश हो लेकिन उन को काम करने का मौका न हो और उन की शक्ति का पूरा पूरा उपयोग न हो पाता हो और कुछ राजनैतिक पार्टियां, मैं किसी एक खास पार्टी की बात नहीं कहता, लेकिन कुछ राजनैतिक लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ साधन के लिये या अपनी पार्टी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये इन युवक, युवतियों को बहकाने और गुमराह करने की कोशिश करते हैं और इसलिये उन में कुछ अनुशासनहीनता आ जाती है। लेकिन फिर भी आप स्कूलों

में जाइये, कालिजों में जाइये और यूनिवर्सिटियों में जाइये, बहुत थोड़ी तादाद में आप को ऐसे युवक मिलेंगे जिन में कि अनुशासनहीनता है लेकिन अधिकांश लोग, जैसी आर्थिक कठिनाई उन को है और हर तरीके की सामाजिक और आर्थिक असुविधायें हैं, उन में जिस तरीके से वे बरत रहे हैं वे उस के लिये प्रशंसा के पात्र हैं। मेरा तो अपना विचार है कि चारों तरफ अनुशासनहीनता है ऐसा कह कर हम अनुशासनहीनता को समाप्त नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं बल्कि उस को और बढ़ाते हैं। मेरी तो सभी लोगों से यह प्रार्थना है और देश के अन्दर जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं उन से अपील है कि वे देश के नवयुवकों जिन के कि दिमाग अभी परिपक्व नहीं हुए हैं और जिन में उत्साह हैं, जोश है और काम करने की शक्ति है, उन की शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिये करें और पार्टी विशेष के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये न करें।

इन बातों को रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के तीन अंग हैं। सब से पहले तो यह है कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक समिति बनाई जाये। दूसरा यह है कि समिति का उद्देश्य क्या होगा? समिति का उद्देश्य होगा देश के अन्दर जितनी भी युवकों की संस्थायें हैं, उन के प्रतिनिधियों से मिलना। तीसरे उन संस्थाओं से सुझाव मांगना कि युवक युवतियों का कल्याण कैसे हो सकता है, कैसे उन की उन्नति हो सकती है और कैसे उन को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये अच्छे से अच्छा मौका मिल सकता है। फिर एक सम्मेलन बुलाया जाये जिस में जितने भी यूथ्स के संगठन हैं, उन के प्रतिनिधि हों, और उस सम्मेलन के बाद एक राष्ट्रीय युवक परिषद् की स्थापना हो और फिर एक बोर्ड बने जो युवकों के कल्याण के लिये काम करे। मैं यह बात मानता हूं कि युवकों की संगठन की जरूरत है और इस बात की भी आवश्यकता है कि उन्हें हम को ऐसे मौके देने चाहियें जिस से युवकों के व्यक्तित्व का विकास हो और उन की शक्ति का उपयोग हो। यह बात भी मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने अभी हमारे नवयुवक और नवयुवतियां हैं उन की शक्ति का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे मित्र श्री पाणिग्रही ने जो अपना प्रस्ताव रक्खा है उस में हमारी योजना के विकास में जो कार्यक्रम हैं उन को पूरा करने के लिये उन का सहयोग मिलें, उन्हीं सब कामों को पूरा करने के लिये यह परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। उस प्रस्ताव को रखने में हमारे मित्र का उद्देश्य बहुत अच्छा है, भावना बहुत अच्छी है लेकिन दरअसल में केवल इस परिषद् की स्थापना से या जैसे कि अभी बच्चों के कल्याणार्थ एक कौंसिल बनी हुई है, उसी तरीके से युवकों की एक परिषद् बना देने से कोई समस्या का समाधान हो जाने वाला हो, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव के जरिये से जो नया संगठन कायम होगा उस से कोई ज्यादा काम होने की आशा करना बेकार है, कोई ज्यादा काम उस से चलने वाला नहीं है। यह तो एक ऐसा काम है जिस को कि हमें गैर सरकारी तौर पर करने की कोशिश करनी चाहिये। सरकार का फर्ज है कि ऐसे हर आन्दोलन में जिस से कि युवकों की शक्ति बढ़े और उन का व्यक्तित्व बढ़े, सहायता दे। हर काम सरकार के जिम्मे कर देने और उस के हाथ में दे देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जाहिर है कि जब सरकार के हाथ में वह काम होगा और सरकार के द्वारा यह काम होगा तब तरह तरह की शिकायतें हुआ करेंगी कि सरकार इस काम को अपने हाथ में ले कर अपने विचार युवकों पर लादना चाहती है। सरकार ही एक बोर्ड बनायेगी और सरकार ही एक परिषद् की स्थापना करेगी और सरकार ही सब खर्च करेगी और ऐसा होने से जो गैर सरकारी तौर पर काम करने का मौका है वह नहीं रह जायेगा। मैं इन सब भावनाओं की जो इस प्रस्ताव के पीछे हैं उन का समर्थन करता हूं लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं कि स्कूल, कालिजों और युनिवर्सिटियों के तमाम नवयुवकों का संगठन सरकार एक विशेष संस्था के जरिये कराये। मैं इस को उचित नहीं समझता। आज युनिवर्सिटी में जाइये अथवा कालिज में जाइये हर जगह युवकों के व्यक्तित्व के विकास की सुविधा है। ऐसे भी

[श्री श्रीनारायण दास]

करोड़ों हमारे नवयुवक हैं जिन को कि स्कूल, कालिजों में जाने का मौका नहीं मिलता है लेकिन मैं समझता हूं कि उन को गैर-सरकारी तौर पर जो हमारे गांवों के अन्दर पंचायतें हैं, गांवों के अन्दर जो हमारी सामुदायिक विकास योजना की समितियां बनने वाली हैं और भी तरह तरह के काम गैर-सरकारी तौर पर होते हैं या सरकार जो काम चलाती है उन में अपना योग-दान देने का उन्हें पूरा मौका मिलता है । इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि केन्द्र में दिल्ली में एक परिषद् की स्थापना हो जाये और फिर तमाम यूथ्स की जितनी भी समस्यायें हैं, उन का समाधान हो जायेगा, यह बात कैसे होने वाली है । देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय कायम हैं जहां कि देश के नव-युवकों को हर तरीके की सुविधा देने का प्रबन्ध किया जाता है और यह होने पर भी जब इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर दिल्ली में एक परिषद् कायम कर के और एक कल्याण बोर्ड कायम कर के युवकों की जो महान समस्या है और जिन को कि ठीक रास्ते पर लाकर उन की शक्ति का समन्वय कर के राष्ट्रीय योजना के कामों में लगाना है, केन्द्र में ऐसी संस्था कायम कर के इस समस्या का समाधान कैसे होगा, यह बात मेरी समझ में तो नहीं आती है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं । अलबत्ता इस के पीछे जो भावना है उसे मैं अवश्य चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस संसद् के अन्दर जो बहुत से युवक माननीय सदस्य हैं, और उत्साह रखने वाले लोग हैं उन सब का काम है कि गैर-सरकारी तौर पर इस को करें । सरकार का भी फर्ज है कि बिना राष्ट्र पर भार डाले हुए और बिना अपने विचार को लोगों पर लादे हुए इस काम को करे । सरकार की जो नीति और पालिसी हो वह किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के लिये नहीं होनी चाहिये । फिर भी सरकार एक पार्टी विशेष की ही होती है और अगर इस तरीके की युवकों की एक सस्था हो जिस पर सरकार का नियंत्रण हो और सरकार के द्वारा उस के सब कामों का संचालन हों तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरीके का काम गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा होना चाहिये । गैर-सरकारी संस्था बने । उसमें सभी पार्टियों के लोग सम्मिलित हों । ऐसा होने से मैं समझता हूं कि यह काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा लेकिन अगर एक इस तरीके की संस्था की स्थापना हो जाये जिस पर कि सरकार का नियन्त्रण हो तो लोग यह शिकायत करेंगे कि सरकार उन के कामों में हस्तक्षेप करती है और सरकार इस के जरिये अपने विचार दूसरों पर लादना चाहती है । इस तरह के आक्षेप आगे चल कर सुनने को मिलेंगे । यह शिकायत की जा सकती है कि सरकार युवकों को पार्टी विशेष के कार्यक्रम की तरफ लगाना चाहती है । इसलिये उचित यह होगा कि सरकार की तरफ से किसी परिषद् या किसी बोर्ड की स्थापना न कर के गैर सरकारी तौर पर युवकों की शक्ति का समन्वय करने के लिये और युवकों के व्यक्तित्व के विकास और उन के कल्याणार्थ जो भी कुछ काम किये जायें वे गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किये जायें । और सरकार का यह फर्ज होगा कि गैर-सरकारी संस्थाओं के काम को बढ़ाने के लिये जितनी भी सहायता कर सकती है करे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पास करने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है । यह सही है कि युवकों की समस्या बहुत महान है । युवकों को उन्नति करने का मौका मिले, तरक्की करने का मौका मिले इस के लिये जितना भी गैर-सरकारी तौर पर हो सकता है किया जाना चाहिये और सरकार का कर्तव्य है कि वह जितनी मदद दे सकती है मदद दे ।

†**श्री हाल्दर** (डाइमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियों) : श्रीमान्, मैं ने एक संशोधन की सूचना दी है ।

---

†मूल अंग्रेज़ में

हमारा देश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है पर हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों तथा जनशक्ति की बहुतायत है। इतना होते हुए भी आज हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं। उन को अपनी जीविका कमाने के लिये कोई साधन नहीं है। स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व हमारे देश की जनता में काम करने के लिये लगन थी; वे काम करने के लिये अपना सब कुछ बलिदान करते थे पर अब वैसी बात नहीं है। इस का कारण यह है कि देश के नेता जनता से तो बलिदान करने की मांग करते हैं पर स्वयं कुछ भी बलिदान करने को तैयार नहीं हैं। कुछ काम करने वाले यदि आगे आते भी हैं तो उन्हें भी अवसर नहीं दिया जाता। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। हमें चीन का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिये और जनता के काम करने चाहिये न कि जनता से काम करने की बात कहना और खुद कुछ न करना चाहिये। अतः मैं इस संकल्प को अपने संशोधन के साथ स्वीकार करता हूं।

†**डा० मेलकोटे** (रायचुर) : बड़े दुःख की बात है कि जब सभा में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तो सभा में उपस्थिति बहुत थोड़ी है। सेवा दल, भारत सेवक समाज आदि से मेरा अच्छा सम्बन्ध रहा है। शिक्षित तथा नौकरी में लगे लोगों के विचार अशिक्षितों तथा अनपढ़ों से भिन्न हैं। बेरोजगार लोगों की धारणा कुछ और भी भिन्न है। गांव और शहरों के रहने वालों के विचारों में जमीन आसमान का अन्तर है।

आज हमें सब बातों को समग्र दृष्टिकोण से देखना है आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें नवयुवकों के लिये बहुत कुछ करना है। जो कुछ किया जा रहा है वह काफी नहीं है। शिक्षा मन्त्रालय इस सम्बन्ध में कुछ कर रहा है पर वह काफी नहीं है। सच पूछा जाय तो यह केवल शिक्षा मन्त्रालय की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सम्पूर्ण मन्त्रालय की है। कुछ नवयुवक कार्य के लिये आगे आते भी हैं पर राजनैतिक मतभेदों या दलीय मतभेदों के कारण वे कुछ अधिक काम नहीं कर पाते ; पहले ऐसी बात नहीं थी। सब लोग स्वतन्त्रता के लिये सन्नद्ध थे।

आज अगर आप देखें तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जब तक सभी राजनैतिक दल, स्त्री पुरुष और वर्ग एक साथ सम्मिलित हो कर प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलने की कोई आशा नहीं है।

यही नहीं एक और भी पहलू है बहुत से लोग कई कार्यक्रमों में स्वय भाग नहीं लेते और दूसरों को भी निरुत्साहित करते हैं। जो बातें उन के हित की नहीं होतीं उन में ये बाधा डालते हैं। यह सब बुरी बातें हैं।

†**सभापति महोदय** : इस संकल्प पर आगे विकार अगली बार होगा

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १ सितम्बर, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१७६५—८९
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९५	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां	१७६५—६७
६९७	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों क कृषि सम्बन्धी पाठ्यक्रम	१७६८—७०
६९८	चोरी से लाई गई वस्तुओं का दिल्ली में पकड़ा जाना	१७७०—७१
७०१	अमरीका को वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मंडल	१७७१—७२
७०२	रूरकेला इस्पात कारखाने को कोकिंग कोयले का संभरण	१७७२
७०३	मद्यनिषेध	१७७२—७३
७०४	दहेज उपहारों की गणना	१७७३—७५
७०५	राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन का प्रकाशन	१७७५
७०६	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	१७७५—७६
७०८	टैक्सी ड्राइवरों द्वारा लूट खसोट	१७७६—७७
७१०	कलकत्ता को इस्पात का संभरण	१७७८—८०
७११	चम्बल परियोजना	१७८०—८२
७१२	अध्यापक	१७८२—८३
७१३	पत्तन तथा गोदी मजदूरों की हड़ताल	१७८३—८४
७१४	राज्यों के ऋणों का समेकन	१७८४—८५
७१६	अनैतिक पण्य का दमन	१७८५—८७
७१७	विदेशों को देय ऋण	१७८७—८८
७१८	टेक्निकल शिक्षा	१७८८
७२३	सेना के ट्रक	१७८८—८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१७९०—१८३३
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९६	मध्य क्षेत्रीय परिषद् और डाकू उपद्रव	१७९०
६९९	छोटी कोयला खानों के एकीकरण सम्बन्धी समिति	१७९०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७००	जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली	१७६१
७०७	पैराशूट . .	१७६१
७०६	हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन	१७६१–६२
७१५	इंगलैंड के बैंक-कर .	१७६२
७१६	भारत में पूंजी विनियोग	१७६२
७२०	शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का सुरक्षण	१७६२
७२१	द्राविड कजगम संस्था	१७६३
७२२	बम्बई को इस्पात का संभरण	१७६३
७२४	दिल्ली के बुनियादी स्कूलों के शिक्षक	१७६४
७२५	बिना साफ किया हुआ तेल .	१७६४
७२६	भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल	१७६४–६५
७२७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	१७६५
७२८	इस्पात का आयात . .	१७६५–६६
७२६	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा	१७६६
७३०	कावेरी बेसिन का तेल सर्वेक्षण .	१७६६–६७
७३१	भारतीय नौ-सेना की विमान शाखा (एयर विंग)	१७६७
७३२	आरम्भिक शिक्षा	१७६७
७३३	कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति	१७६७–६८
७३४	छावनी अधिनियम, १६२४	१७६८
७३५	उत्तुंग गवेषणा केन्द्र	१७६८
७३६	दिल्ली में पथकर	१७६८–६६
७३७	अमरीका से ऋण .	१७६६–१८००
७३८	अनैतिक पण्य दमन अधिनियम .	१८००
७३६	औद्योगिक वित्त निगम	१८००
७४०	प्रादेशिक सेना .	१८०१
७४१	बाल अपराध .	१८०१
७४२	पीतल की दुअन्नियां . .	१८०१–०२
७४३	न्यायिक प्रशासन का सुधार	१८०२
७४४	सिंगारेनी कोयला खान	१८०३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
७४५	अमरीका के साथ भुगतान शेष स्थिति . .	१८०३
७४६	भाव नगर में तेल शोधनशाला . . .	१८०३-०४
७४७	रूरकेला के इस्पात कारखाने को पानी का संभरण	१८०४
७४८	कूट-विश्वविद्यालय . . .	१८०४-०५
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
११२५	कर्मचारियों का प्रशिक्षण .	१८०५
११२६	हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी . . .	१८०५
११२७	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चे	१८०६
११२८	बम्बई की कल्याण विस्तार परियोजनायें . .	१८०६
११२९	त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करना .	१८०६
११३०	सरकार को प्रोद्भूत सम्पत्ति . .	१८०७
११३१	मैसूर को केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के अनुदान .	१८०७
११३२	राजस्थान को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान	१८०७
११३३	राजस्थान में विज्ञान मंदिर . . .	१८०७
११३४	आंध्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण . .	१८०७-०८
११३५	मैसर्स होक्टीफ गमान बम्बई . . .	१८०८
११३६	राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण . .	१८०८
११३७	विभिन्न परियोजनाओं के लिये राजस्थान को सहायता	१८०८-०९
११३८	प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय	१८०९
११३९	विश्वविद्यालयों के अध्यापक .	१८०९
११४०	इंजीनियरिंग कालेज	१८०९
११४१	दसुया में तेल सर्वेक्षण . . .	१८१०
११४२	भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के कर्मचारी	१८१०
११४३	शिक्षा संस्थाओं का विकास	१८१०-११
११४४	मद्य-निषेध .	१८११
११४५	छात्र निकेतन . .	१८११-१२
११४६	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा .	१८१२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११४७	राष्ट्रीय भविष्य निधि न्यास	१८१२
११४८	मल ले जाना	१८१२–१३
११४९	लाइब्रेरियनों के प्रशिक्षण के लिये संस्था	१८१३
११५०	यमुना के किनारे के गांव	१८१३
११५१	नया युद्ध-सामग्री कारखाना	१८१३–१४
११५२	केन्द्रीय आर्थिक सेवा और केन्द्रीय सांख्यिकीय सेवा	१८१४
११५३	कलकत्ते का विज्ञान और उद्योग संग्रहालय	१८१४
११५४	जाली नोट	१८१४
११५५	शस्त्र, अधिनियम	१८१५
११५६	दिल्ली में तकावी ऋणों में छूट	१८१५
११५७	भूमि की खरीद	१८१५–१६
११५८	मध्य प्रदेश में आदिम जातियों का कल्याण	१८१६
११५९	विदेशों में पढ़ने के लिये आदिवासियों को छात्रवृत्तियाँ	१८१६
११६०	भारत का संविधान	१८१७
११६१	मशीनरी के लिये टेंडर	१८१७
११६२	राजस्थान मे लौह अयस्क	१८१८
११६३	लाहौल में प्राणिकीय सर्वेक्षण	१८१८
११६४	एम० जी० एस० पुनरीक्षण समिति	१८१८–१९
११६५	येन ऋण	१८१९
११६६	भटिंडा का किला	१८१९
११६७	भारतीय नौवहन समवायों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	१८१९–२०
११६८	पंजाब में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल	१८२०
११६९	उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति	१८२०
११७०	भारत इलेक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१८२१
११७१	खनिज परामर्शदाता बोर्ड	१८२२
११७२	आयकर की बकाया	१८२२
११७३	विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सम्मेलन	१८२२
११७४	हिन्दी शिक्षा समिति	१८२३
११७५	दिल्ली के कालिजों में प्रवेश	१८२३
११७६	तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	१८२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

११७७	राजनीतिक पीड़ित . .	१८२४
११७८	त्रिपुरा अध्यापक संघ . .	१८२४
११७९	मनीपुर में किराया नियंत्रण . .	१८२४
११८०	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी .	१८२४–२५
११८१	भूमि अभिलेख विभाग, त्रिपुरा . .	१८२५
११८२	भूतपूर्व सैनिक . . .	१८२५
११८३	हिमाचल प्रदेश में प्रतिकर भत्ता	१८२५–२६
११८४	भूतपूर्व आजाद हिन्द के सैनिक . .	१८२६
११८५	लौहा तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय	१८२६
११८६	संध लोक सेवा आयोग की आय	१८२६–२७
११८७	मनीपुर आदिवासी क्षेत्र .	१८२७
११८८	फर्मों को आयकर से छूट	१८२७
११९०	पंजाब को लौहा व इस्पात का आवंटन	१८२७–२८
११९१	भूतपूर्व राजाओं पर व्यय कर . .	१८२८
११९२	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पंजाब को अनुदान	१८२९
११९३	संरक्षण तथा विकास नियम .	१८२९
११९५	सरकारी कर्मचारियों का अनिवार्य बीमा	१८२९
११९६	प्रौढ़ शिक्षा . .	१८२९–३०
११९७	रूरकेला इस्पात कारखाने में बढ़ई	१८३०
११९८	मशीनरी के लिये किराया	१८३०
११९९	पंजाब से आयकर . .	१८३०
१२००	पंजाब उच्चन्यायालय में आयकर के मामले	१८३१
१२०१	हिमाचल प्रदेश में टैक्निकल शिक्षा . .	१८३१
१२०२	हिमाचल प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूल	१८३१
१२०३	हिमाचल प्रदेश में व्यायाम प्रशिक्षण	१८३२
१२०४	हिन्दी कक्षायें	१८३२
१२०५	रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर चोरी छिपे लाये गये सोने की जब्ती	१८३२–३३
१२०६	दिल्ली में बाढ़	१८३३

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३—३५

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये : —

(१) गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति

(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २३ अगस्त, १९५८ का जी० एस०आर० संख्या ७०८ ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक २३ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ७०९ ।

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ जुलाई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६११ ।

(दो) दिनांक ९ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६७८ ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १८३५

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) ने २८ जनवरी, १९५८ को महार रेजीमेंट के सैनिकों तथा विद्यार्थियों के बीच सागर में हुई मुठभेड़ के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५—३६

वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य अपने में से निम्नलिखित निकायों का सदस्य होने के लिये निर्वाचन करें :

(१) प्राणि विज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (एक सदस्य)

(२) भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर (२ सदस्य) ।

कार्य मंत्रणा समिति—

अटठाइसवां प्रतिवेदन १८३६

विषय पृष्ठ

विधेयक--विचाराधीन १८३७--५२

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार समाप्त नहीं हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--

पच्चीसवां प्रतिवेदन-- १८५२

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत १८५३--५८

एकाधिकार रखने वाले सार्थों के कार्यों सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--विचाराधीन . १८५८--६७

श्री पाणिग्रही ने एक राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, १ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि--

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर खंडवार विचार और उसका पारित किया जाना और बनारस विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर विचार करना तथा उसे पारित करना।